VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

2025

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

अप्रैल, 2024 से फरवरी, 2025

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागटाज पुणे रांची

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

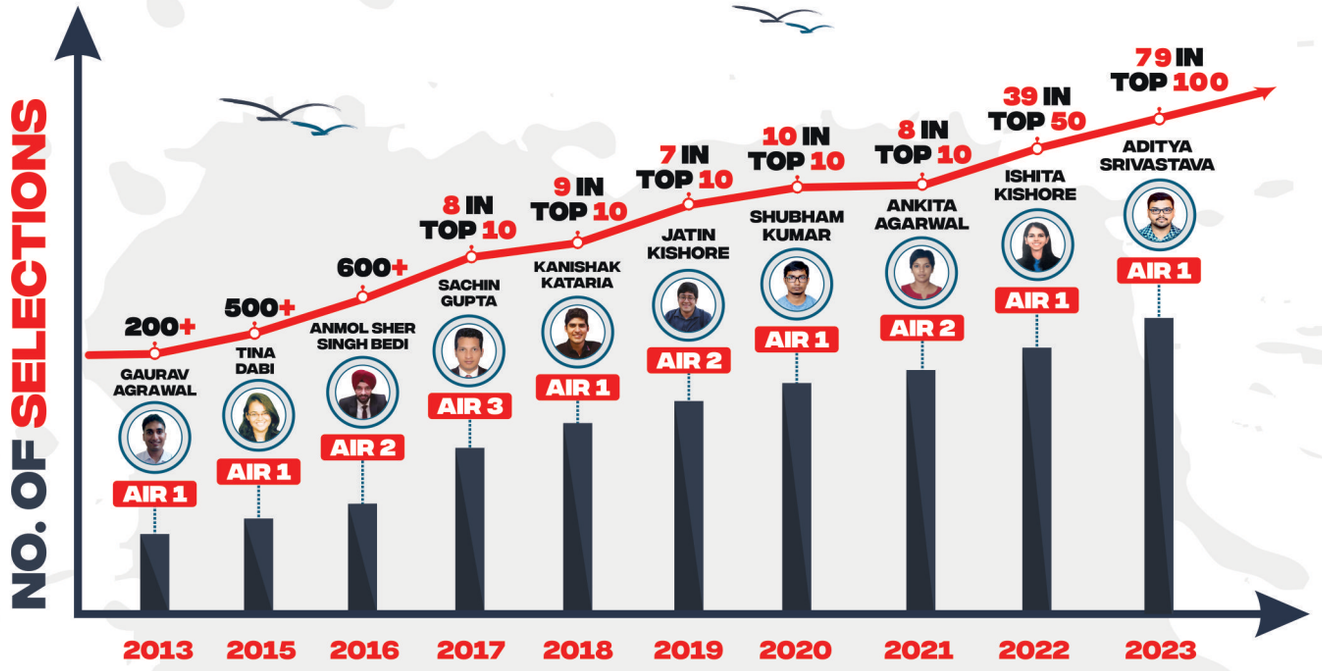

LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.in

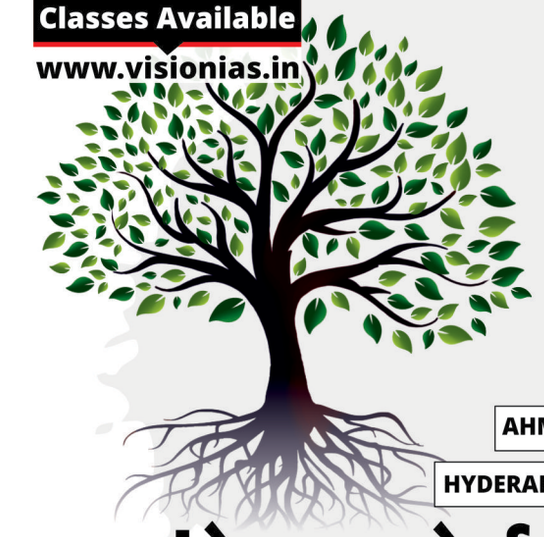

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI :10 APR, 8 AM | 17 APR, 5 PM | 22 APR, 11 AM
29 APR, 2 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 17 APR, 6 PM | 30 APR, 8 AM

हिन्दी माध्यम DELHI: 10 अप्रैल, 8 AM | 22 अप्रैल, 11 AM

AHMEDABAD: 4 JAN | BENGALURU: 1 APR | BHOPAL: 25 MAR | CHANDIARH: 18 JUN

HYDERABAD: 23 APR | JAIPUR: 5 APR | JODHPUR: 15 APR | LUCKNOW: 9 APR | PUNE: 8 APR

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 10 अप्रैल, 8 AM | 22 अप्रैल, 11 AM | JAIPUR: 10 अप्रैल | JODHPUR: 15 अप्रैल | प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi
/c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

विषय-सूची

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)

1.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme)....8

1.1.1. डिजिटल कृषि मिशन (DIGITAL AGRICULTURE MISSION: DAM) 8

1.1.2. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (National Mission on Natural Farming: NMNF) 9

1.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 11

1.2.1. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund: AIF) 11

1.2.2. एग्रीश्योर (स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष) योजना {AGRISURE (AGRI FUND FOR START-UPS & RURAL ENTERPRISES) SCHEME} 12

1.2.3. क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CLUSTER DEVELOPMENT PROGRAMME: CDP) 13

1.2.4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) कैफेटेरिया स्कीम {Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) Cafeteria Scheme} 14

1.2.5. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (National Mission on Edible Oils - Oil Palm: NMEO-OP) .. 16

1.2.6. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY) 18

1.2.7. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी. एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-KISAN) 20

1.2.8. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन {Formation and Promotion of 10,000 New Farmer Producer Organizations (FPOs)} 21

2. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS)

2.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS) 22

2.1.1. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana: PM-BJP) 22

2.1.2. फार्मास्युटिकल्स उद्योग को मजबूत बनाना (SPI) योजना {Strengthening of Pharmaceuticals Industry (SPI) Scheme} 23

3. नागर विमानन मंत्रालय (MINISTRY OF CIVIL AVIATION)

3.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 25

3.1.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/ क्षेत्रीय संपर्क योजना {Ude Desh Ka Aam Naagrik (UDAN)/ Regional Connectivity Scheme (RCS)} 25

4. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY)

4.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme)....27

4.1.1. उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (उन्नति 2024) {Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme, 2024 (UNNATI 2024)} 27

5. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MINISTRY OF CONSUMERAFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

5.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 28

5.1.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {NATIONAL FOOD SECURITY ACT (NFSA), 2013} 28

6. रक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF DEFENCE)

6.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 30

6.1.1. एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद iDEX (ADITI) योजना {ADITI (Acing Development of Innovative Technologies with iDEX) Scheme} 30

7. शिक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF EDUCATION)

7.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 32

7.1.1. समग्र शिक्षा अभियान- विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समेकित योजना (Samagra Siksha Abhiyaan- An Integrated Scheme for School Education) 32

7.1.2. पीएम-श्री स्कूल (पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) {PM SHRI Schools (PM ScHools for Rising India)} 34

8. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY: MEITY)

8.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 36

8.1.1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (DIGITAL INDIA PROGRAMME) 36

9. वित्त मंत्रालय (MINISTRY OF FINANCE: MOF)

9.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme)..... 38

9.1.1. NPS वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Yojana) 38

9.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 39

9.2.1. प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) - राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन {Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) - National Mission For Financial Inclusion} 39

9.2.2. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana: PMMY)..... 40

9.2.3. स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand up India Scheme)....41

10. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

10.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 43

10.1.1. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) {PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY)} 43

11. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES)

11.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 45

11.1.1. प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana: PMKSY) 45

12. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

12.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 47

12.1.1. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (Ayushman Bharat Digital Mission: ABDM) 47

12.1.2. आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना {Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)}..... 48

12.1.3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM) 50

13. भारी उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES)

13.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme)..... 54

13.1.1. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE/ पीएम ई-ड्राइव) योजना {PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme}..... 54

14. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS : MOHUA)

14.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme)..... 56

14.1.1. प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0) 56

14.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News) 57

14.2.1. प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना {PM Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme}.....57

14.2.2. स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SMART CITIES MISSION)..... 58

14.2.3. स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 {Swachh Bharat Mission Urban 2.0 (SBM-Urban 2.0)} 60

15. जल शक्ति मंत्रालय (MINISTRY OF JAL SHAKTI)

15.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News) 62

15.1.1. जल जीवन मिशन (JJM): हर घर जल {Jal Jeevan Mission (JJM): Har Ghar Jal}.....62

15.1.2. नमामि गंगे कार्यक्रम (Namami Gange Programme)..... 64

16. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)

16.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News) 66

16.1.1. पी.एम. विश्वकर्मा योजना (PM VISHWAKARMA SCHEME) 66

17. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY)

17.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News) 68

17.1.1. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) {National Green Hydrogen Mission (NGHM)} 68

17.1.2. प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) {Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM)} 69

17.1.3. पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) 70

18. पंचायती राज मंत्रालय (MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ)

18.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News) 73

18.1.1. स्वामित्व/ SVAMITVA योजना (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण/ Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) 73

19. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS)

19.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News) 75

19.1.1. राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)- मिशन कर्मयोगी {National Programme For Civil Services Capacity Building (NPCSCB)- Mission Karmayogi} 75

20. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS)

20.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News) 77

20.1.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) 77

21. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS)

21.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News) 79

21.1.1. सागरमाला (Sagarmala) 79

22. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS)

22.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme) 81

22.1.1. स्वैच्छिक वाहन-आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Voluntary Vehicle Fleet Modernization Programme) 81

23. ग्रामीण विकास मंत्रालय (MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT)

23.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News) 84

23.1.1. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM) 84

23.1.2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA) (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005) 85

23.1.3. प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin 2.0) 87

23.1.4. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-IV {Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) - IV} 88

24. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

24.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme) 90

24.1.1. विज्ञान धारा योजना (Vigyan Dhara scheme) 90

25. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

25.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News) 92

25.1. प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (Pradhan Mantri Anusuchit Jati Abhyuday Yojna: PM-AJAY) 92

26. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION)

26.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News) 94

26.1.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS) 94

27. जनजातीय कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS)

27.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme)..... 96

27.1.1. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan: DAJGUA)..... 96

27.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)..... 97

27.2.1. प्रधान मंत्री वनबंधु कल्याण योजना (Pradhan Mantri Vanbandhu Kalyan Yojana)..... 97

28. वस्त्र मंत्रालय (MINISTRY OF TEXTILE)

28.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)..... 99

28.1.1. पी.एम. मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अपैरल (पी.एम. मित्र/PM MITRA) पार्क {PM MITRA (Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel) Park}..... 99

29. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)

29.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)..... 101

29.1.1. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) {Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 (Mission Poshan 2.0)}..... 101

30. विविध योजनाएं (MISCELLANEOUS SCHEMES)

30.1. अटल नवाचार (AIM) 2.0 {Atal Innovation Mission (AIM) 2.0}..... 103

30.2. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP) {PM Gati Shakti National Master Plan (PMGS-NMP)}..... 104

30.3. मेक इन इंडिया पहल (Make In India initiative)..... 105

31. अन्य योजनाएं/ पहलें (OTHER SCHEMES/ INITIATIVES)

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

नोट,

पढ़ना आसान बनाने और अभ्यर्थियों को अपने समय का सबसे कुशल तरीके से उपयोग करने में मदद करने के लिए, इस वर्ष भी हम सरकारी योजनाओं के डॉक्यूमेंट के दो सेट जारी करेंगे।

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं- 2025: इस डॉक्यूमेंट में अप्रैल, 2024 से फरवरी, 2025 तक सुर्ख़ियों में रही योजनाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद सुर्ख़ियों में रहने वाली योजनाओं को "PT 365 अपडेटेड भाग-2" डॉक्यूमेंट में कवर किया जाएगा।

सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव: इसमें अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई और वर्तमान में जारी सभी योजनाएं शामिल हैं।

साथ ही, महत्वपूर्ण बिंदुओं को बेहतर तरीके से याद रखने के लिए, सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं डॉक्यूमेंट में सरकारी योजनाओं को आगे दो उप प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।

हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं: वे योजनाएं जिन्हें अप्रैल, 2024 से फरवरी, 2025 तक शुरू किया गया था।

सुर्ख़ियों में रही योजनाएं: इस श्रेणी में, हमने योजनाओं में किए गए हाल के संशोधनों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। इसमें मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है, जो योजना के मूल्यांकन या अवधि के पूरा होने आदि जैसे विविध कारणों से सुर्ख़ियों में थीं।

≫ योजना के सुर्ख़ियों में रहने के कारण का अलग से उल्लेख किया गया है।

विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए **इन्फोग्राफिक्स** को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/ कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

अभ्यर्थी द्वारा सीखी और समझी गई अवधारणाओं के परीक्षण के लिए **QR आधारित स्मार्ट क्विज़** को शामिल किया गया है।

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

1 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)

1.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme)

1.1.1. डिजिटल कृषि मिशन (DIGITAL AGRICULTURE MISSION: DAM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **डिजिटल कृषि मिशन (DAM)** को मंजूरी दी। इसके लिए कुल 2,817 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** एक समग्र **डिजिटल कृषि इकोसिस्टम** का विकास करना, जो किसानों को समय पर सटीक फसल और कृषि संबंधी जानकारी तथा नवीन तकनीकी समाधान प्रदान करे।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है। हालांकि, इसके तहत 'राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को प्रदान की जाने वाली सहायता' घटक **केंद्र प्रायोजित** है।
- **अपेक्षित लाभार्थी:** किसान
- **कार्यविधि:** 5 वर्ष यानी वित्त-वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

- सरकारी कार्यक्रमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए **किसान-केंद्रित डिजिटल इकोसिस्टम** का निर्माण करना।
- **तथ्यों/ आंकड़ों के आधार पर निर्णय** लेने में सरकार की सहायता करना।
- कृषि-प्रौद्योगिकी में **सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक में नवाचार एवं साझेदारी** को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि:

- **2010-11 में कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGPA) की शुरुआत** सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके की गई थी। इसका उद्देश्य **समय पर कृषि संबंधी जानकारी प्रदान** करना था। इसे 2020-21 में डिजिटल तकनीकों को अपनाने के लिए अपडेट किया गया था।
- **डिजिटल कृषि मिशन (DAM)** अब सरकारों एवं संस्थानों द्वारा **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, फसल अनुमान और IT परियोजनाओं** जैसी पहलों का समर्थन करता है।

डिजिटल कृषि मिशन के तहत कार्यक्रम और योजनाएं:

- **एग्री स्टैक (किसान की पहचान):** यह किसानों को दक्ष सेवाएं प्रदान करने के लिए 'आधार' जैसी डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था है। यह संघीय प्रणाली में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से निर्मित है। इसमें **तीन प्रमुख कृषि रजिस्ट्रियां/ डेटाबेस** शामिल हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (DSS):**
  - उपग्रह, मौसम, मिट्टी, फसलों और सरकारी योजनाओं के लिए **भू-स्थानिक एवं गैर-भू-स्थानिक डेटा को एकीकृत** करती है।

- राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति के अनुरूप **फसल मानचित्रण, विविधीकरण और बीमा दावों का समर्थन** करती है।

- **राष्ट्रव्यापी मृदा संसाधन मानचित्रण परियोजना:**
  - इसे **भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण (SLUSI)** द्वारा शुरू किया गया है। यह **1:10,000 पैमाने** पर गांव स्तर की मिट्टी का मानचित्रण करने के लिए उपग्रहों से और भूमि आधारित सुविधाओं से प्राप्त उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा का उपयोग करती है।
  - संधारणीय कृषि और बेहतर भूमि व फसल योजना के लिए **विस्तृत मृदा प्रोफाइल एवं मानकीकृत मानचित्र** बनाती है।
- **डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (Digital General Crop Estimation Survey: DGCES):**
  - **राज्य स्तरीय योजना से लेकर फसल कटाई प्रयोगों की फील्ड डेटा रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट तैयार** करने तक सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (GCES) प्रक्रिया को स्वचालित करना।
- **आईटी पहल समर्थन:** मिशन के तहत राज्यों और अन्य संगठनों को आईटी पहल समर्थन तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आईटी-संबंधित गतिविधियों के लिए समर्थन शामिल है।
- **महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (MNCFC) को सहायता:**
  - **फसल/FASAL** (अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि आधारित पर्यवेक्षणों का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान लगाना) के अंतर्गत **फसल रकबा (Acreage) एवं उत्पादन का अनुमान लगाना तथा बागवानी फसलों का मूल्यांकन** करना।
  - राज्यों के लिए **सूखे की निगरानी, मौसम ट्रैकिंग और भू-स्थानिक प्रशिक्षण** में सहायता करना।
  - **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए तकनीकी भागीदार** तथा क्षेत्र विश्लेषण, स्मार्ट सैंपलिंग और उपज विवाद समाधान में सहायता करना।

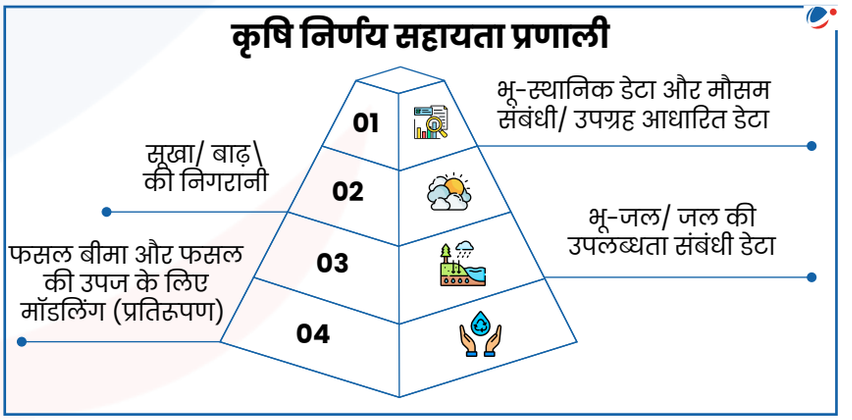

1.1.2. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (National Mission on Natural Farming: NMNF)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: वैज्ञानिक रूप से मान्य तरीकों से खेती को बढ़ावा देना,** ताकि संधारणीयता, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित किया जा सके।
- **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **कवरेज:** प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के पहचाने गए जिलों से **15,000 क्लस्टर** चुने गए हैं। इससे **7.5 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र** में प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी।
- **ज्ञान भागीदार:** राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE)।

अन्य उद्देश्य

- प्रकृति आधारित संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और **प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले जैव-आदानों (इनपुट)** का उपयोग बढ़ाना;
- पशुधन (प्राथमिक रूप से स्थानीय नस्ल की गाय) के साथ-साथ **कृषि-पशुपालन मॉडल को लोकप्रिय** बनाना;
- **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs)** आदि संस्थानों की कृषि-पारिस्थितिकी पर आधारित अनुसंधान और ज्ञान-आधारित विस्तार क्षमताओं को सशक्त बनाना।
- प्राकृतिक रूप से उगाए गए रसायन मुक्त उत्पादों के लिए एक **एकल राष्ट्रीय ब्रांड बनाना** और उसे बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **कार्यान्वयन संबंधी दृष्टिकोण:**
  - **किसान-से-किसान मॉडल: किसानों के नेतृत्व** में प्राकृतिक कृषि को अपनाना।
  - **कृषि-अवसंरचना:** इसमें **जैव-आदान संसाधन केंद्र (BRCs), बीज बैंक, छोटे कृषि उपकरण और स्थानीय बाजार** शामिल हैं।
  - **बाजार प्रणाली:** मूल्य संवर्धन के लिए **किसानों हेतु बाजार और खाद्य प्रसंस्करण।**
- **प्रशिक्षण और अनुसंधान:**
  - **प्रशिक्षण इकोसिस्टम:** बीजामृत, जीवामृत और नीमास्त्र जैसी प्राकृतिक कृषि पद्धतियों पर **KVKs, कृषि विश्वविद्यालयों एवं स्थानीय प्राकृतिक कृषि संस्थानों द्वारा ऑन-फील्ड प्रशिक्षण।**
  - **अनुसंधान सहायता:** ICAR, KVKs और विश्वविद्यालय प्राकृतिक कृषि के तरीकों का **दस्तावेज़ीकरण एवं अध्ययन** करेंगे।
  - **शैक्षिक पाठ्यक्रम:** प्राकृतिक कृषि पर **समर्पित प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सेस।**
- **सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से विस्तार:**
  - **30,000 कृषि सखियां {सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs)}:** प्राकृतिक कृषि अपनाने को बढ़ावा देने के लिए **स्वयं-सहायता समूह (SHGs), किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS)** जैसे महिलाओं के नेतृत्व वाले समुदाय आधारित संगठन (CBOs)।
  - **प्राकृतिक कृषि क्लस्टर:** प्रत्येक क्लस्टर **125 इच्छुक किसानों** के साथ गठित होता है, और वे फिर सभी किसान **6 और किसानों को प्रशिक्षित** करते हैं। इससे प्रत्येक क्लस्टर में लगभग **750 किसान** हो जाते हैं।
  - **सहभागी प्रमाणन:** यह प्राकृतिक कृषि अपनाने वाले किसानों के लिए **सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS) के समान है।**
- **बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRCs):** प्राकृतिक कृषि इनपुट्स की आपूर्ति के लिए **10,000 BRCs ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों, FPO, SHG, KVK और गोशालाओं द्वारा संचालित** किए जाते हैं।
- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन: प्रति वर्ष प्रति एकड़ 4000 रुपये** (प्रति किसान को अधिकतम **1 एकड़** के लिए प्रोत्साहन) प्रशिक्षित इच्छुक किसानों के आधार प्रमाणित बैंक खातों में किश्तों में जारी किए जाएंगे। ये प्रोत्साहन **2 वर्षों के लिए प्रदान** किए जाएंगे।
- **संस्थाओं के मध्य समन्वय:** बड़े पैमाने पर प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM), FPOs, PACS, सरकारी संस्थाओं, CSR और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों** के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्रक

नमामि गंगे क्षेत्र: गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर का गलियारा

जनजातीय क्षेत्र: जनजातीय उप-योजना के ब्लॉक्स

बड़ी नदियों के तट पर स्थित जिले: राज्य द्वारा निर्धारित

समुदाय आधारित मजबूत संगठन: SRLM/ PACS/ FPOs और अन्य CBOs

अधिक उर्वरक इनपुट खपत वाले जिले: अधिक उर्वरक की बिक्री वाले क्षेत्र

विशेष वरीयता: प्राकृतिक कृषि करने वाले कृषक क्षेत्र

कम उर्वरक इनपुट खपत वाले जिले: कम उर्वरक उपयोग वाले क्षेत्र

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

1.2 सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

1.2.1. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund: AIF)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **'कृषि अवसंरचना कोष'** के विस्तार को मंजूरी दी।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश में कृषि अवसंरचना में मौजूदा कमियों को दूर करना तथा निवेश जुटाना।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक **(NABARD/ नाबार्ड)।**
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2032-33 तक।

अन्य उद्देश्य

फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन हेतु बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्त-पोषण सुविधा प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** कृषि अवसंरचना कोष (AIF) को **मई 2020** में केंद्र द्वारा घोषित **आत्मनिर्भर भारत अभियान** के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
- **वित्तीय सहायता**
  - इसके तहत **बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ** प्रदान करेंगे।
  - **2 करोड़ रुपये** तक के ऋण के लिए **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के तहत क्रेडिट गारंटी** कवरेज प्रदान किया जाएगा।

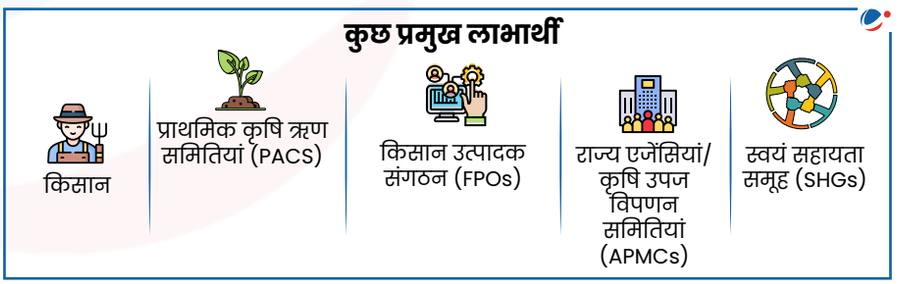

- **पात्र सामुदायिक परिसंपत्ति परियोजना**
  - निर्यात क्लस्टरों सहित फसलों के क्लस्टरों के लिए **आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान** करने हेतु चिन्हित परियोजनाएं;
  - सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या फसल कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत **केंद्र/ राज्य/ स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों** द्वारा प्रोन्नत परियोजनाएं;
  - **जैविक आदानों का उत्पादन;** बायो स्टिमुलैंट्स उत्पादन इकाइयां; स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए अवसंरचना आदि।
- **प्रबंधन और निगरानी**
  - यह कार्य ऑनलाइन **प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) प्लेटफॉर्म** के जरिए संपन्न किया जाता है।
  - **राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियां** रियल-टाइम निगरानी एवं प्रभावी फीडबैक प्रदान करती हैं।

- **BHARAT अभियान के बारे में: बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन (BHARAT) अभियान को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया है-**
  - लोगों को **अधिकतम लाभ** प्रदान करना;
  - कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के बीच **प्रतिस्पर्धा का परिवेश** तैयार करना आदि।
- **कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के हालिया विस्तार के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियां:** सामुदायिक कृषि उत्पादकता और संधारणीयता को बढ़ाने के लिए परियोजनाओं को शामिल करना।
  - **एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाएं:** कृषि अवसंरचना कोष के तहत पात्र गतिविधियों की सूची में **एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल** किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सम्मिलित की गई स्टैंडअलोन द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाओं को बाहर किया गया है।
  - **पीएम-कुसुम योजना का एकीकरण: किसानों, कृषक समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और पंचायतों** के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को प्रोत्साहित करने हेतु पीएम-कुसुम योजना के घटक-A को कृषि अवसंरचना कोष में शामिल करने की अनुमति दी गई है।
  - **क्रेडिट गारंटी का विस्तार:** अब **एनएबीसंरक्षण** (NABSanrakshan) द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के कृषि अवसंरचना कोष ऋण को गारंटी कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। इससे FPOs की वित्तीय सुरक्षा और उधार पात्रता में वृद्धि होगी।

AIF योजना का विस्तार

क्रेडिट गारंटी का विस्तार
FPOs की वित्तीय सुरक्षा के लिए क्रेडिट गारंटी का विस्तार किया गया है।

व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियां
सामुदायिक कृषि उत्पादकता और संधारणीयता को बढ़ाने के लिए परियोजनाएं

पीएम-कुसुम योजना का एकीकरण
कृषि के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को प्रोत्साहित करना

प्रसंस्करण परियोजनाओं का एकीकरण
प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

1.2.2. एग्रीश्योर (स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष) योजना {AGRISURE (AGRI FUND FOR START-UPS & RURAL ENTERPRISES) SCHEME}

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **एग्रीश्योर (स्टार्ट-अप्स एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष) योजना** शुरू की गई।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों में **नवीन, प्रौद्योगिकी आधारित, उच्च जोखिम वाली और उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों** में सहायता करना।
- **वित्त-पोषण स्रोत:** भारत सरकार और **नाबार्ड।**
- **निवेश प्रबंधक: नबवेंचर्स (NABVENTURES) लिमिटेड,** जो कि नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- **वित्त-पोषण की अवधि:** 10 वर्ष।

अन्य उद्देश्य

- विविध वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs) में योगदान देकर **कृषि और ग्रामीण स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में अधिक निवेश आकर्षित** करना।
- कृषि उपज मूल्य श्रृंखला प्रणाली को मजबूत बनाने और कृषि-व्यवसाय के क्षेत्र में नए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए **लाभदायक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रणालियों के अवसरों को बढ़ावा देना।**
- ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए **अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना।**
- **युवा पीढ़ी को कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** 2022-23 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि सह-निवेश मॉडल के तहत मिश्रित पूंजी वाला एक कोष नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
  - इसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्ट-अप्स को वित्त-पोषित करना है, जो कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए उपयोगी है।
- **अपेक्षित लाभार्थी:** इस कोष की अवधि समाप्त होने तक लगभग 85 स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान की जाएगी।
  - कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रक में कार्य करने वाले स्टार्ट-अप्स में फिलहाल निम्नलिखित शामिल हैं:- कृषि-तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य स्टार्ट-अप्स।
- **कोष की कानूनी स्थिति:** कोष SEBI में **श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष** के रूप में पंजीकृत है।

एग्रीश्योर (AgriSURE) कोष की संरचना और प्रबंधन

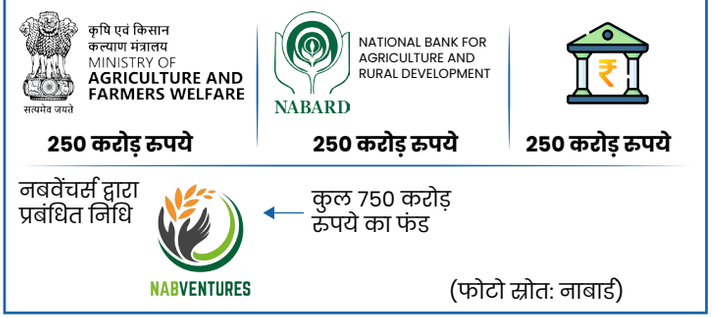

(फोटो स्रोत: नाबार्ड)

- **इस कोष के तहत दो योजनाएं शुरू की गई हैं:**
  - **एग्रीश्योर - फंड्स ऑफ़ फंड (FoF) योजना:**
    - **उद्देश्य:-श्रेणी I और श्रेणी II के ऐसे वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs)** का वित्त-पोषण करना जो आगे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों के स्टार्ट-अप्स में निवेश करते हैं।
    - **कुल आवंटन:** 450 करोड़ रुपये।
    - **किसी एक AIF में निवेश की अधिकतम सीमा:** AIF के कोष का **5 प्रतिशत या 25 करोड़ रुपये,** दोनों में से जो भी कम हो।
  - **एग्रीश्योर- प्रत्यक्ष योजना:**
    - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारत में निगमित और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक चरण के स्टार्ट-अप्स में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश करना।
    - **कुल आवंटन:** 300 करोड़ रुपये।
    - **किसी एक स्टार्ट-अप में निवेश की अधिकतम सीमा:** AIF विनियमों के अधीन 25 करोड़ रुपये।

1.2.3. क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CLUSTER DEVELOPMENT PROGRAMME: CDP)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

सरकार ने **बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म CDP-SURAKSHA** लॉन्च किया।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** बागवानी क्लस्टरों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाना। **उत्पादन पूर्व, उत्पादन के दौरान, कटाई के बाद, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों** के एकीकृत व बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **लाभ: मेगा क्लस्टर्स** के लिए 100 करोड़, **मिडी** के लिए 50 करोड़ और **मिनी** क्लस्टर्स के लिए 25 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)।

अन्य उद्देश्य

- **क्लस्टर विकास कार्यक्रम** का लक्ष्य **लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20% की वृद्धि करना तथा क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता** को बढ़ाने के लिए क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड बनाना है।

प्रमुख विशेषताएं

- **लाभार्थी:** मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी हितधारक, जिनमें किसान/ उत्पादक, व्यापारी, एग्रीगेटर, कृषि व्यवसाय उद्यम, लॉजिस्टिक अभिकर्ता, खुदरा विक्रेता और प्रोसेसर शामिल हैं।
- **क्लस्टर विकास कार्यक्रम का कवरेज:** यह कार्यक्रम पहचाने गए क्लस्टरों को बढ़ावा देगा और अतिरिक्त व संभावित क्लस्टरों के विकास में सहायता करेगा। **क्षेत्र कवरेज के आधार पर क्लस्टरों को मेगा, मिडी और मिनी** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क्लस्टर विकास कार्यक्रम

मेगा क्लस्टर	मिडी क्लस्टर	मिनी क्लस्टर
क्षेत्र: 15000 हेक्टेयर से अधिक	**क्षेत्र:** 5000-15000 हेक्टेयर तक	**क्षेत्र:** 5000 हेक्टेयर तक
वित्तीय सहायता की राशि: 100 करोड़ रुपये तक	**वित्तीय सहायता की राशि:** 50 करोड़ रुपये तक	**वित्तीय सहायता की राशि:** 25 करोड़ रुपये तक

- **कार्यक्रम की कार्यान्वयन संरचना में शामिल हैं:**
  - **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB):** वित्तीय सहायता प्रदान करना और कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करना।
  - **क्लस्टर विकास एजेंसी (CDA):** प्रत्येक पहचाने गए क्लस्टर के लिए, राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित एक सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को क्लस्टर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त किया जाएगा।
  - **क्लस्टर डेवलपमेंट सेल (CDC):** क्लस्टर विकास कार्यक्रम, कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए CDA के भीतर अधिकारियों की एक समर्पित टीम के साथ CDC की स्थापना करेगा।
  - **कार्यान्वयन एजेंसी/ एजेंसियों** का चयन क्लस्टर के विविध कार्य-क्षेत्रों के लिए खुले और पारदर्शी तरीके से प्रस्ताव आमंत्रण के माध्यम से किया जाएगा।
- **क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की गई मुख्य पहलें**
  - **उत्पादन-पूर्व और उत्पादन के दौरान:** इसमें रोपण सामग्री, फसल-देखभाल पद्धतियां और फसल की कटाई तक कृषि मशीनीकरण शामिल हैं।
  - **कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन:** यह पहल क्लस्टर स्तर पर उपायों का समर्थन करेगी। इसमें फसल की कटाई के बाद की देखभाल से लेकर भंडारण, मूल्य संवर्धन और पैकेजिंग तक शामिल हैं।
  - **लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और ब्रांडिंग:** यह पहल क्लस्टर उत्पादों को उपभोग बाजारों से जोड़ने के लिए उपायों का समर्थन करेगी। इसमें दक्ष निकासी, क्लस्टर ब्रांडिंग और घरेलू व निर्यात बाजारों में पहुंच के लिए निर्बाध लॉजिस्टिक्स शामिल हैं।
  - **क्लस्टर विकास कार्यक्रम सुरक्षा:** यह नया प्लेटफॉर्म NPCI से e-RUPI वाउचर का उपयोग करके किसानों को उनके बैंक खातों में सब्सिडी के तत्काल वितरण की अनुमति देता है।

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

1.2.4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) कैफेटेरिया स्कीम {Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) Cafeteria Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** के तहत संचालित सभी **केंद्र प्रायोजित** योजनाओं को **दो-मुख्य योजनाओं के तहत लाने को मंजूरी दी है। ये दो मुख्य योजनाएं हैं: प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY); और कृषोन्नति योजना (KY)।**

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** PM-RKVY के तहत **संधारणीय कृषि** को बढ़ावा देना।
- **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **कवरेज:** सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश RKVY-RAFTAAR के तहत वित्त-पोषण के लिए पात्र हैं।
- **राज्यों को लचीलापन:** राज्य अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और **कृषि-जलवायु आवश्यकताओं** के अनुसार योजना के तहत परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का चयन कर सकते हैं।

अन्य उद्देश्य

- **फसल-पूर्व एवं फसल कटाई के पश्चात की आवश्यक कृषि-अवसंरचना के निर्माण** के माध्यम से किसान के प्रयासों को और मजबूती देना
- स्थानीय/ किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार **योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन के लिए राज्यों को स्वायत्तता एवं लचीलापन** प्रदान करना।
- **मूल्य श्रृंखला संवर्धन से संबंधित उत्पादन मॉडल को बढ़ावा देना,** जो किसानों को उनकी आय में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ उत्पादकता को प्रोत्साहित करने में सहायता भी प्रदान करेगा।
- आय सृजन करने वाली अतिरिक्त गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ-साथ **किसानों के आय संबंधी जोखिम को कम करना।**
- विविध उप-योजनाओं के माध्यम से **राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भागीदारी सुनिश्चित करना।**
- **कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता** आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना, जिससे वे कृषि की ओर आकर्षित हों।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** RKVY को **2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों के समग्र विकास** के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में आरंभ किया गया था।
  - 2017 में इस योजना को **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों के पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (RKVY-RAFTAAR)** का नाम दिया गया था।
  - इसे **2022-23 के बाद** से कृषि और किसान कल्याण विभाग की कुछ योजनाओं को विलय करके **RKVY कैफेटेरिया स्कीम के रूप में पुनर्गठित** किया गया।
- **राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति (SLSC):** SLSC में अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों को धनराशि जारी की जाती है। गौरतलब है कि संबंधित राज्य के मुख्य सचिव द्वारा SLSC की अध्यक्षता की जाती है।
- **राज्यों के लिए दायित्व:** राज्यों के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं:
  - घटकों/ दिशा-निर्देशों से कोई भटकाव नहीं;
  - **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला लाभार्थियों के लिए संसाधनों का आवंटन तथा निगरानी एवं डेटाबेस बनाए रखना।**
- **राज्यों को फंड उपयोग की स्वायत्तता:** राज्य सरकारों को अपनी राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार एक घटक से दूसरे घटक में फंड को फिर से आवंटित करने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग

पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए, इस योजना के तहत फंड शेयरिंग का पैटर्न 90:10 है;

अन्य सभी राज्यों के लिए, केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग का पैटर्न 60:40 है;

केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100% अनुदान का प्रावधान किया गया है।

- **नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम:**
  - इसके तहत **कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक के उद्यमियों को अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
    - » इस कार्यक्रम के तहत **अनुदान के रूप में आइडिया/ प्री-सीड चरण** में 5 लाख रुपये और **सीड चरण में** 25 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं।
    - » वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत अब तक **1500 से अधिक कृषि-स्टार्टअप को सहायता** दी जा चुकी है।
  - DA&FW ने **देश भर में उत्कृष्टता केंद्र** के रूप में पांच नॉलेज पार्टनर्स (KPs) और **देश भर से 24 RKVY-RAFTAAR एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (R-ABIs)** का चयन किया है। इन्हें **कृषि-स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए** चुना गया है।

पांच नॉलेज पार्टनर्स (KPs)

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (MANAGE), हैदराबाद	राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (NIAM), जयपुर	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) पूसा, नई दिल्ली	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़, कर्नाटक	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट, असम

RKVY कैफेटेरिया स्कीम के तहत विलय की गई प्रमुख योजनाएं

- **मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता:** इसके तहत मृदा परीक्षण आधारित एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों, जैविक उर्वरकों और बायो फर्टिलाइजर का एक साथ उपयोग किया जाता है।

- **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (Rainfed Area Development):** इसका लक्ष्य बहुफसली, चक्रीय फसल, अंतरफसल और मिश्रित फसल पर बल देते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) को बढ़ावा देना है।
- **परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY):**
  - जैविक (ऑर्गेनिक) खेती करने वाले किसानों को क्लस्टर एप्रोच द्वारा उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तक की **संपूर्ण प्रक्रिया में सहायता** प्रदान करना।
  - इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य **ऑर्गेनिक क्लस्टर्स (पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा) का निर्माण करना है,** ताकि विपणन पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ **मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में किसानों की मदद की जा सके।**
- **प्रति बूंद अधिक फसल (Per Drop More Crop):** इसके अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- **कृषि वानिकी (Agroforestry):** यह कृषि वानिकी पर उप-मिशन (Sub-Mission on Agroforestry: SMAF) की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना का नया संस्करण है।
  - **योजनावधि:** 2021-22 से 2025-26 तक
  - **विशेष ध्यान:** प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (Quality Planting Material: QPM) के उत्पादन पर।
  - **ICAR-केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान QPM** के उत्पादन, नर्सरी की स्थापना आदि के संबंध में तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी है।
- फसल अवशेषों के प्रबंधन (CRM) सहित कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।
- **फसल विविधीकरण कार्यक्रम:** जल गहन धान की फसल के क्षेत्रों में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करना।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) घटक**
- **कृषि स्टार्टअप के लिए एक्सेलेरेटर फंड**

परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)

वित्तीय सहायता
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 3 वर्षों के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किया जाता है, जिसमें से 31,000 प्रति हेक्टेयर सीधे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दिया जाता है।

जैविक प्रमाणन
NCONF के माध्यम से ऑनलाइन सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS) प्रमाणन

भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)
प्रारंभ में 8 राज्यों में शुरू किया गया।
अब इसे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के रूप में लागू किया गया है।
पूरे भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है।

प्रति बूंद अधिक फसल

सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता

लघु और सीमांत किसान के लिए **55 फीसदी की दर**

अन्य किसानों के लिए: **45 फीसदी की दर**

अतिरिक्त लाभ

पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 25% अधिक इकाई लागत

सूक्ष्म सिंचाई की कम पहुंच वाले राज्यों के लिए 15% अधिक इकाई लागत

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

1.2.5. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (National Mission on Edible Oils - Oil Palm: NMEO-OP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

NMEO-OP के तहत अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया।

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य:** खाद्य तेलों पर **आयात बोझ को कम** करना।
- **विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र:** पूर्वोत्तर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह।
- **अवधि: वर्ष 2025-26 तक।**

अन्य उद्देश्य

- **पाम ऑयल क्षेत्र के विस्तार का उपयोग** करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इस मिशन को 2021 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM-ऑयल पाम प्रोग्राम) के ऑयल पाम विकास कार्यक्रम को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया।
- **दो प्रमुख फोकस क्षेत्र:**
  - **मूल्य आश्वासन:** पहली बार, भारत सरकार पाम ऑयल किसानों को ताजे फलों के गुच्छों के लिए मूल्य आश्वासन प्रदान करेगी। इसे **व्यावहार्यता मूल्य (Viability Price: VP)** के रूप में जाना जाएगा। ध्यातव्य है कि इन्हीं फलों के गुच्छों से तेल निकाला जाता है।
    - यह किसानों को **अंतर्राष्ट्रीय कच्चे पाम ऑयल की कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाएगा** और उन्हें मूल्य अस्थिरता से सुरक्षित रखेगा।
  - **इनपुट/ उपायों में सहायता में वृद्धि:** रोपण सामग्री, फसल तैयार होने के **4 वर्ष तक इंटर-क्रॉपिंग के लिए इनपुट और रखरखाव, सीड गार्डन्स की स्थापना, नर्सरी, बोरवेल/ पंप सेट/ जल संचयन संरचना** आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- **दक्ष जल प्रबंधन:** ऑयल पाम में **सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण** को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
- **खेती के लिए क्षेत्र: ICAR - भारतीय ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान (IIOPR)** 2020 ने ऑयल पाम की खेती के लिए लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षमता का आकलन किया है।

राष्ट्रीय पाम ऑयल रणनीति: 2025-26

पाम ऑयल के उत्पादन क्षेत्र का विस्तार

वर्तमान उत्पादन क्षेत्र 3.50 लाख हेक्टेयर → लक्षित उत्पादन क्षेत्र 10 लाख हेक्टेयर

विस्तार विवरण:
- **सामान्य राज्यों के लिए:** 3.22 लाख हेक्टेयर
- **पूर्वोत्तर राज्यों के लिए:** 3.28 लाख हेक्टेयर

उत्पादन लक्ष्य

कूड पाम आयल **11.20 लाख टन**

मुख्य बिंदु:
- उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि
- **उत्पादन क्षेत्र** विस्तार रणनीति के अनुरूप

उपभोग की रणनीति

प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 19.00 किलोग्राम

रणनीति:
- उपभोग स्तर को निरंतर बनाए रखना,
- जागरूकता अभियान चलाना।

- **योजना की वर्तमान स्थिति:** यह योजना वर्तमान में देश भर के 15 राज्यों में संचालित है। इस योजना अंतर्गत **21.75 लाख हेक्टेयर संभावित क्षेत्र** शामिल है।

ऑयल पाम के बारे में

- ऑयल पाम की उत्पत्ति **पश्चिम अफ्रीका** से हुई है और इसकी **प्रति हेक्टेयर वनस्पति तेल उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है।**
- इसके तहत दो अलग-अलग ऑयल का उत्पादन किया जाता है, अर्थात् पाम **ऑयल और पाम कर्नेल ऑयल,** जिनका उपयोग पाककला और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- भारत कुल खाद्य तेल का **57% आयात** करता है।
- घरेलू उत्पादन लगभग **12.4 मिलियन टन (MT) है,** जबकि लगभग **16.5 मिलियन टन (MT) आयात किया जाता है।**

1.2.6. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

वित्त वर्ष 2023-24 में PMFBY के तहत नामांकन में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 27% की वृद्धि दर्ज की गई है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद की अवधि** तक व्यापक फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करना।
- **प्रकार:** यह **एक केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **प्रकृति:** यह योजना कर्जदार किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगी।
- **लाभार्थी: अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले बटाईदारों / काश्तकार किसानों सहित सभी किसान।**

अन्य उद्देश्य

- अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि/ क्षति से पीड़ित **किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आय को स्थिर करना।**
- **नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों और फसल विविधीकरण को अपनाना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: PMFBY राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित NAIS** योजनाओं को प्रतिस्थापित करेगा।
  - **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)** अभी भी जारी है।
  - **RWBCIS, फसल की पैदावार के लिए "प्रॉक्सी" के रूप में मौसम के मापदंडों का उपयोग** करता है, ताकि किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जा सके।
- **रबी और खरीफ के अंतर्गत आने वाली फसलें:** सभी अनाज, मिलेट्स, दालें और तिलहन।
- प्रीमियम का भुगतान **बीमित राशि के प्रतिशत या बीमांकिक प्रीमियम दर (APR) के रूप में (जो भी कम हो)** किया जाता है।
  - **APR बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर है।**
- **किसान द्वारा देय प्रीमियम की दर:**

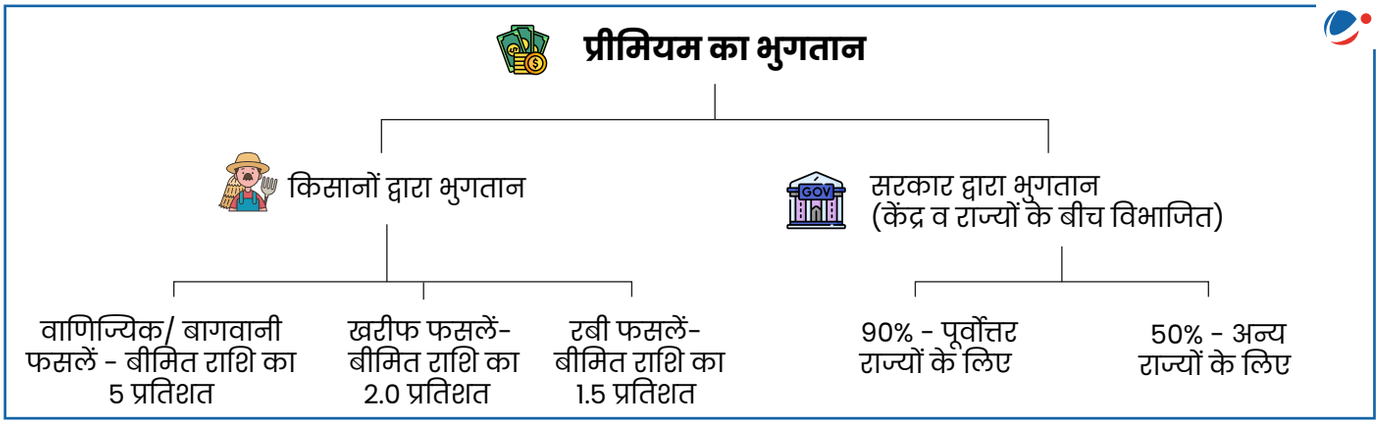

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

- **फसलों की बीमित राशि:**
  - **MSP वाली फसलें:** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर राष्ट्रीय औसत उपज का या तो वित्तीय-मान या जिला स्तर पर मूल्य का चयन** कर सकते हैं।
  - **बिना MSP वाली फसलें:** जिन फसलों के लिए MSP घोषित नहीं किया जाता है, उन फसलों हेतु फार्म गेट प्राइस (खेत पर) ही स्वीकार किया जाएगा।

PMFBY के तहत शुरू की गई अन्य प्रमुख पहलें

- **डिजीक्लेम:** डिजीक्लेम के तहत सभी दावों का बीमा कंपनी की बजाय **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के जरिए आंकलन** किया जाता है। इसे सीधे **किसानों के खातों में भुगतान** किया जाता है। हालांकि, दावों के निपटान पर किसान को एक लिंक के साथ एक SMS भेजा जाता है।
- **मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम्स (WINDS) पोर्टल:** यह एक केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म है। यह **अति स्थानीय मौसम संबंधी डेटा को होस्ट, मैनेज व प्रोसेस** करता है। यह पोर्टल फसल बीमा में जोखिम आंकलन में सुविधा प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली (YES-TECH) मैनुअल:** यह एक तकनीक संचालित उपज अनुमान प्रणाली है। यह ग्राम पंचायत स्तर पर उपज का सटीक आकलन करता है।
- **फॉरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रो-मेटेरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्सर्वेशंस (FASAL) परियोजना** शुरू की गई है।
- **कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGPA):** इसे सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग के जरिए कृषि से संबंधित जानकारी तक समय पर पहुंच हेतु आरंभ किया गया है। वर्तमान में इसे डिजिटल कृषि मिशन में एकीकृत कर दिया गया है।
- **इसरो का भू-प्लेटफॉर्म 'भुवन':** यह प्लेटफॉर्म वृक्षारोपण, कीट निगरानी और मौसम से संबंधित डेटा प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली (NADAMS):** इसे कृषि सूखे के आकलन के लिए शुरू किया गया है।
- **CROPIC:** फसलों के रियल टाइम पर्यवेक्षण और फोटो का संग्रह।
- **डोर टू डोर नामांकन ऐप AIDE/ सहायक**

PMFBY: व्यापक फसल जोखिम कवरेज

संपूर्ण जोखिम सुरक्षा

कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी/ मौसम स्थितियों के कारण **बुवाई/ रोपण/ अंकुरण में देरी से जुड़े जोखिम।**

खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक):
रोकथाम नहीं किए जा सकने योग्य जोखिमों, जैसे-सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलप्लावन आदि के कारण उपज हानि के लिए बीमा कवर।

फसल कटाई के बाद नुकसान:
ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा जैसे विशिष्ट खतरों के लिए बीमा कवरेज केवल **फसल कटाई से अधिकतम दो सप्ताह की अवधि तक उपलब्ध** है।

स्थानीय आपदाएं: ओला-वृष्टि, भूस्खलन जैसी स्थानीय आपदाओं के घटित होने से नुकसान/ क्षति।

वन्यजीव से होने वाले नुकसान के लिए अतिरिक्त कवरेज
राज्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमलों के कारण होने वाली क्षति के लिए कवरेज प्रदान कर सकते हैं।

कवरेज में शामिल नहीं:

निम्नलिखित घटनाओं से होने वाले नुकसान को कवरेज प्राप्त नहीं है
- युद्ध के कारण नुकसान
- जानबूझकर नुकसान
- नाभिकीय जोखिमों से होने वाले नुकसान
- टाले जा सकने वाले खतरों से होने वाले नुकसान

1.2.7. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-KISAN)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

पिछले साल 1 लाख से अधिक किसानों ने स्वेच्छा से अपने पी.एम. किसान योजना का लाभ छोड़ दिया।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** अलग-अलग कृषि आदानों (इनपुट्स) की खरीद के लिए सभी भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **लाभार्थी:** कुछ अपवादों को छोड़कर **सभी भूमि-धारक किसान।**
- **लाभ:** इसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष, प्रत्येक चार महीने में **2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये** दिए जाते हैं।

अन्य उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य **सभी पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता** प्रदान करना है। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- **लाभार्थी कृषक परिवारों की पहचान:** इनकी पहचान **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश** सरकार द्वारा की जाती है।
- **स्व-पंजीकरण तंत्र: मोबाइल ऐप, पी.एम. किसान पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) में जाकर।**
- **अनिवार्य भूमि अभिलेख/ स्वत्वाधिकार (Land records):** इस योजना का लाभ केवल **उन्हीं कृषक परिवारों को मिलेगा, जिनके नाम भू-अभिलेखों में दर्ज हैं।** इसके अपवाद हैं- **वन निवासी तथा पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड,** जहां भूमि अभिलेखों के लिए अलग प्रावधान हैं।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): पी.एम.-किसान के सभी** लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) दिए जाएंगे। **KCC के जरिए समय पर पुनर्भुगतान करने पर अधिकतम 4% ब्याज** के साथ फसल और पशु/ मछली पालन के लिए ऋण दिया जाता है।
- **धन के विचलन या दुरुपयोग की रोकथाम: भौतिक सत्यापन** मॉड्यूल (5% लाभार्थियों का), **आधार प्रमाणीकरण और आयकर दाता सत्यापन।**

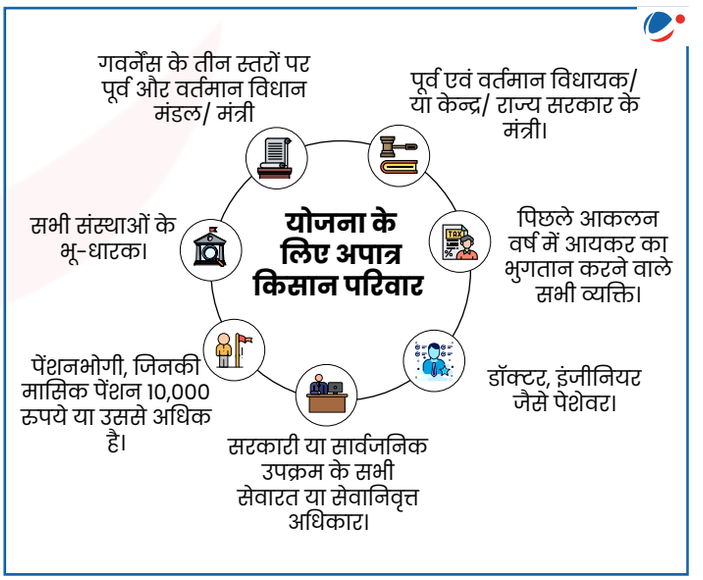

- **परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU):** PMU को केंद्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है। यह योजना की समग्र निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
  - राज्य सरकार योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए एक **समर्पित** PMU स्थापित करने पर विचार कर सकती है।
- **शिकायत निवारण:** निगरानी और शिकायत निवारण समिति को प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत या प्रतिवेदन को **दो सप्ताह के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।**
- **योजना से बाहर रखे गए किसान:** ऐसे किसान **जिनकी आय अधिक है** वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

1.2.8. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन {Formation and Promotion of 10,000 New Farmer Producer Organizations (FPOs)}

सुर्ख़ियों में क्यों ?

देशभर में ग्राहकों को ऑनलाइन उपज बेचने के लिए 5,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) पोर्टल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** सदस्यों के लिए **इकोनॉमी ऑफ़ स्केल और बाजार पहुंच** में सुधार करना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **लाभार्थी: FPOs के सदस्यों की न्यूनतम संख्या** मैदानी क्षेत्रों में 300 तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी (IAs):** 9 कार्यान्वयन एजेंसियां, FPOs का गठन करने में मदद करेंगी।

अन्य उद्देश्य

- वर्ष 2027-28 तक **10,000 नए FPOs का गठन और संवर्धन** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- FPO एक सामान्य नाम है। FPOs में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनियां (FPCs) तथा राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसान सहकारी समितियां शामिल हैं।
  - इनका गठन **कृषि और संबद्ध क्षेत्रक के उत्पादन व विपणन** लागत में आनुपातिक रूप से बचत करते हुए **सामूहिक लाभ** के उद्देश्य से किया जाता है।
- **दृष्टिकोण:** FPO का गठन और संवर्धन **उपज क्लस्टर क्षेत्र दृष्टिकोण तथा विशेषीकृत जिंस आधारित दृष्टिकोण** पर आधारित है। साथ ही, विशेषीकरण के विकास के लिए **"एक जिला एक उत्पाद"** पर ध्यान देना।
- **बेहतर मूल्य प्राप्ति:** इसके अलावा, FPOs को **राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) प्लेटफॉर्म** से जोड़ा जाता है, जो पारदर्शी पद्धति से उत्पाद के मूल्य निर्धारण के द्वारा कृषि उत्पादों की ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है।
- **FPOs का प्रशिक्षण:** FPOs की क्षमता के निर्माण के रूप में चुने गए प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं:
  - **बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान (BIRD),** लखनऊ
  - **लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी** (LINAC), गुरुग्राम।

FPOs को वित्तीय सहायता

संचालन कार्यों के लिए अनुदान
FPOs को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति FPO 18 लाख रुपये

समतुल्य इक्विटी अनुदान
प्रति किसान सदस्य को 2,000 रुपये (प्रति FPO 15 लाख रुपये तक)

क्रेडिट गारंटी
प्रति FPO 2 करोड़ रुपये के परियोजना ऋण

- **संस्थागत ढांचा**
  - **राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (NPMA):** यह समग्र परियोजना के मार्गदर्शन, समन्वय, FPOs से संबंधित सूचनाओं के संकलन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के रखरखाव और निगरानी के उद्देश्य के लिए अधिदेशित है।
  - **जिला स्तरीय निगरानी समिति (D-MC):** जिले में योजना के कार्यान्वयन का समग्र समन्वय और निगरानी करेगी। यह जिला कलेक्टर/ CEO/ जिला परिषद की अध्यक्षता में होगी।

2 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS)

2.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

2.1.1 प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana: PM-BJP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने **जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम** की शुरुआत की।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** आम नागरिकों को **किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां** उपलब्ध कराना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **खुदरा बिक्री केंद्र:** PMBJAK नामक समर्पित दुकानों के जरिए सभी नागरिकों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाती है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI)।

अन्य उद्देश्य

- **गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं का कवरेज बढ़ाना,** ताकि दवाओं पर अपनी जेब से होने वाले व्यय को कम किया जा सके।
- शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से **जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करना,** ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय न बने।
- प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) केंद्र स्थापित करके तथा व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके **रोजगार के अवसरों का सृजन करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 2015 में, **'जन औषधि योजना'** को **'प्रधान मंत्री जन औषधि योजना' (PMJAY)** के रूप में बदल दिया गया था। इसे 2016 में फिर से PMBJP का नाम दे दिया गया था।
- **उत्पाद बास्केट:** इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए **विविध आयुर्वेदिक उत्पाद; तथा सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों** (जैसे- कार्डियोवैस्कुलर, एंटी-कैंसर, एंटी-डायबिटिक, एंटी-इंफेक्टिव्स, एंटी-एलर्जिक आदि) **को कवर करने वाली दवाइयां और शल्य चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।**
- **PMBJP के तहत आने वाले उत्पाद बास्केट**
  - इसमें निम्नलिखित उत्पाद शामिल हैं-
    - रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए **विविध आयुर्वेदिक उत्पाद; तथा**
    - **सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों** (जैसे- कार्डियोवैस्कुलर, एंटी-कैंसर, एंटी-डायबिटिक, एंटी-इंफेक्टिव्स, एंटी-एलर्जिक आदि) **को कवर करने वाली दवाइयां और शल्य चिकित्सा उपकरण।**
- **PMBI:** इसे फार्मा क्षेत्रक के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSUs) द्वारा **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वतंत्र सोसायटी** के रूप में स्थापित किया गया है।

- **PMBJP के तहत गुणवत्ता सुनिश्चित करने की रणनीति**
  - दवाएं केवल **विश्व स्वास्थ्य संगठन-गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (WHO-GMP), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) तथा CE प्रमाणित** आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदी जाती हैं।
  - दवाओं को **'नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज' (NABL)** द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।
  - **लोकप्रिय ब्रांडेड दवाओं के साथ नियमित रूप से गुणवत्ता आधारित तुलना** की जाती है।
  - SAP आधारित इन्वेंट्री प्रबंधन और पूर्वानुमान प्रणाली।
  - दवाओं की आपूर्ति में विफलता के लिए **विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ निर्माताओं को ब्लैकलिस्ट करने/ प्रतिबंधित** करने की प्रणाली अपनाई जाती है। साथ ही, देरी से डिलीवरी के लिए जुर्माना भी लगाया जाता है।

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलें

- **जन औषधि 'सुविधा' सैनिटरी नैपकिन:** सैनिटरी नैपकिन **1 रुपया प्रति पैड** की दर से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य **"स्वच्छ भारत और हरित भारत"** के लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि ये पैड **ऑक्सोबायोडिग्रेडेबल** होते हैं।
- **जन औषधि सुगम ऐप:** यह **गूगल मैप के जरिए आस-पास के जन औषधि केंद्रों का पता लगाने, उपलब्ध जन औषधि जेनेरिक दवाओं का पता लगाने** आदि की सुविधा प्रदान करता है।

PMBJP केंद्र मालिकों को प्रोत्साहन

मासिक प्रोत्साहन

प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपये है
यह मासिक खरीद के **15% या अधिकतम 15,000 रुपये प्रतिमाह उच्चतम सीमा** के अधीन है। (यह प्रोत्साहन अप्रैल 2021 से लागू है)

एकमुश्त विशेष सहायता

फर्नीचर और IT उपकरण के लिए अधिकतम **2 लाख रुपये पात्र श्रेणियां:**
- महिला उद्यमी,
- दिव्यांग,
- SC एवं ST
- नीति आयोग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों

2.1.2. फार्मास्युटिकल्स उद्योग को मजबूत बनाना (SPI) योजना {Strengthening of Pharmaceuticals Industry (SPI) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने **"संशोधित फार्मास्युटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (RPTUAS)"** की घोषणा की है। **"फार्मास्युटिकल उद्योग का सुदृढ़ीकरण (SPI)" योजना** का एक घटक है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** भारत को फार्मा क्षेत्र में **ग्लोबल लीडर** के रूप में स्थापित करना।
- **परियोजना प्रबंधन सलाहकार:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
- **योजनावधि:** वित्त वर्ष **2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-26** तक।
- **परियोजनाओं की स्वीकृति:** औषध विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली **योजना संचालन समिति (SSC)** द्वारा।

अन्य उद्देश्य

- साझा सुविधाओं के निर्माण के लिए फार्मा क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके **मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधाओं को मजबूत** करना।
- **फार्मा इकाइयों की उत्पादन सुविधाओं को उन्नत** करना। इससे वे **संशोधित अनुसूची M और WHO-GMP प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सक्षम** हो जाएंगे।
- अध्ययन करके, डेटाबेस बनाकर और उद्योग जगत के लीडर्स, शिक्षाविदों एवं नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर **फार्मास्युटिकल तथा मेडिकल डिवाइस उद्योग के बारे में ज्ञान व जागरूकता को बढ़ावा देना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:**
  - भारतीय दवा उद्योग **उत्पादन की मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा उद्योग है**।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर **यूनाइटेड स्टेट्स फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) द्वारा अनुमोदित दवा उत्पादन संयंत्रों की दूसरी सबसे अधिक संख्या** भारत में है।
- **साझा सुविधाएं:** साझा उपयोग के लिए सभी सुविधाएं, उदाहरण के लिए- प्रशिक्षण केंद्र; अनुसंधान एवं विकास केंद्र; आदि।

योजना के घटक:

- **साझा सुविधाओं के लिए दवा उद्योग को सहायता (API-CF):**
  - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य साझा सुविधाएं बनाकर सतत विकास के लिए मौजूदा दवा क्लस्टरों की क्षमता को मजबूत करना है।
  - **लाभार्थी:** एक क्लस्टर में **दवा निर्माण इकाइयां ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV)** बनाया है। इसमें **कम-से-कम 5 फार्मा इकाइयां SPV की सदस्य** होनी चाहिए। **राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित फार्मा क्लस्टर।**
  - **सहायता: अनुमोदित परियोजना लागत का 70%** (हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90%) या **20 करोड़ रुपये,** जो भी कम हो।
- **संशोधित फार्मास्युटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (RPTUAS):**
  - **उद्देश्य:** संशोधित **शेड्यूल-M और विश्व स्वास्थ्य संगठन-गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (WHO-GMP)** मानकों के अनुरूप फार्मास्युटिकल उद्योग में सुधार करना है।
  - **पात्रता मानदंड:** ऐसी कोई भी **फार्मास्युटिकल विनिर्माण इकाई, जिसे प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता अपग्रेडेशन** की आवश्यकता है। इसमें **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्राथमिकता** दी जाएगी।
  - **प्रोत्साहन:** प्रोत्साहन के लिए पात्र गतिविधियों में **वाटर और स्टीम यूटीलिटीज़, परीक्षण प्रयोगशालाएं, स्टेबिलिटी चैंबर्स, अपशिष्ट प्रबंधन** आदि शामिल हैं।
  - **वित्त-पोषण हेतु विकल्प में लचीलापन:** इसमें पारंपरिक **क्रेडिट-लिंक्ड सहायता की तुलना में प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के आधार पर सब्सिडी** पर बल दिया जाता है।
  - **सत्यापन:** जवाबदेही के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा प्रबंधित।
- **फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास योजना (PMPDS):**
  - **उद्देश्य:** निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक के विकास व वृद्धि का समर्थन करना:
    - अध्ययन/ सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने,
    - डेटाबेस बनाने और
    - उद्योग को बढ़ावा देने।

3 नागर विमानन मंत्रालय (MINISTRY OF CIVIL AVIATION)

3.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

3.1.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/ क्षेत्रीय संपर्क योजना {Ude Desh Ka Aam Naagrik (UDAN)/ Regional Connectivity Scheme (RCS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS)-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के आठ वर्ष पूरे हुए।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश के दूर-दराज व अपनी क्षमता से कम उपयोग वाले हवाई अड्डों से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना; संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना; तथा जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **एयरलाइनों को सहायता:** रियायत और व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण (VGF) के रूप में।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)।

अन्य उद्देश्य

- विशेष रूप से भारत के **निम्न कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में फ्लाइट अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी में सुधार** करना, ताकि आम जनता के लिए **हवाई यात्रा वहनीय** बनाई जा सके।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: इसे राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP), 2016** के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य **वित्तीय सहायता और अवसंरचना विकास के जरिए क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी** को बढ़ावा देना है।
- **सब्सिडी वाली सीटें:**
  - **उदाहरण के लिए,** उड़ान-5.3 के तहत, 501 किलोमीटर से 525 किलोमीटर की दूरी के लिए **हवाई किराया अधिकतम 3,828 रुपये निर्धारित किया गया है।**
  - उड़ान 5.0 के तहत **600 कि.मी. की ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है** और उड़ान की शुरुआत एवं गंतव्य स्थान के बीच की दूरी पर कोई सीमा नहीं है।
- **क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी फंड (RCF):** इसे क्षेत्रीय मार्गों पर वायु परिवहन के लिए रियायतें/ VGF प्रदान करने हेतु सभी घरेलू उड़ानों पर प्रति **प्रस्थान लेवी या शुल्क द्वारा वित्त-पोषित** किया जाएगा।
  - इसके तहत **2022 तक घरेलू उड़ान टिकटों की संख्या को 30 करोड़ तथा 2027 तक 50 करोड़** करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **मांग और बाजार आधारित मॉडल: राज्य सरकारों द्वारा निःशुल्क सुरक्षा और अग्निशमन सेवा, रियायती दरों पर सुविधाएं, RCS विमान पत्तनों के लिए निःशुल्क भूमि** आदि प्रदान किया जाना अनिवार्य है।
- **उड़ान 4.0:** पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को हेलीकॉप्टर और सीप्लेन के साथ जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना।

- **उड़ान (UDAN) के तहत प्रमुख पहलें**
  - **कृषि उड़ान:** इसका उद्देश्य **कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता** करना है, ताकि अपने कृषि उत्पादों के लिए उन्हें उचित मूल्य मिल सके। इसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों और देश के जनजातीय बहुल जिलों के किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना (IACS):** इसका उद्देश्य **अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कनेक्टिविटी स्थापित करने संबंधी राज्य सरकारों के अनुरोधों पर विचार कर उनकी सहायता** करना है

उड़ान योजना

उड़ान 5.0
इसमें योजना में शामिल होने की 600 किलोमीटर की दूरी संबंधी सीमा हटा दी गई है। संचालन के लिए तैयार हवाई अड्डों को प्राथमिकता दी गई है।

उड़ान 5.1
इसमें अधिक वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के साथ हेलीकॉप्टर मार्गों का विस्तार किया गया और हवाई किराए की ऊपरी सीमा को कम किया गया है।

उड़ान 5.2
इसमें लघु विमानों (20 सीटों से कम) पर ध्यान केंद्रित किया गया है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए परिचालन में कुछ छूट दी गई है।

उड़ान 5.3 और 5.4
इसके तहत बंद किए गए उड़ान मार्गों की समस्याओं का समाधान किया गया है, ताकि सभी ऑपरेटर श्रेणियों में पॉइंट-टू-पॉइंट हवाई संपर्क बढ़ाया जा सके।

"You are as strong as your Foundation"
FOUNDATION COURSE
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS
2026, 2027 & 2028
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam
- Includes Pre Foundation Classes
- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2026, 2027 & 2028

Live - online / Offline Classes
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI :10 APR, 8 AM | 17 APR, 5 PM | 22 APR, 11 AM 29 APR, 2 PM
GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 17 APR, 6 PM | 30 APR, 8 AM
हिन्दी माध्यम DELHI: 10 अप्रैल, 8 AM | 22 अप्रैल, 11 AM
AHMEDABAD: 4 JAN | BENGALURU: 1 APR | BHOPAL: 25 MAR | CHANDIARH: 18 JUN
HYDERABAD: 23 APR | JAIPUR: 5 APR | JODHPUR: 15 APR | LUCKNOW: 9 APR | PUNE: 8 APR

4 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY)

4.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme)

4.1.1 उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (उन्नति 2024) {Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme, 2024 (UNNATI 2024)}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों का विकास एवं रोजगार का सृजन करना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **अवधि:** यह योजना 2034 तक के लिए है, जिसमें **8 वर्ष की प्रतिबद्ध देयता या जवाबदेही** शामिल है।
- **नोडल एजेंसी:** प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFi)।

अन्य उद्देश्य

- सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए **स्थायी आय वाला रोजगार सृजित करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- औद्योगिक विस्तार को समर्थन देने तथा **विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों में परिचालन को सुचारू बनाने के लिए प्रोत्साहन** प्रदान करना।
- **योजना का प्रारंभ और अवधि:**
  - **पंजीकरण अवधि:** औद्योगिक इकाइयां अधिसूचना की तिथि से **31 मार्च, 2026** तक पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  - **उत्पादन या संचालन की शुरुआत:** सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को **पंजीकरण होने के 4 वर्ष के भीतर अपना उत्पादन या संचालन शुरू** करना होगा।
- **जिलों को दो क्षेत्रों (Zones) में वर्गीकृत किया गया है:**
  - **जोन A:** औद्योगिक रूप से विकसित जिले
  - **जोन B:** औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले
- **निधियों का आवंटन:** भाग A के परिव्यय का 60 प्रतिशत 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जबकि शेष 40% फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (FIFO) आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता (आवश्यक न्यूनतम निवेश)

- **विनिर्माण क्षेत्रक:** प्लांट और मशीनरी में न्यूनतम 1 करोड़ रुपये।
- **सेवा क्षेत्रक:** भवन और अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये।
- **सूक्ष्म उद्योग:** विनिर्माण और सेवा, दोनों क्षेत्रकों में न्यूनतम 50 लाख रुपये।

योजना के तहत अधिकतम लाभ प्राप्ति: योजना के सभी घटकों के तहत किसी एकल यूनिट के लिए अधिकतम 250 करोड़ रुपये।

योजना के घटक

पूंजी निवेश प्रोत्साहन (CII)	केंद्रीय ब्याज छूट सहायता (CIS)	विनिर्माण एवं सेवा-से-संबद्ध प्रोत्साहन (MSLI)
यह प्रोत्साहन नई और विस्तारित दोनों इकाइयों के लिए उपलब्ध है।	नई और विस्तारित, दोनों इकाइयों के लिए वित्तीय राहत प्रदान करता है।	इसके लिए केवल नई इकाइयों वाले व्यवसाय ही पात्र होंगे।

5 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

5.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

5.1.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 {NATIONAL FOOD SECURITY ACT (NFSA), 2013}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय कैबिनेट ने PMGKAY, 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' और पी.एम. पोषण के तहत दिसंबर 2028 के अंत तक फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को बरकरार रखने को मंजूरी दी।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **योजना का उद्देश्य:** एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर **खाद्य और पोषण सुरक्षा** प्रदान करना।
- **कवरेज:** देश की आबादी का **67% (ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50%) हिस्सा।**
- **लाभार्थी परिवारों की पहचान:** वित्त वर्ष 2011-12 के लिए **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS)-परिवार द्वारा उपभोग के सर्वेक्षण संबंधी डेटा** के आधार पर।

अन्य उद्देश्य

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडी वाली दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए **"पात्र परिवारों"** के संबंधित व्यक्तियों को **कानूनी अधिकार प्रदान** करना। सब्सिडी वाली दरों यानी सब्सिडीकृत मूल्य को ही **केंद्रीय निर्गम मूल्य** (Central Issue Price: CIP) कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु

खाद्यान्न संबंधी लाभ

केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP):
- चावल: 3 रुपये प्रति किलोग्राम
- गेंहू: 2 रुपये प्रति किलोग्राम
- मोटा अनाज: 1 रुपये प्रति किलोग्राम

प्रति माह सहायता:
- प्राथमिकता वाले परिवारों (PHHs): 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY): प्रति परिवार 35 कि.ग्रा.

जीवन चक्र सहायता

लाभार्थी
- गर्भवती महिलाएं
- स्तनपान कराने वाली माताएं (PW&LM) तथा
- बच्चे (6 माह-14 वर्ष)।

मातृत्व लाभ
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंशिक वेतन मुआवजे के रूप में कम-से-कम 6,000 रुपये का नकद मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है।

खाद्य सुरक्षा भत्ता
यह खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों को दिया जाता है।

शिकायत निवारण तंत्र
जिला और राज्य स्तर पर स्थापित।

अर्थदंड
अनुशंसित राहत के अनुपालन में विफल रहने पर राज्य खाद्य आयोग द्वारा आरोपित किया जाएगा

महिला सशक्तीकरण
घर की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य (18 वर्ष या उससे अधिक) को राशन कार्ड जारी किया जाता है।

- *AAY: Antyodaya Anna Yojana (AAY)
*PHHs: Primary Households (PHHs)

प्रमुख विशेषताएं

- **अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवार को चीनी सब्सिडी**
  - **अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवार** (सबसे गरीब परिवार) **प्रति माह प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न** के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, AAY परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से प्रति **परिवार प्रति माह एक किलोग्राम चीनी** भी प्राप्त होती है।
  - केन्द्र सरकार योजना के भागीदार राज्यों के **AAY परिवारों को चीनी के लिए 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति माह की सब्सिडी** देती है।
  - हाल ही में, सरकार ने AAY परिवारों के लिए **चीनी सब्सिडी की योजना को दो और वर्षों यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने** को मंजूरी दे दी है।
- **संघीय सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी:**
  - **केंद्र की जिम्मेदारी:** खाद्यान्न का आवंटन और परिवहन करना तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना।
  - **राज्य की जिम्मेदारी:** प्रभावी कार्यान्वयन जैसे- पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना आदि।

प्रमुख पहलें

- **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):** लगभग 81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों (अर्थात, AAY परिवारों और PHH लाभार्थियों) को **पांच साल** की अवधि के लिए **मुफ्त खाद्यान्न** उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम. पोषण) (पहले इसका नाम मध्यान्ह भोजन योजना था):** इसे **2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने** के लिए शुरू किया गया है।
  - **लाभार्थी:**
    - **प्री-स्कूल या बाल वाटिका के बच्चे** (कक्षा I से पहले) तथा
    - **कक्षा I से VIII तक के बच्चे।**
  - **नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय:** शिक्षा मंत्रालय
- **सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0)**
  - **उद्देश्य:** बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं के लिए **कुपोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करना।**
  - **लाभार्थी:** बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इस योजना की लाभार्थी हैं।
  - **योजना की अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।
  - **नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD)
    - **नोट:** इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हेडिंग के अंतर्गत विस्तार से कवर किया गया है।
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** यह **गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM)** के लिए एक सशर्त नकद अंतरण योजना है।

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) की प्रमुख विशेषताएं

शुरुआत: इसे 2017 में शुरू किया गया था और 2022 में इसे 'मिशन शक्ति' में मिला दिया गया था।

नोडल मंत्रालय: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लाभार्थी:

गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (PW&LM)

पात्रता: अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली कम-से-कम 19 वर्ष की आयु

वित्तीय सहायता:

परिवार के **पहले जीवित बच्चे** के लिए **5,000 रुपये का सशर्त मातृत्व लाभ।**

जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत संस्थागत डिलीवरी और प्रोत्साहन 1000 रुपये उपलब्ध कराया जाता है।

कुल सहायता: एक महिला को औसतन 6,000 रुपये

बालिका को सहायता: PMMVY 2.0 के तहत **दूसरी बालिका के जन्म के बाद एक ही किस्त में 6,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।**

- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना:** NFSA के तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी **राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी** को लागू करना।
  - प्रवासी लाभार्थी, NFSA के तहत जारी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके **बायोमेट्रिक/ आधार प्रमाणीकरण** के जरिए लाभ उठाया जा सकता है।

6 रक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF DEFENCE)

6.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

6.1.1 एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद iDEX (ADITI) योजना {ADITI (Acing Development of Innovative Technologies with iDEX) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों ?

अदिति 2.0 यानी "एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजीज विद iDEX' (ADITI 2.0) **चैलेंज** का दूसरा संस्करण शुरू हुआ।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** जिन क्षेत्रों में देश के पास मौजूदा क्षमताएं नहीं हैं, वहां लगभग **30 डीप-टेक आधारित महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास** करना।
- **योजना के घटक:** ADITI योजना के विजेताओं और पार्टनर इन्क्यूबेटर्स (PIs) को अनुदान सहायता।
- **शामिल प्रौद्योगिकियां:** इसमें ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जो **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक** हैं, लेकिन भारत में **इनके उत्पादन के लिए पहले से विनिर्माण संबंधी क्षमताएं नहीं** हैं।
- **योजना की अवधि:** वित्त वर्ष 2023-2024 से वित्त वर्ष 2025-2026 तक।

अन्य उद्देश्य

- **रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास** को सुविधाजनक बनाना, जो संवेदनशील व नवोन्मेषी हों।
- **अत्यंत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण करना** और विदेशी "मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEMs)" पर निर्भरता को कम करना।
- ADITI योजना के तहत महत्वपूर्ण और उन्नत प्रौद्योगिकियों को **सर्पिल या कुंडलित विकास** द्वारा बढ़ावा देना। साथ ही, मौजूदा iDEX योजना के तहत विकसित उत्पादों/ प्रौद्योगिकियों के **सर्पिल विकास** द्वारा बढ़ावा देना व अनुपूरित करना।
- **"टेक्नोलॉजी वॉच ट्रूल"** बनाना और **प्रौद्योगिकी दूरदर्शी कार्यशालाओं** का आयोजन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **AIDITI योजना की पृष्ठभूमि:** ADITI योजना रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) द्वारा iDEX फ्रेमवर्क के तहत एक उप-योजना है।

ADITI चैलेंज:

- **विजेता:** प्रत्येक ADITI चैलेंज में अधिकतम **दो विजेताओं के लिए समर्थन** का प्रावधान किया गया है। किसी आवेदक को **एक समय में केवल एक ही ADITI चैलेंज में पुरस्कृत** किया जाएगा।
- **स्कोप:** ADITI योजना में ADITI की मंजूरी की तारीख के बाद शुरू किए गए **iDEX प्राइम श्रेणी के चैलेंजज़ को शामिल** किया जाएगा।
- **पार्टनर इन्क्यूबेटर्स (PIs):** योजना की अवधि के दौरान विशेष विशेषज्ञता वाले लगभग **10 पार्टनर इन्क्यूबेटर्स का नेटवर्क** विकसित किया जाएगा। ये पार्टनर इन्क्यूबेटर्स विशेष सहायता और व्यावसायिक सलाह प्रदान करेंगे।

- **वित्तीय सहायता (सहायता अनुदान):**
  - **ADITI योजना के विजेताओं को सहायता अनुदान:** हस्ताक्षर किए जाने वाले अनुबंधों के लिए प्रति विजेता **25 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा के साथ उत्पाद विकास बजट के 50 प्रतिशत तक का अनुदान** दिया जाएगा।
  - **पार्टनर इनक्यूबेटर्स (PIs) को सहायता अनुदान:**
    - » इस परियोजना में **6 प्रमुख उपलब्धियों/ चरणों** को शामिल किया गया है। इनमें से **प्रत्येक चरण के लिए भुगतान की उच्चतम सीमा 1,50,000 रुपये** निर्धारित की गई है।
      - ऐसा अनुमान है कि यह भुगतान पार्टनर इन्क्यूबेटर्स को **उनके संबंधित चैलेंज के विजेता की प्रत्येक चरण की सुविधा/ पूर्णता के आधार पर प्रदान किया जाएगा।**
    - » **क्रियाकलाप (Activity) आधारित सहायता:-**
      - रक्षा क्षेत्रक की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निकटवर्ती इलाकों से **स्टार्ट-अप्स को संबद्ध** करना।
      - **मेंटरशिप प्रदान करना।**
      - इकोसिस्टम को मजबूत करना।
- **निगरानी: रक्षा नवाचार संगठन** (DIO) द्वारा **पार्टनर इंक्यूबेटर्स (PIs)** के माध्यम से अनुदान के उपयोग और प्रगति की निगरानी की जाएगी।

ADITI चैलेंज के लिए पात्रता:

- ऐसे **स्टार्ट-अप्स** जो उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग **(DPIIT) की परिभाषा के दायरे में** आते हैं और **मान्यता प्राप्त** हैं।
- **कंपनी अधिनियम 1956/ 2013** के तहत पंजीकृत या निगमित कोई भी भारतीय कंपनी। इनमें मुख्य रूप से **MSME अधिनियम, 2006 के तहत MSME के रूप में परिभाषित कंपनियां** शामिल होंगी।
- **स्टार्ट-अप/ MSME के रूप में पंजीकृत अलग-अलग नवोन्मेषक।** अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान भी इस श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- **iDEX पार्टनर इन्क्यूबेटर्स (PIs) के रूप में अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता**
  - **कानूनी स्थिति:** आवेदक इनक्यूबेटर को **भारत में सार्वजनिक, निजी या सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में एक कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत** होना चाहिए। साथ ही, **भारत सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त की हो या कर रहा हो।**
  - **अनुभव:**
    - » इनक्यूबेटर को **कम-से-कम 5 वर्षों तक संचालित** किया जाना चाहिए।
    - » साथ ही, **कम-से-कम 10 रक्षा-संबंधी स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेट या वित्त पोषित** करना चाहिए।
    - » इसके द्वारा पिछले 3 वर्षों में कम-से-कम 5 स्टार्ट-अप्स इन्क्यूबेट होने चाहिए। इसके अलावा, ये परिचालन में होना चाहिए।
    - » इसने **पिछले 5 वर्षों में कम-से-कम 2 क्षेत्रक-केंद्रित त्वरक कार्यक्रमों** (प्राथमिक रूप से डीप टेक, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/ मशीन लर्निंग, साइबर आदि में) को प्रबंधित किया हो।
  - **संसाधन:** आवेदन करने वाले इनक्यूबेटर के पास इससे संबद्ध स्टार्ट-अप्स के लिए **कम-से-कम 25 मेंटर** होने चाहिए। इनमें से कम-से-कम **5 रक्षा या एयरोस्पेस क्षेत्रक में लघु व मध्यम उद्यम (SMEs)** होने चाहिए तथा **कम-से-कम 2 निवेश विशेषज्ञ/ निवेशक** होने चाहिए।
  - **नेटवर्किंग:** ADITI के विजेताओं का समर्थन करने के लिए पार्टनर इन्क्यूबेटर्स के पास पर्याप्त बाह्य सहायता प्रणाली होनी चाहिए। बाह्य सहायता प्रणाली से तात्पर्य **उद्योग, शिक्षा जगत व सरकारी संस्थानों के साथ सहयोग** से है।

IDEX
इनोवेटिव डिफेंस सिस्टम

संक्षिप्त विवरण

इसे 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने के लिए स्टार्टअप्स और MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) को सशक्त बनाना है।

मुख्य पहल

डिफेंस इंडिया स्टार्टअप्स चैलेंज (DISC)

ओपन चैलेंज - थीमेटिक चैलेंज - ADITI चैलेंज

वित्तीय अवसर

1.5 करोड़ रुपये तक का अनुदान (IDEX Prime के तहत ₹10 करोड़ तक) स्पार्क फ्रेमवर्क के तहत परियोजनाओं का समर्थन करना

IDEX पार्टनर इन्क्यूबेटर्स
पात्रता संबंधी मानदंड का विवरण

कानूनी स्थिति

- निम्नलिखित से संबंधित पंजीकृत कानूनी इकाई:
  - सार्वजनिक निजी सार्वजनिक-निजी भागीदारी
  - भारत सरकार के अनुदान समर्थन के सहयोग से

अनुभव संबंधी अनिवार्यता

- कम से कम **5 वर्षों का संचालन अनुभव**
- **10+ रक्षा-से संबंधित स्टार्टअप्स** को इनक्यूबेटेड या फंड किया हो
- पिछले 3 वर्षों में **5+ स्टार्टअप्स अब भी सक्रिय हों**
- **2+ क्षेत्रक-विशेष एक्सेलरेटर प्रोग्राम** (पिछले 5 वर्षों में)
- **क्षेत्र: डीप टेक, रक्षा, AI/ML, साइबर**

संसाधन और नेटवर्किंग

- **मेंटरशिप और सहयोग**
- **कम से कम 25 मेंटर्स**
  - **5 रक्षा/ एयरोस्पेस SME विशेषज्ञ**
  - **2 निवेश विशेषज्ञ**
- उद्योग, शैक्षिक संस्थान और सरकार के साथ **मजबूत सहयोग**

7 शिक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF EDUCATION)

7.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

7.1.1. समग्र शिक्षा अभियान- विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समेकित योजना (Samagra Siksha Abhiyaan- An Integrated Scheme for School Education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **समग्र शिक्षा योजना को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी** दी।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक** विस्तारित स्कूली शिक्षा के सुधार हेतु
- **योजना का प्रकार: केंद्र प्रायोजित** योजना
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (SIS)।
- **अवधि:** वर्ष 2021 से 2026 तक

अन्य उद्देश्य

- सार्वभौमिक **पहुंच, समानता और गुणवत्ता, शिक्षा के व्यवसायीकरण** को बढ़ावा देना और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEIs) को मजबूत करना।
- **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** समग्र शिक्षा योजना **विद्यालयी शिक्षा क्षेत्रक हेतु प्री-स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है।**
  - **सर्व शिक्षा अभियान:** इसका उद्देश्य **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में** अवसंरचना निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार **सभी के लिए बुनियादी शिक्षा प्राप्ति सुनिश्चित** करना है।
  - **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA):** इसका उद्देश्य सभी के लिए **माध्यमिक कक्षा के स्तर तक की शिक्षा सुनिश्चित करना और इसकी गुणवत्ता में सुधार** करना है।
  - **शिक्षक प्रशिक्षण योजना:** इसका उद्देश्य **प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के शिक्षकों के सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण** के लिए एक ठोस संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करना है।

केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग

- **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों** के लिए, इस योजना के तहत फंड शेयरिंग का पैटर्न 90:10 है;
- **अन्य सभी राज्यों** के लिए, केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग का पैटर्न 60:40 है;
- **केंद्रशासित प्रदेशों** के लिए 100% अनुदान का प्रावधान किया गया है।

* **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप अन्य प्रमुख पहलें**
    * **''सार्थक/ SARTHAQ': यहां सार्थक से आशय है;** "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति (स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन)"।
    * **निपुण भारत (NIPUN BHARAT):** इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त** करे।
    * **फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी (FLS):** इसे कक्षा 3 के छात्रों की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के स्तर का आकलन करने के लिए प्रारंभ किया गया है।
    * **विद्या प्रवेश:** यह NCERT द्वारा विकसित **3 माह का खेल (प्ले) के माध्यम से लर्निंग का 'स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल'** है।
    * **विद्यांजलि 2.0:** यह एक वेब पोर्टल है। यह **योगदान** देने हेतु सीधे अपनी पसंद के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ संपर्क करने एवं जुड़ने में मदद करता है।

विद्यालयी शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना

SARVA SHIKSHA ABHIYAN
EDUCATION FOR ALL

* इस योजना में 1.16 मिलियन स्कूल और 156 मिलियन से अधिक छात्र तथा सरकारी एवं सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शिक्षक शामिल किए गए हैं।
* इसका उद्देश्य समतामूलक और समावेशी कक्षा परिवेश सुनिश्चित करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
* इस योजना में छात्रों के कौशल विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
* योजना के तहत सभी बाल केंद्रित सहायता एक निश्चित अवधि में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से सीधे छात्रों को प्रदान की जाएगी।

    * **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBVs):** इन विद्यालयों में लड़कियों के लिए **कक्षा 12** तक आवासीय और विद्यालयी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
    * **नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय:** इसके तहत **पहाड़ी इलाकों, छोटी बस्तियों और कम आबादी वाले क्षेत्रों** में आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है।
    * **निष्ठा 4.0 (NISHTHA 4.0) (ECCE):** यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए ऑनलाइन **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम** (ECCE) है।
* **बालिका शिक्षा पर फोकस:** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBVs) को **कक्षा 6-8 को अपग्रेड करके कक्षा 6-12 तक** कर दिया गया है।
    * उच्च प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को **आत्मरक्षा प्रशिक्षण** प्रदान किया जाता है।
    * **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'** को बढ़ावा दिया जा रहा है।
* **डिजिटल शिक्षा पर ध्यान:** 5 वर्षों की अवधि तक सभी माध्यमिक विद्यालयों में **'ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड'** चलाया जा रहा है। **UDISE+, शगुन** जैसी डिजिटल पहलों को मजबूत किया जाएगा।
* **शिक्षा शब्दकोश:** यह **स्कूली शिक्षा से संबंधित शब्दावलियों की सूची है।** इसे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) ने तैयार किया है।
* **प्रशासनिक सुधार:** एकल और एकीकृत प्रशासनिक संरचना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सामंजस्य स्थापित करना है।
* **समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क:** इसे DoSEL ने जारी किया है। यह फ्रेमवर्क **समग्र शिक्षा योजना के प्रत्येक घटक के लिए मुख्य प्रदर्शन संकेतक (Key Performance Indicators: KPI)** उपलब्ध करवाता है। साथ ही, **प्रत्येक घटक के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय विवरण** प्रदान करता है।
* **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 में संशोधन:** सामान्य स्कूलों में विशेष शिक्षकों (स्पेशल टीचर्स) के स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात के संबंध में अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया है। **अधिनियम के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए:**
    * **प्राथमिक स्कूल के स्तर पर:** प्रत्येक दस दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष अध्यापक।
    * **उच्च प्राथमिक स्कूल के स्तर पर:** कक्षा में पढ़ रहे प्रत्येक पंद्रह दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष अध्यापक।

7.1.2. पीएम-श्री स्कूल (पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) {PM SHRI Schools (PM ScHools for Rising India)}

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में कुछ राज्यों ने पीएम श्री स्कूल योजना के कार्यान्वयन का विरोध किया है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** 21वीं सदी के कौशल के साथ समग्र, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करते हुए न्यायसंगत, समावेशी और रोचक शिक्षा प्रदान करना।
- **योजना का प्रकार: केंद्र प्रायोजित** योजना।
- **लाभार्थी:** 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों को योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होने का अनुमान है।
- **योजना की अवधि:** 5 वर्ष (2022-23 से 2026-27)।

अन्य उद्देश्य

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने के लिए देश भर में 14500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **चयन विधि:** पारदर्शी चैलेन्ज मोड के जरिए जिसमें स्कूल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं आवेदन कर सकते हैं।
- **उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा:**
  - NEP 2020 के अनुरूप अनुभवात्मक और समग्र शिक्षा।
  - वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन के उपयोगों पर ध्यान केंद्रित करने वाले क्षमता आधारित मूल्यांकन।
- **ग्रीन स्कूल:** सोलर पैनल, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक-मुक्त पहल जैसी पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों का समावेश।
- **आधुनिक अवसंरचना:**
  - स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकालय, व्यावसायिक प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान और अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं।
  - अलग-अलग ग्रेड के अनुसार फर्नीचर और लर्निंग के साधन, जिनमें जादुई पिटारा और आउटडोर खेल सामग्री शामिल हैं।
- **कौशल विकास:**
  - वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और उद्यमिता के अवसरों को शामिल करना।
  - स्थानीय उद्योगों और सेक्टर कौशल परिषदों के साथ सहयोग।
- **मार्गदर्शन और नेतृत्व (मेंटरशिप और लीडरशिप):**
  - पीएम श्री स्कूल आसपास के स्कूलों को मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करेंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार जैसा प्रभाव उत्पन्न होगा।
- **समावेशी शिक्षा:**
  - लड़कियों, तथा विशेष जरूरतों वाले बच्चों (CWSN) के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचे के साथ समानता और समावेश पर ध्यान केंद्रित करना।
  - शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना।
- **निगरानी और गुणवत्ता आश्वासन:**
  - स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क (SQAF) का उपयोग करके नियमित मूल्यांकन।
  - चयन और निगरानी के लिए स्कूलों की जियो-टैगिंग।

- **समन्वय (कन्वर्जेन्स) और सामुदायिक भागीदारी:**
  - अवसंरचना के विकास और संसाधन जुटाने के लिए पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और सामुदायिक समूहों के साथ सहयोग।
- **कार्यान्वयन रणनीति**
  - **समग्र शिक्षा, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS), और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की मौजूदा प्रशासनिक संरचनाओं के माध्यम से** कार्यान्वित किया जाएगा।
  - एनईपी 2020 के लक्ष्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से निगरानी की जाएगी।

पीएम श्री स्कूल के लिए चयन प्रक्रिया

तीन-चरणों वाली प्रक्रिया और निर्धारित समय-सीमा

चरण-1 MoU पर हस्ताक्षर
पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के लिए केंद्र के साथ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा MoU पर हस्ताक्षर

चरण-2: पात्रता सूची
उल्लेखित न्यूनतम बेंचमार्क के आधार पर UDISE+ डेटा का उपयोग करते हुए पात्र स्कूलों की सूची तैयार करना

चरण-3: चैलेन्ज पद्धति
कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए चैलेंज पद्धति पर आधारित

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
मासिक
समसामयिकी रिवीजन
कक्षाएं 2025
GS प्रीलिम्स और मेन्स
हिन्दी माध्यम 31 JAN | 5 PM
English Medium 25 JAN | 5 PM
अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें
Live/Online Classes are available

8 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY: MEITY)

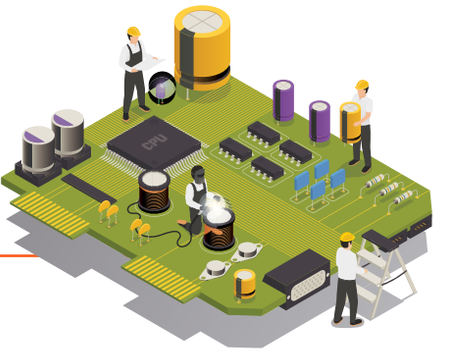

8.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

8.1.1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (DIGITAL INDIA PROGRAMME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की नौवीं वर्षगांठ मनाई गई।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना।
- **प्रकृति:** यह एक अम्ब्रेला **कार्यक्रम है** जो **मंत्रालयों और विभागों** की **विभिन्न ई-गवर्नेंस संबंधी पहलों** को एक साथ जोड़ता है।
- **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP):** ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जहां भी संभव हो, PPP को प्राथमिकता दी जाती है।
- **कार्यान्वयन:** इसे **MeiTY** के समग्र **समन्वय** के साथ सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

अन्य उद्देश्य

- **भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना।**
- **डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन तथा डिजिटल सशक्तीकरण सुनिश्चित करना** और डिजिटल विभाजन को समाप्त करना।
- यह सुनिश्चित करना कि **नागरिकों को सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध हों।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि : इसे नागरिकों को अलग-अलग सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाने के लिए 2015 में आरंभ किया गया था।**
- यह एक **अम्ब्रेला कार्यक्रम** है जिसके अंतर्गत **अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की कई परियोजनाएं सम्मिलित** हैं।
  - डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मिशन मोड एवं अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी समग्र रूप से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों एवं राज्य सरकारों की है।
- **यह विजन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:**
  - **प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना**
    - » एक कोर उपयोगिता के रूप में **हाई-स्पीड इंटरनेट** उपलब्ध कराना,
    - » **जीवन से मृत्यु तक डिजिटल पहचान -** विशिष्ट, आजीवन, ऑनलाइन, प्रामाणिक
    - » डिजिटल और वित्तीय क्षेत्रक में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **मोबाइल फोन और बैंक खाता,**

- » कॉमन सर्विस सेंटर तक **आसान पहुंच,**
- » पब्लिक क्लाउड पर **साझा करने योग्य निजी जगह,**
- » देश में **सुरक्षित और विश्वसनीय साइबर-स्पेस**

- **मांग पर शासन और सेवाएं**
  - » विभागों या अधिकार क्षेत्रों में **निर्बाध रूप से एकीकृत सेवाएं**
  - » ऑनलाइन एवं मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए **रियल-टाइम में सेवाएं उपलब्ध कराना**
  - » सभी नागरिक अधिकार **क्लाउड पर उपलब्ध** होंगे
  - » ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए **सेवाओं को डिजिटल रूप से रूपांतरित** करना
  - » वित्तीय लेन-देन को **डिजिटल एवं कैशलेस बनाना**
  - » निर्णय समर्थन प्रणाली और विकास के लिए **भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS) का लाभ उठाना**
- **नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण**
  - » **सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता**
  - » **सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधन**
  - » सभी दस्तावेज/ प्रमाण-पत्र क्लाउड पर उपलब्ध होंगे
  - » **भारतीय भाषाओं में सभी डिजिटल संसाधनों/ सेवाओं की उपलब्धता**
  - » सहभागी शासन के लिए **सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म**
  - » क्लाउड के माध्यम से **सभी पात्रताओं की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)**

- **डिजिटल इंडिया (DI) पहलों को सक्षम करने वाली प्रमुख एजेंसियां: इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:**
  - प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (CCA)
  - प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक/C-DAC)
  - रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS)
  - सामान्य सेवा केंद्र (CSC)
  - लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC)
- **कुछ प्रमुख पहलें:** आधार, कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs), डिजी लॉकर, डिजी सेवक, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, CERT-In, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के लिए उत्कृष्टता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र आदि

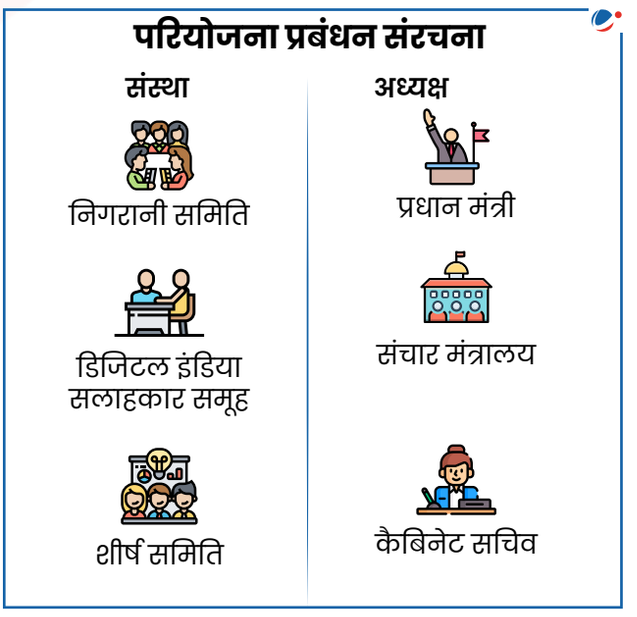

9 वित्त मंत्रालय (MINISTRY OF FINANCE: MOF)

9.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme)

9.1.1. NPS वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Yojana)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) खाते खोलकर बच्चों के लिए शुरुआत से ही बचत करने को बढ़ावा देना।
- **विनियमन:** पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)।
- **पात्रता:** सभी नाबालिग नागरिक (18 वर्ष से कम आयु)।
- **PRAN:** नाबालिग के नाम पर विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) जारी की जाती है।

अन्य उद्देश्य

- समाज में लोगों के लिए पेंशन सुनिश्चित करना तथा कम उम्र से ही सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने की आदत डालकर बच्चों को सशक्त बनाने को प्रोत्साहित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **NPS वात्सल्य अंशदान आधारित पेंशन योजना है।**
- **अभिभावक**
  - खाते का संचालन अभिभावक (नेचुरल/ कानूनी) द्वारा किया जाता है, जिसमें **नाबालिग एकमात्र लाभार्थी** होता है।
  - NRIs/ OCIs के लिए अलग फॉर्म और NRE/NRO बैंक खाते की आवश्यकता होती है।
  - **अभिभावक स्वतः ही नॉमिनी** बन जाता है, जिससे **अलग से नॉमिनी की आवश्यकता नहीं** रह जाती है।
- **पेंशन फंड का चयन:** अभिभावक पंजीकृत पेंशन फंड चुन सकते हैं।
- **योजना से बाहर निकलना और धन निकासी:**
  - **लॉक-इन अवधि:** 3 वर्ष।
  - **धन निकासी:** शिक्षा, सूचीबद्ध बीमारी और दिव्यांगता की दशा में लॉक-इन अवधि के बाद अंशदान का 25% निकालने की अनुमति है। अधिकतम तीन बार निकासी की अनुमति।
  - **18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर योजना से बाहर निकलने** की सुविधा:
    - » यदि **कॉर्पस 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो 80% का उपयोग एन्युटी खरीदने के लिए** किया जाता है, और **20% एकमुश्त राशि के रूप में** निकाला जा सकता है।
    - » यदि निधि 2.5 लाख रुपये या उससे कम है, तो पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।

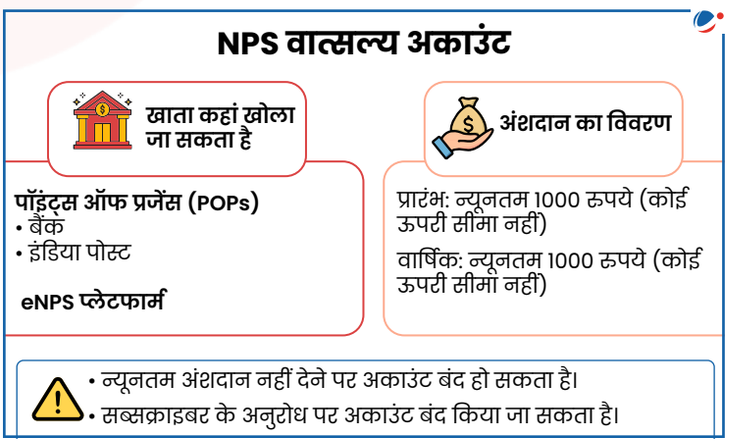

- **मृत्यु की दशा में:** मृत्यु होने पर, पूरी राशि अभिभावक को वापस कर दी जाती है।

- **आवश्यक दस्तावेज:**
  - **नाबालिग के लिए:** जन्म तिथि प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आदि)।
  - **अभिभावक के लिए: KYC डाक्यूमेंट्स** (आधार नंबर, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आदि), पैन (PAN) और एड्रेस प्रूफ।
  - **यदि अभिभावक NRI/ OCI है:** नाबालिग का NRE/NRO बैंक खाता।
- **शिकायत समाधान:**
  - शिकायत समाधान के लिए **PFRDA** (ग्राहक शिकायत निवारण) विनियम, 2015 अधिसूचित किए गए।
  - केंद्रीय शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली **(CGMS),** नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइबर्स के लिए अपने एनपीएस खाते में लॉग इन करके शिकायत दर्ज करने के लिए होस्ट किया गया है।

9.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

9.2.1. प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) - राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन {Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) - National Mission For Financial Inclusion}

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, **प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) की 10वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** वित्तीय सेवाओं जैसे कि वहनीय तरीके से एक बुनियादी बचत व जमा खाता, विप्रेषण, ऋण, बीमा एवं पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- **ओवरड्राफ्ट:** 10,000 रुपये तक।
- **दुर्घटना बीमा:** 2 लाख रुपये तक।
- **फोकस:** प्रत्येक ऐसा वयस्क, जिसका बैंक में खाता नहीं है।

अन्य उद्देश्य

- वहनीय लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।
- लागत को कम करने और अधिक लोगों को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसे **2014** में शुरू किया गया था। यह वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए **राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन** है।
- **अपनाए गए दृष्टिकोण**
  - **खोले गए नए खाते** अब बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली में **ऑनलाइन खाते हैं।**
  - RuPay डेबिट कार्ड या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) के माध्यम से ऑनलाइन **इंटर-ऑपरेबिलिटी की सुविधा।**
  - **फिक्स्ड-पॉइंट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट।**
  - KYC की बोझिल प्रक्रियाओं के स्थान पर **सरलीकृत KYC/ e-KYC**
- **निष्क्रिय PMJDY खाते:** RBI के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी PMJDY खाते में दो वर्ष से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया जाता है तो उस खाते को निष्क्रिय माना जाता है।

PMJDY के मूल सिद्धांत

बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना- बुनियादी बचत बैंक जमा (BSBD) खाता खोलना जिसके लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया, KYC में छूट, e-KYC, कैंप मोड में खाता खोलना, जीरो बैलेंस और जीरो चार्ज/ शुल्क की सुविधा शामिल है।

वंचितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना- मर्चेंट लोकेशन (दुकानों आदि) पर नकद निकासी और भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना। साथ में 2 लाख रुपये का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना।

वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों को वित्त प्रदान करना- सूक्ष्म-बीमा, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा, माइक्रो-पेंशन एवं माइक्रो-क्रेडिट जैसे अन्य वित्तीय उत्पाद।

- **प्रौद्योगिकियां**
  - **जन धन दर्शक ऐप: नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने** के उद्देश्य से इस मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया है। यह देश में बैंक शाखाओं, ATMs, **बैंक मित्रों, डाकघर जैसे बैंकिंग टच प्वाइंट्स का पता लगाने में सहायक है।**
  - **आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (AePS):** AePS बैंक आधारित मॉडल है। यह आधार नंबर सत्यापन का उपयोग करके किसी भी बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से PoS (माइक्रो ATM) पर ऑनलाइन इंटर-ऑपरेबल वित्तीय समावेशन लेनदेन की अनुमति देता है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY)

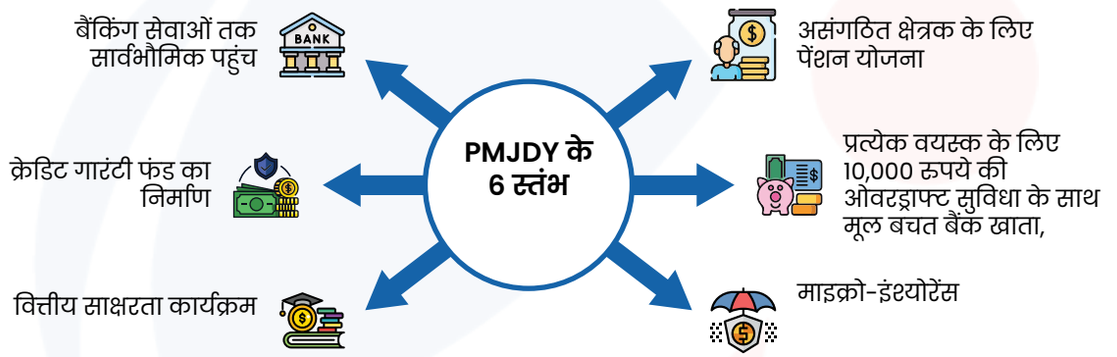

9.2.2. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana: PMMY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत मुद्रा ऋण लेने की ऊपरी सीमा को **10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये** कर दिया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** यह योजना गैर-कॉर्पोरेट और **गैर-कृषि गतिविधियों वाले लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों** को मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **इच्छित लाभार्थी:** कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास गैर-कृषि क्षेत्रक में आय सृजन गतिविधि के लिए व्यवसाय योजना है।
- **ऋण के लिए पात्र क्षेत्रक:** विनिर्माण क्षेत्रक; व्यापार और सेवा क्षेत्रक; कृषि से संबद्ध गतिविधियां।

अन्य उद्देश्य

- **सक्षम उद्यमों को बिना जमानत/ गिरवी (कोलेटरल फ्री) और बिना किसी बाधा के ऋण उपलब्ध** कराना।
- बैंक जैसी औपचारिक संस्थाओं से MSMEs को कम ब्याज दर पर ऋण दिलाकर उनका **वित्त-पोषण सुनिश्चित** करना।
- सामाजिक-आर्थिक रूप से उपेक्षित एवं वंचित वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करके **वित्तीय समावेशन** सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी।
- **मुद्रा/ MUDRA: माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा)** एक पुनर्वित्त एजेंसी है। यह स्वयं MSMEs को ऋण प्रदान नहीं करती है।
  - यह बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) जैसे संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करती है। फिर ये संस्थान मुद्रा लोन प्रदान करते हैं।
  - यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी के रूप में और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है।

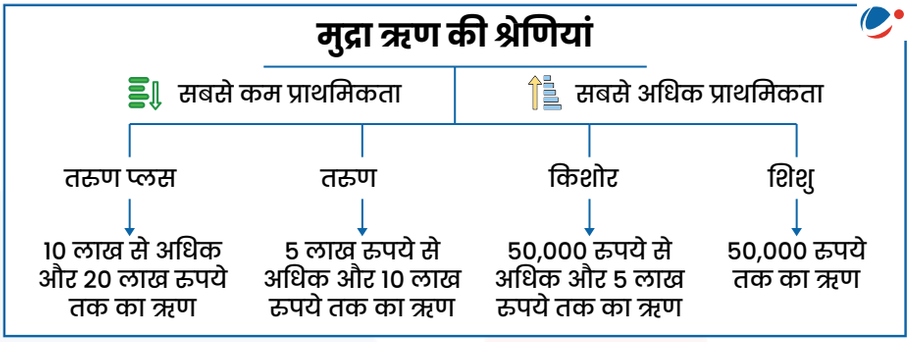

- **मुद्रा ऋण प्राप्त करने का तरीका:** बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) में आवेदन के द्वारा या **उद्यमी मित्र पोर्टल** द्वारा।
- **वित्तीय सहायता के प्रकार:**
  - टर्म लोन (Term Loan);
  - ओवरड्राफ्ट सीमा (Overdraft Limit);
  - कार्यशील पूंजी (Working Capital); तथा
  - पूंजीगत सामानों की खरीद के लिए संयुक्त ऋण (Composite Loan for Acquiring Capital)।
- **गिरवी (कोलेटरल) रखने की आवश्यकता नहीं: क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU)** बिना गारंटी वाले सूक्ष्म ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करता है।
- **ब्याज दर निर्धारित नहीं है:** हालांकि, PMMY के तहत सभी पात्र आवेदकों को शिशु श्रेणी ऋण का त्वरित भुगतान करने पर 12 महीने की अवधि के लिए 2% की ब्याज छूट दी जाती है।
  - इसके अतिरिक्त, महिला उद्यमियों को मुद्रा ऋण प्रदान करने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs)/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को मुद्रा बैंक द्वारा प्रदत्त पुनर्वित्त पर ब्याज दरों को 25 बेसिस प्वाइंट्स (bps) कम कर दिया जाता है।
- **मुद्रा कार्ड:** यह ऋण लेने वालों को ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में कार्यशील पूंजी जुटाने की सुविधा प्रदान करता है।
- **मुद्रा मित्र:** यह मोबाइल फोन एप्लिकेशन है। यह ऋण के आवेदक को PMMY के तहत मुद्रा ऋण प्राप्त करने हेतु किसी बैंक से संपर्क करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

9.2.3. स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand up India Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वीकृत ऋणों में पिछले वर्ष की तुलना में समान वृद्धि देखी गई।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **कवर किए गए उद्यम:** विनिर्माण, सेवाओं, कृषि से संबद्ध गतिविधियों या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)।**

अन्य उद्देश्य

- **कम-से-कम एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को ग्रीनफील्ड उद्यम** स्थापित करने के लिए **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक बैंक शाखा से 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के तक** ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।

प्रमुख विशेषताएं

- **जमानत या कोलेटरल मुक्त कवरेज**
  - जमानत मुक्त कवरेज का विस्तार करने के लिए, भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया हेतु क्रेडिट गारंटी फंड (CGFSI) की स्थापना की है।
  - हालांकि, सरकार योजना के तहत ऋण के लिए धन आवंटित नहीं करती है।
- **ऋण देने वाली संस्था:** वाणिज्यिक मानदंडों के अनुसार, **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाएं ऋण प्रदान** करती हैं।
- **ऋण सुरक्षा: प्राथमिक सुरक्षा** के अलावा, बैंकों द्वारा तय किए गए **CGFSI** की जमानत सुरक्षा (कोलेटरल) या गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किया जा सकता है।
- **ब्याज दर (RoI):** ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए बैंक द्वारा **प्रयोज्य न्यूनतम ब्याज दर** होगी, जो आधार दर {(मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट: MCLR) + 3% परिपक्वता काल (Tenor) प्रीमियम) से अधिक नहीं होगी।

पात्रता

- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग से 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति या कोई महिला।
- ग्रीन फील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपलब्ध ऋण।
- गैर-व्यक्तिगत उद्यम के लिए कम-से-कम 51% हिस्सेदारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
- उधारकर्ता किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

- **ऋण भुगतान: अधिकतम 18 महीने की अधिस्थगन अवधि (मोरेटोरियम) के साथ ऋण** चुकाने की अवधि 7 वर्ष है।
- **स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर:**
  - इस योजना में **संभावित उधारकर्ताओं को आरंभिक समर्थन सहायता प्रदान** करने की भी परिकल्पना की गई है।
  - सिडबी और नाबार्ड के कार्यालयों को **स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर** के रूप में नामित किया गया है, जो आवश्यक सहायता की व्यवस्था करेंगे।
- **अन्य योजना के साथ जोड़ना: यह योजना केंद्र/ राज्य सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ने** (कन्वर्जेन्स) का भी प्रावधान करती है।

10 मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

10.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1.1. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) {Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)}

सुर्ख़ियों में क्यों ?

प्रधान-मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना ((PMMSY) के अंतर्गत 100 **जलवायु-अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों** के विकास की घोषणा की गई।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** भारत में मात्स्यिकी क्षेत्रक के संधारणीय एवं उत्तरदायी विकास के माध्यम से **नीली क्रांति लाना।**
- **योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** और **केंद्र प्रायोजित योजना।**
- **दृष्टिकोण:** जहां तक संभव हो, '**क्लस्टर या क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण**' अपनाया जाना चाहिए।
- **अवधि:** वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक।

अन्य उद्देश्य

- **मत्स्य पालन की क्षमता का बेहतर तरीके से दोहन करना। मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना,** फसल कटाई के बाद की अवधि में प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार करना।
- **सुदृढ़ मत्स्य पालन प्रबंधन** और विनियामकीय फ्रेमवर्क का निर्माण करना।
- **मछुआरों और मत्स्य पालन करने वाले किसानों की आय दोगुना करना** और रोजगार पैदा करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **PMMSY में निवेश:** PMMSY के **कुल निवेश का 42% मत्स्य पालन की अवसंरचना** के लिए निर्धारित किया गया है।
  - इसके तहत फोकस क्षेत्रों में फिश हार्बर, कोल्ड चेन, मछली बाजार, तटीय गांव और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास करना शामिल हैं।
- **स्वच्छ सागर योजना:** इसके तहत प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:-
  - **जैव-शौचालय को बढ़ावा देना,**
  - मछुआरों की जहाजों के लिए **बीमा** कवरेज,
  - **ई-ट्रेडिंग/ मार्केटिंग,**
  - **संसाधनों का सर्वेक्षण और**
  - **राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित डेटाबेस का निर्माण करना।**

- **ब्रूड बैंकों का राष्ट्रीय नेटवर्क: मुख्य रूप से** गुणवत्तापूर्ण ब्रूड मछली के **स्रोत,** चयन, पालन-पोषण और रख-रखाव के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में विशिष्ट/ बहुप्रजातीय ब्रूड बैंकों की स्थापना करना।
- **एकीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क:** यह नेटवर्क बीमारियों, एंटीबायोटिक दवाओं और अवशेष संबंधी समस्याओं, जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन के समाधान पर केंद्रित है।
- **एक्वापार्क:** इन्हें वन स्टॉप 'पार्क' के रूप में मत्स्य पालन और जलीय कृषि गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।
- **परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन इकाई (PMEU):** संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग की एक टीम कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
- **प्रमुख पहलें**
  - **राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP):** PM-MKSSY के तहत साक्ष्य-आधारित मात्स्यिकी प्रबंधन का आधार।
  - **प्रधान-मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (PM-MKSSY):** यह PMMSY की उप-योजना है। इसकी परिव्यय राशि 6000 करोड़ रुपये है। इसे विश्व बैंक और AFD द्वारा समर्थन प्राप्त है।

PMMSY के लक्ष्य

- **मछली उत्पादन को बढ़ाकर** 22 मिलियन मीट्रिक टन करना।
- **कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में मत्स्यन क्षेत्र के GVA के योगदान को बढ़ाकर 9% करना।**
- **निर्यात संबंधी आय को दोगुना करके लगभग 1 लाख करोड़ रुपये करना।**
- **पोस्ट-हार्वेस्ट होने वाले नुकसान में लगभग 10% (वर्तमान में 25%) की कमी करना।**
- **मछुआरों और मछली पालकों की आय दोगुनी करना।**

  - **मत्स्य संपदा जागृति अभियान: पूरे भारत में पहुंच बढ़ाने और 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी'** सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
  - **रिवर रैंचिंग प्रोग्राम:** इसे भूमि और जल के विस्तार, गहनता के जरिए **मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता** को बढ़ाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है।
  - **राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB)** को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
  - **जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD) चरण-II:** यह कार्यक्रम जलीय रोगों के प्रसार का **शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन** के लिए शुरू किया गया है।
  - **पेनियस इंडिकस (भारतीय सफेद झींगा) का आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम - चरण- I:** इसका उद्देश्य झींगा प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय आनुवंशिक सुधार सुविधा स्थापित करना है।

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

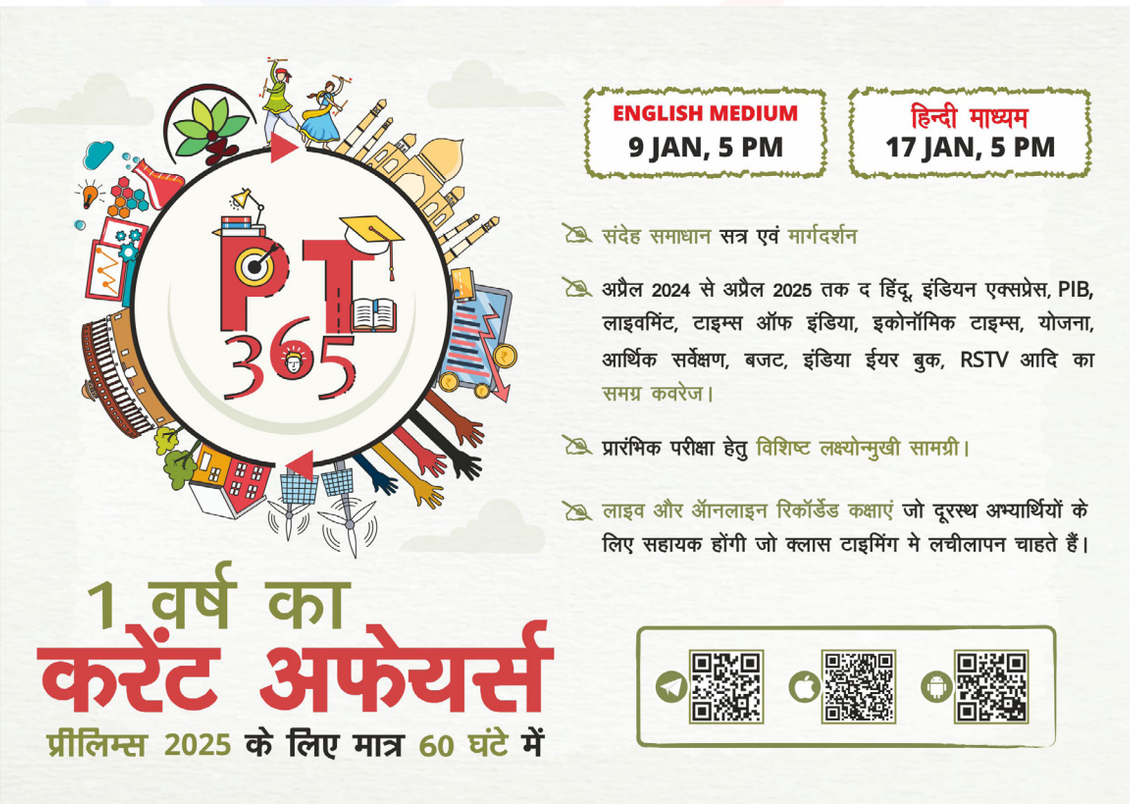

11 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES)

11.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

11.1.1. प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana: PMKSY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने कहा है कि PMKSY के तहत 31,830 करोड़ रुपये मूल्य की 1,646 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना
- **योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना
- **संभावित लाभ:** किसानों की आय दोगुनी करना, रोजगार के अवसर का सृजन, कृषि उपज की बर्बादी को कम करना।
- **योजना की अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक

अन्य उद्देश्य

- **खेत से खुदरा बिक्री केंद्र** तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ **आधुनिक अवसंरचना** का निर्माण करना।
- **किसानों को बेहतर रिटर्न** प्रदान करने और **विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर** पैदा करने में मदद करना।
- **कृषि उपज की बर्बादी को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात** को बढ़ाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** केंद्र ने 2020 तक कार्यान्वयन के लिए 2017 में अंब्रेला योजना **SAMPADA** (स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ़ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स) को मंजूरी दी थी।
  - बाद में इस योजना का नाम बदलकर **प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) कर दिया गया और इसके कुछ घटकों को बंद कर दिया गया।**
- **PMKSY के घटक:**
  - **एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्य वर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन):** खेत से लेकर उपभोक्ता तक **बाधा रहित कोल्ड चेन भंडारण अवसंरचना की** सुविधा उपलब्ध करवाना।
    - » इस अवसंरचना श्रृंखला की स्थापना **कंपनियों, स्वयं-सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs)** आदि द्वारा की जाती है।
    - » योजनाओं के बीच आपसी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए **ऑपरेशन ग्रीन्स (OG) योजना** के तहत फलों और सब्जियों के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था की जा रही है।

- **कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (APC) के लिए अवसंरचना का निर्माण:** APC का उद्देश्य मेगा फूड पार्क के समान है, यानी आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना, लेकिन अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर।
  - » APC की स्थापना हेतु **खरीद या पट्टे की कम-से-कम 10 एकड़ भूमि** की व्यवस्था करना आवश्यक है।
- **खाद्य प्रसंस्करण और प्रिजर्वेशन क्षमताओं का सृजन/ विस्तार (इकाई योजना): मेगा फूड पार्क (MFPs) और APC के भीतर प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण और विस्तार** पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - » यह योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/ अपग्रेडेशन/ आधुनिकीकरण में लगे **केंद्रीय और राज्य PSUs/ संयुक्त उद्यम/ FPOs/ NGOs/ सहकारिता/ SHG's/ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों/ व्यक्तिगत स्वामित्व फर्मों जैसे संगठनों** के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- **फूड सेफ्टी तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FTL):** यह योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में **गुणवत्ता नियंत्रण/ फूड सेफ्टी प्रयोगशालाओं के कार्यान्वयन में सहायता** करती है। यह सहायता HACCP/ ISO 22000 या किसी अन्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहल (GFSI) द्वारा अनुमोदित प्रमाणन योजना/ मानकों के जरिए की जाती है।
- **मानव संसाधन एवं संस्थान (HRI)- अनुसंधान एवं विकास (R&D):** 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए 100 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
- **ऑपरेशन ग्रीन्स (OG):** केंद्रीय बजट 2018-19 में "ऑपरेशन फ्लड" की तर्ज पर इसकी घोषणा की गई थी।
  - » प्रारंभ में यह योजना **टमाटर, प्याज और आलू यानी TOP मूल्य श्रृंखला के विकास** के लिए शुरू की गई थी।
  - » इस योजना के दो घटक हैं:
    - **दीर्घकालिक हस्तक्षेप - एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं:** केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत इसका दायरा बढ़ाकर जल्द खराब होने वाली 22 फसलों तक कर दिया गया।
    - **अल्पकालिक हस्तक्षेप:** 2020 के "आत्मनिर्भर भारत पैकेज" के तहत इसका दायरा TOP फसलों सहित सभी फलों और सब्जियों (यानी TOP से TOTAL) तक विस्तारित किया गया था।

- **योजना के बीच पुनर्आवंटन:** मध्यावधि सुधार के आधार पर MoFPI के प्रभारी मंत्री द्वारा योजना के मूल आउटले के अधिकतम 25% का पुनर्आवंटन किया जा सकता है।
- **प्रतिबद्ध दायित्व हेतु बचत का उपयोग:** किसी भी योजना के लिए किए गए बचत का उपयोग उस योजना के तहत नई परियोजनाओं की मंजूरी के लिए किया जाएगा।
- **जागरूकता:** PMKSY की योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि हितधारकों को PMKSY के तहत पूरा लाभ मिल सके।

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए QCI की पहलें

- QCI ने विश्व स्तर पर स्वीकृत **कोडेक्स मानकों** के आधार पर **"IndiaGHP"** और **"IndiaHACCP"** विकसित किया है।
- ये योजनाएं भारत के खाद्य श्रृंखला से संबंधित उद्योग को महंगे और समय लेने वाले विदेशी प्रमाण-पत्रों के बिना वैश्विक मानकों के पालन को अपनाने में मदद करेंगी। कई देशों ने निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य कर दिया है:
  - मांस, मछली, डेयरी आदि जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए **हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट (HACCP)।**
  - सभी खाद्य क्षेत्रों में **गुड हाइजीन प्रैक्टिस (GHP)।**

12 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

12.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

12.1.1. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (Ayushman Bharat Digital Mission: ABDM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूरे हुए।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** निरंतरता के साथ देखभाल जारी रखने के लिए **डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एकीकृत** करना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना।
- **योजना का प्रकार: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।**
- **योजना की अवधि:** 5 वर्ष
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)

अन्य उद्देश्य

- मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों में अंतर को कम करने के लिए देश के **एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे** का समर्थन करना तथा भारत के स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में हितधारकों के बीच अंतर को दूर करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **ABDM के मुख्य तत्त्व**
  - **आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) और ABHA ऐप:**
    - आधार या मोबाइल नंबर का उपयोग करके तैयार की गई एक **14-अंकीय पहचान संख्या।** अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक डिजिटल रूप से पहुंचने और उसे साझा करने का एक सुगम तरीका।
    - **ABHA ऐप:** यह मौजूदा भौतिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को स्वतः अपलोड/ स्कैन करने की सुविधा प्रदान करता है।
  - **स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण:** इसमें **सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाएं** शामिल हैं।
  - **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पेशेवरों की रजिस्ट्री: सभी स्वास्थ्य पेशेवरों** का एक व्यापक **भंडार** है। **चिकित्सा की आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रणालियों** के लिए उपलब्ध है।
  - **एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफ़ेस (UHI): अलग-अलग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ओपन प्रोटोकॉल** के रूप में कल्पना की गई है।
    - UHI अपॉइंटमेंट, टेली-परामर्श आदि सहित अलग-अलग सेवाओं को सक्षम बनाएगा।
  - **स्वास्थ्य सूचना विनिमय और सहमति प्रबंधक (HIE-CM):** यह नागरिकों को अपना स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित तरीके से प्राप्त करने और साझा करने का अधिकार देता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि डेटा का आदान-प्रदान डेटा धारक की सहमति से हो।
  - **नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज (HCX):** बीमा क्लेम को मानकीकृत और त्वरित निपटान सुनिश्चित करता है।
- **माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट:** माइक्रोसाइट **स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक के हितधारकों** (सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों इत्यादि) के एक समूह को दर्शाता है। यह ABDM को अपनाने को बढ़ावा देता है विशेष रूप से निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के लिए।

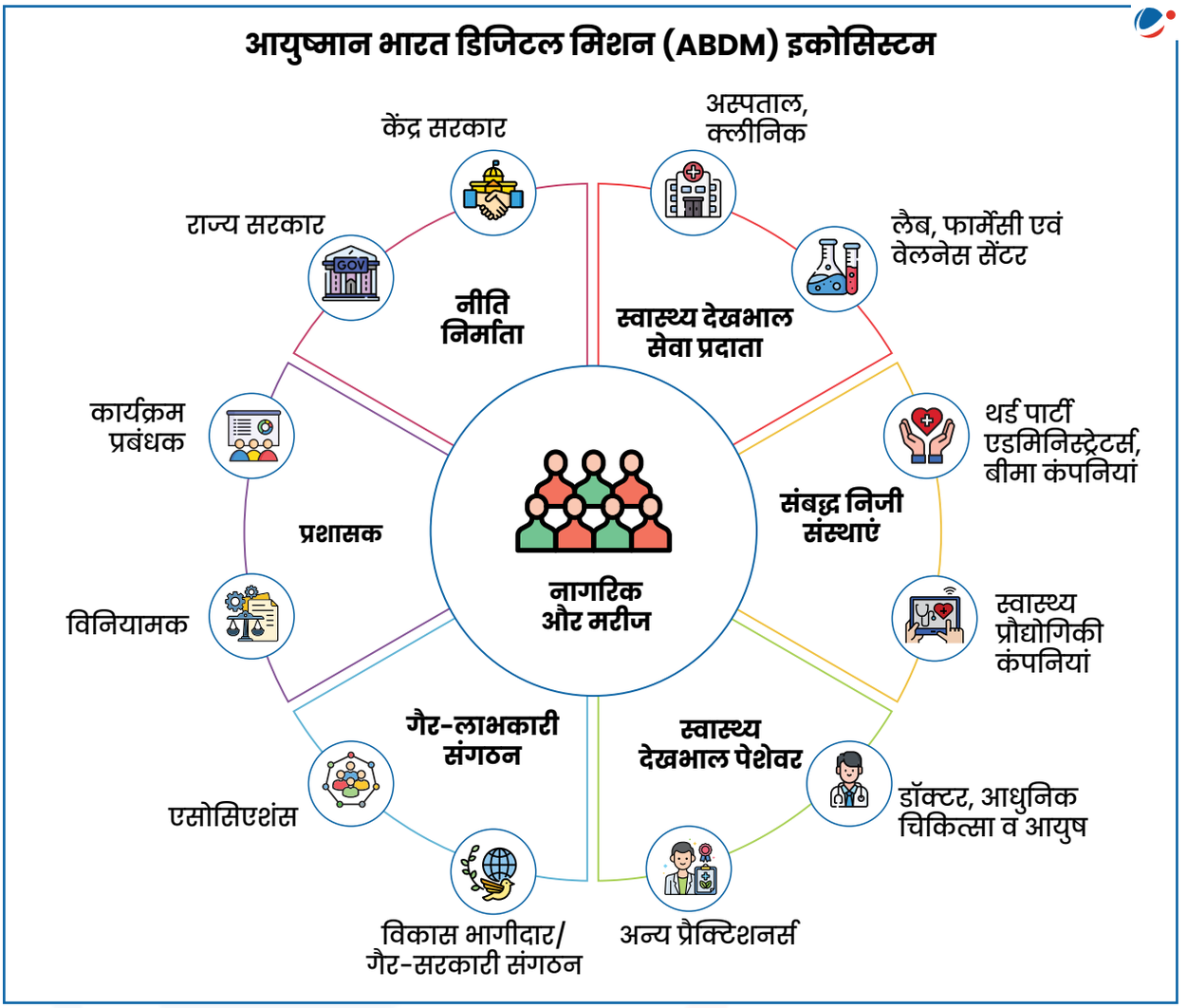

- **ABDM की प्रमुख पहलें:**
  - **स्कैन और शेयर: क्यूआर-आधारित OPD पंजीकरण प्रतीक्षा समय को कम करता है।**
  - **डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (DHIS):** 4 करोड़ रुपये तक के प्रोत्साहन की पेशकश, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं को अपनाने को बढ़ावा देना।

12.1.2. आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना {Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) को लागू करने वाला 34वां राज्य/केंद्र-प्रशासित प्रदेश बन गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के दृष्टिकोण को साकार करना।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **लक्ष्य:** 12 करोड़ परिवार
- **घटक:** स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs); और प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

अन्य उद्देश्य

- **प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली** (रोकथाम, सहायता और एम्बुलेटरी देखभाल को कवर करते हुए) में व्याप्त समस्याओं का समाधान करना।
- अस्पताल में दुर्घटना संबंधी घटनाओं के कारण **गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना।** इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

लाभ

- प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान जाएगा।
- योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल होंगे।
- यह सेवा सभी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों में शामिल स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं (EHCPs) के स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध हैं
- परिवार के आकार या आयु पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- सभी पूर्व-मौजूदा स्थितियों को पहले दिन से ही कवर किया गया है
- तकनीकी रूप से संचालित, कैशलेस और पेपरलेस लेन-देन को सक्षम बनाता है।
- इसमें अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद के खर्चों का कवरेज भी शामिल किया गया है। इसमें दवाएं, परामर्श और नैदानिकीय जांचें भी शामिल हैं।
- अप्रैल 2020 से कोविड-19 से ग्रस्त रोगियों के उपचार को भी इसमें शामिल कर दिया गया है

- **पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017** की अनुशंसा पर आरंभ किया गया था।
- **लाभ: अंत में** इन्फोग्राफिक में देखिए।
- **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र**
  - **व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) प्रदान करने हेतु 1,50,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (HWCs) सृजित किए जाएंगे। ये सार्वभौमिक हैं और उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क हैं।**
  - **फोकस:** लोगों का कल्याण करना तथा समुदाय के निकट सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का वितरण करना।
  - **वित्त पोषण:** इसका वित्त पोषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से किया जाएगा।

HWC के माध्यम से CPHC

- विस्तारित सेवा वितरण
- देखभाल की निरंतरता टेली स्वास्थ्य/रेफरल
- HR और मल्टीस्किलिंग का विस्तार करना
- सामुदायिक लामबंदी और स्वास्थ्य संवर्धन
- ज्ञान कार्यान्वयन के लिए भागीदारी
- मजबूत IT सिस्टम
- वित्तपोषण/ प्रदाता भुगतान सुधार

- **प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)**
  - **पृष्ठभूमि:** पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) का नाम परिवर्तित कर PM-JAY कर दिया गया है। प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) **दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।**
  - **लाभार्थी:**
    - » इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान **सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011)** के माध्यम से की जाएगी।
    - » इसके अलावा, वे **परिवार** भी शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन वे सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) का हिस्सा नहीं बने थे।
    - » 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक।

- **कार्यान्वयन की 3 विधियां/ तरीके**
  - **बीमा:** राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) पॉलिसी अवधि के लिए प्रत्येक पात्र परिवार के लिए बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करती है।
  - **आश्वासन/ विश्वास:** SHA सीधे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति करता है।
  - **मिश्रण:** उपर्युक्त दो का मिश्रण।

- **कार्यान्वयन एजेंसियां:**
  - **राष्ट्रीय स्तर पर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)** एक स्वायत्त निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री करते हैं।
  - **राज्य स्तर पर:** राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA)।
  - **जिला स्तर पर:** जिला कार्यान्वयन इकाई (DIU), जिसकी अध्यक्षता जिले के DC/ DM/ कलेक्टर द्वारा की जाती है।

- **पारदर्शिता और जवाबदेही:**
  - **लाभार्थियों के सत्यापन के 4 तरीके हैं-** आधार आधारित e-KYC, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और चेहरे का प्रमाणीकरण।
  - NHA द्वारा जारी की गई **व्हिसल ब्लोअर नीति।**
  - राज्य में औचक निरीक्षण करने, जुर्माना लगाने, पैनल से हटाने आदि के लिए **एंटी-फ्रॉड सेल।**

- **प्रमुख पहलें**
  - **आयुष्मान भव अभियान:** भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए प्रत्येक गांव और कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का विस्तार करना। साथ ही, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पीछे न छूटे। इसका उद्देश्य निम्नलिखित तीन घटकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की कवरेज को सुनिश्चित करना है:
    - **आयुष्मान - आपके द्वार 3.0,**
    - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) पर **आयुष्मान मेले** और
    - प्रत्येक गांव और पंचायत में **आयुष्मान सभा।**

AB PM-JAY अपडेट: वरिष्ठ नागरिकों के लिए कवरेज का विस्तार

निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा: 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए पारिवारिक आधार पर (प्रति परिवार) 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा।

व्यापक स्वास्थ्य कवरेज: AB PM-JAY परिवारों द्वारा पहले से कवर किए गए वरिष्ठ नागरिकों को केवल उनके उपयोग के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे।

गैर-AB PM-JAY परिवारों के लिए पारिवारिक कवरेज: वरिष्ठ नागरिक, जो मौजूदा AB PM-JAY परिवार कवरेज का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें पारिवारिक आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवर प्रदान किया जाएगा।

आयुष्मान वय वंदना कार्ड: वरिष्ठ नागरिकों कार्ड के लिए विशेष कार्ड दिया जाता है।

अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के चयन में विकल्प: अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (CGHS, ECHS, CAPF) का चयन कर सकते हैं।

निजी तौर पर स्वास्थ्य बीमा धारकों के लिए पात्रता: निजी स्वास्थ्य बीमा या ESIC कवरेज वाले वरिष्ठ नागरिक भी AB PM-JAY के अंतर्गत पात्र हैं।

12.1.3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** को अगले पांच और वर्षों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: समान, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना।**
- **मंत्रालय:** केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
- **मिशन प्रमुख: मिशन का निदेशक** अतिरिक्त सचिव के स्तर का होगा।

अन्य उद्देश्य

- **शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी** लाना।
- संचारी एवं गैर संचारी **रोगों की रोकथाम एवं उन्हें नियंत्रित** करना।
- **एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच** सुनिश्चित करना।
- **जनसंख्या स्थिरीकरण तथा लैंगिक और जनसांख्यिकीय संतुलन** स्थापित करना।
- **स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों को पुनर्जीवित** करना और **आयुष को मुख्यधारा** में लाना।
- भोजन एवं पोषण, स्वच्छता और साफ-सफाई के लिए **सार्वजनिक सेवाओं** तथा लोक स्वास्थ्य देखभाल **तक सार्वभौमिक पहुंच** सुनिश्चित करना।
- **स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली को बढ़ावा** देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** 2013 में, NRHM (2005 में शुरू) और NUHM (2013 में शुरू) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत विलय कर दिया गया।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 2 उप-योजनाएं इस प्रकार हैं:** राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)
- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)**
  - **कवरेज:** सभी राज्यों की राजधानियाँ, जिला मुख्यालय और 50,000 से अधिक आबादी वाले शहर/ कस्बें।
  - **विकेन्द्रीकरण :** आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय एवं स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित।
  - **बाहरी सहयोगी: एशियाई विकास बैंक (ADB)** द्वारा कुछ संकेतकों से संबंधित प्रगति के आधार पर धन उपलब्ध कराया जा रहा है।
  - **सेवा वितरण अवसंरचना:** शहरी-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (U-CHC) और रेफरल अस्पताल और आउटरीच सेवाएं।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन**
  - मिशन का जोर सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण के साथ **पूरी तरह कार्यात्मक, समुदाय के स्वामित्व वाली, विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली** स्थापित करने पर है।
  - यह **जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे** स्वास्थ्य के निर्धारिकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
- **राज्यों को प्रोत्साहन:** राज्यों का वित्त-पोषण **राज्य की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (PIP)** पर आधारित है।
  - ऐसे राज्य जो IMR, MMR, टीकाकरण, गुणवत्ता प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या और अनुपात जैसे **प्रमुख परिणामों/ आउटपुट के संबंध में बेहतर प्रगति को दर्शाते हैं वे प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।**
- **इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (Electronic Vaccine Intelligence Network: e-VIN):** यह देश भर में कई स्थानों पर रखे गए टीकों के **स्टॉक और भंडारण के तापमान की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम** करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, एक मजबूत आईटी अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन को एक साथ लाता है।

NHM के तहत प्रमुख पहलें

- **जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana)**
  - यह स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए **एक मांग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना** है।
  - **यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत 100% केंद्र प्रायोजित योजना है।**
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)**
  - **उद्देश्य:** गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को **बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना** तथा संस्थागत प्रसव में होने वाले अधिक खर्च की समस्या का समाधान करना।
  - यह कार्यक्रम उन गर्भवती महिलाओं को **'बिना खर्च वाले प्रसव'** की सुविधा प्रदान करता है जो अपने प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करती हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें).

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लाभ

घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस ले जाने के लिए निःशुल्क सुनिश्चित एंबुलेंस सेवा एवं आवागमन

निःशुल्क दवा, नैदानिक सुविधा एवं रक्त चढ़ाना

निःशुल्क प्रसव/ सिजेरियन सेक्शन

शिशु को एक वर्ष होने तक समान सुविधा

- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Bal Swasthya Karyakram: RBSK)**
  - **उद्देश्य:** 4'D' - बच्चों में जन्म के समय किसी प्रकार के विकार (**D**efects at birth), बीमारी (**D**iseases), न्यूनता (**D**eficiencies) और विकलांगता सहित बच्चों के विकास में आने वाली रुकावट (**D**evelopment Delays) की **शुरुआती तौर पर पहचान करना** तथा इस दिशा में शुरुआती हस्तक्षेप करना।
  - **अपेक्षित लाभार्थी:** ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 0-6 वर्ष तक आयु समूह के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। 18 वर्ष तक के बड़े बच्चे, जो सरकारी विद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र/ छात्रा हैं।
  - बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में **30 चयनित स्वास्थ्य स्थितियों को कवर करने की परिकल्पना की गई है।** इसके तहत स्क्रीनिंग, **यथाशीघ्र निदान और निःशुल्क प्रबंधन** परिकल्पित है।

2005 में शुरुआत

- **आशा कर्मी** सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रक और गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।
- **आशा कर्मी** स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में मदद करती हैं।
- इसके अंतर्गत 10 सबसे निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- प्रत्येक संस्थागत प्रसव के लिए आशा कर्मी और माता को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना

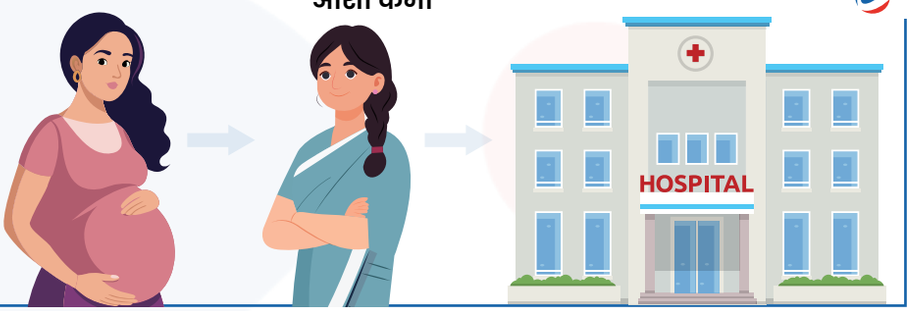

जननी सुरक्षा योजना (JSY) के लाभार्थी

निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य* - सभी गर्भवती महिलाएं, जो संस्थागत प्रसव कराती हैं।

उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य - संस्थागत प्रसव के बाद गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाली महिलाएं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, दो जीवित जन्मों तक

***कम संस्थागत प्रसव दर वाले राज्य**

प्रोत्साहन राशि	माता	आशा कर्मी
निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य		
ग्रामीण क्षेत्र	1400 रु.	600 रु.
शहरी क्षेत्र	1000 रु.	400 रु.
उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य		
ग्रामीण क्षेत्र	700 रु.	600 रु.
शहरी क्षेत्र	600 रु.	400 रु.

- **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram: RKSK)**
  - **लाभार्थी: 10-19 वर्ष** के आयु-वर्ग के किशोर।
  - यह कार्यक्रम, **भारत में सभी किशोरों को** उनके स्वास्थ्य से संबंधित सूचित करना है।
  - **विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य की जांच** की जाती है। इसके उपरांत बीमारियों, विशेष रूप से गैर-संक्रामक रोगों (NCDs), का शुरुआती दौर में पता लगाना है।
  - **समुदाय-आधारित हस्तक्षेप:** इसके तहत **सहकर्मी शिक्षक (साथिया)** सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूप योजना संबंधी जानकारी किशोरों को उपलब्ध कराएंगे।
  - **साथिया रिसोर्स किट:** सहकर्मी शिक्षक को सहयोग प्रदान करने हेतु, विशेष रूप से गांवों में संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करना।
  - **मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS):** इसके तहत प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली **किशोरियों को सब्सिडी प्राप्त सैनिटरी नैपकिन** प्रदान किये जाते हैं।
  - MOHFW ने **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)** के सहयोग से **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति** विकसित की है।
- **RMNCH+A (प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य):** इसका उद्देश्य **भारत में बच्चों की उत्तरजीविता में सुधार लाने के लिए उनके पूरे जीवन-काल को योजना** के दायरे में लाना है।

रणनीति के तहत "प्लस (+)" निम्नलिखित पर केंद्रित है

व्यक्ति के जीवन में **किशोरावस्था** को एक विशिष्ट चरण के रूप में शामिल करना।	**एकीकृत स्वास्थ्य दृष्टिकोण:** मातृ स्वास्थ्य को प्रजनन स्वास्थ्य तथा अन्य घटकों जैसे कि- परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, एच.आई.वी., जेंडर और गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीकों से जोड़ना।	घर की एवं **समुदाय-आधारित सेवाओं को सुविधा** केंद्र-आधारित सेवाओं से जोड़ना।	**निरंतर स्वास्थ्य देखभाल:** स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अलग-अलग स्तरों के बीच लिंकेज, रेफरल और काउंटर-रेफरल सुनिश्चित करना।

- **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme: UIP)**
  - यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा **100% वित्त-पोषित** है।
  - इस कार्यक्रम को 1985 में आरंभ किया गया था। यह **विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक** है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP): 12 बीमारियों के खिलाफ निशुल्क टीकाकरण

राष्ट्रीय स्तर पर 9 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण:
- डिप्थीरिया वैक्सीन
- टिटनेस वैक्सीन
- मीजल्स (खसरा) वैक्सीन
- पेंटावैलेंट वैक्सीन
- रूबेला वैक्सीन
- जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन
- मीजल्स (खसरा)-रूबेला वैक्सीन (MR)
- परट्यूसिस वैक्सीन
- पोलियो वैक्सीन
- हेपेटाइटिस बी वैक्सीन
- रोटावायरस वैक्सीन
- एडल्ट जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) वैक्सीन
- बाईवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन (bOPV)
- इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन (IPV)

उप-राष्ट्रीय स्तर पर 3 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण:
रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस (केवल बीमारी के प्रकोप वाले जिलों में उपलब्ध)।

- **सघन मिशन इंद्रधनुष-4.0 (Intensified Mission Indradhanush: IMI4.0)**
  - **पृष्ठभूमि:** 2014 में, भारत सरकार ने **नियमित टीकाकरण कवरेज** में सुधार करने के उद्देश्य से एक प्रमुख (फ्लैगशिप) कार्यक्रम **मिशन इंद्रधनुष (MI)** शुरू किया था।
  - इसके बाद **IMI शुरू की गई जिसका उद्देश्य** यह सुनिश्चित करना है कि टीकाकरण से कोई वंचित नहीं रह जाए।
- **संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Communicable Disease Control Programme)**
  - **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP):** यह कार्यक्रम मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और लिम्फैटिक फाइलेरियासिस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा है।
  - **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP):** इसके तहत सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के निर्धारित वर्ष (2030) से पांच साल पहले अर्थात 2025 तक भारत में रणनीतिक रूप से क्षय रोग/ तपेदिक रोग (TB) के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।
    - **निक्षय पोषण योजना (NPY):** DBT के माध्यम से टीबी रोगियों के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह की सहायता।
  - **राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP):** इसका उद्देश्य आबादी के सभी वर्गों के कुष्ठ रोगियों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएं प्रदान करना है।
  - **एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP):** इसका उद्देश्य महामारी का रूप धारण करने वाली बीमारियों के खिलाफ **सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत** करना है।
- **गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Non Communicable Disease Control Programmes)**
  - कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)
  - राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधिता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI)
  - राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)
  - बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE)
  - राष्ट्रीय प्रशामक (Palliative) देखभाल कार्यक्रम (NPPC)
  - राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NPPCD)
  - राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)
  - जलने से जख्मी होने की घटनाओं की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPMBI)
  - राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम (NOHP)

13 भारी उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES)

13.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme)

13.1.1 पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE/ पीएम ई-ड्राइव) योजना {PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेजी लाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना और EV विनिर्माण सुविधाओं को बढ़ाना।
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
- **योजना की अवधि:** अक्टूबर 2024-मार्च 31, 2026
- **लक्ष्य:** इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2Ws), इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (e-3Ws), ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और ई-बसों के अपनाने को प्रोत्साहित करना

अन्य उद्देश्य

- इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करना; पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा; स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना; आदि।

प्रमुख विशेषताएं

- **घटक:**
  - **सब्सिडी:** इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2Ws), इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (e-3Ws), ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और नई EV श्रेणियों की मांग को बढ़ावा देना।
  - **पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अनुदान:** इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) के लिए वित्त पोषण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) की टेस्टिंग एजेंसियों का आधुनिकीकरण।
  - **प्रशासनिक सहायता:** सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) के लिए शुल्क।
- **मांग को बढ़ावा:** खरीद के समय **उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की अग्रिम लागत** को प्रत्यक्ष रूप से कम करना।
- **ई-वाउचर प्रणाली:** प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आधार-नंबर-आधारित e-KYC सत्यापित ई-वाउचर।
- **संधारणीयता और सुरक्षा:**
  - सभी पात्र इलेक्ट्रिक वाहन को प्रदर्शन और सुरक्षा मानदंडों को पूरा करना होगा।
  - एडवांस्ड बैटरी को प्रोत्साहन, और पुराने वाहनों के उपयोग को खत्म करने को बढ़ावा देता है।
- **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 का विलय:** 01 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक 06 महीने की अवधि के लिए कार्यान्वित की गई। बाद में इसे पीएम ई-ड्राइव योजना में शामिल कर लिया गया।

पात्र श्रेणियाँ

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2Ws): निजी और वाणिज्यिक, दोनों तरह के रूप में पंजीकृत e-2Ws पर लागू

इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (e-3Ws): इसमें पंजीकृत ई-रिक्शा/ई-कार्ट (L-5 श्रेणी) शामिल हैं।

इलेक्ट्रिक-एम्बुलेंस (ई-एम्बुलेंस): केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से पात्रता निर्धारित की जाएगी।

इलेक्ट्रिक-ट्रक (ई-ट्रक): केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रों से से स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र की आवश्यकता।

इलेक्ट्रिक बस (ई-बस): केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार पुरानी बसों को स्क्रैप करने वाले शहरों को प्राथमिकता

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: परियोजना लागत का 100% वित्त पोषण की सुविधा, इनमें अपस्ट्रीम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है।

टेस्टिंग एजेंसी अपग्रेड: भारी उद्योग मंत्रालय के तहत टेस्टिंग एजेंसियों के आधुनिकीकरण के लिए 780 करोड़ रुपये आवंटित।

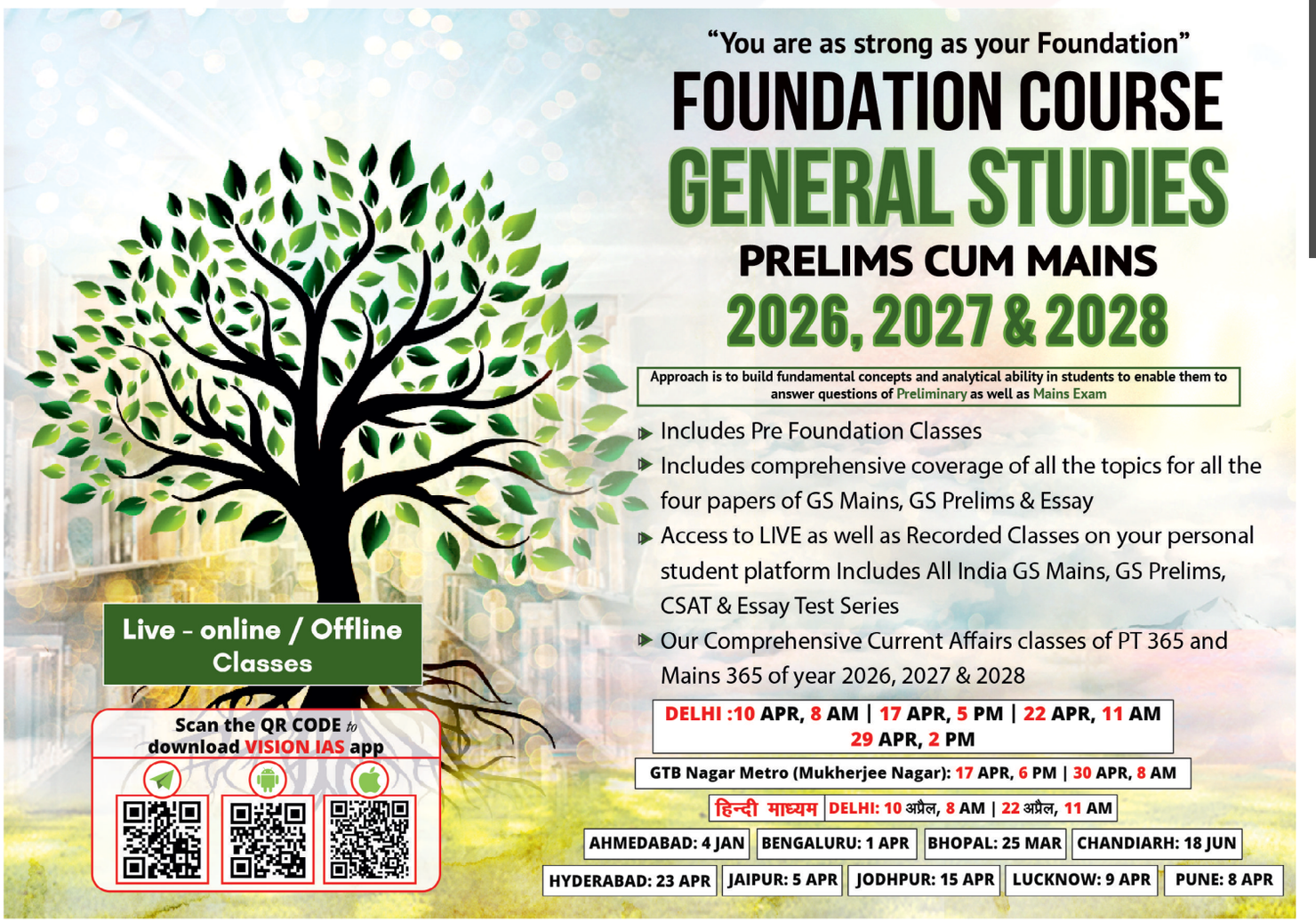

14 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS : MoHUA)

14.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme)

14.1.1. प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **योजना का प्रकार:** ब्याज सब्सिडी घटक (ISS) **'केंद्रीय क्षेत्रक की योजना'** है। शेष अन्य घटक **'केंद्र प्रायोजित योजना'** है।
- **योजना में परिवार की परिभाषा:** इस योजना के तहत एक परिवार में **पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे** शामिल होते हैं।
- **योजना की अवधि: वित्त वर्ष 2028-29 तक (5 वर्ष)**

अन्य उद्देश्य

- पात्र लाभार्थियों/ परिवारों / कार्यान्वयन एजेंसियों को **किफायती लागत पर मकान बनाने, खरीदने या किराए पर देने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** PMAY-U योजना को 2015 में 'सभी के लिए आवास (Housing for All)' के लक्ष्य के साथ देश भर के सभी पात्र शहरी परिवारों को सभी मौसम में रहने लायक पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था।
- **अपवर्जन यानी जो शामिल नहीं हैं:** पिछले 20 वर्षों से पक्के मकान के मालिक या सरकारी आवास का लाभ उठाने वाले परिवार।
- **आवासों की गुणवत्ता**
  - **घरों में बुनियादी सुविधाएं: जल, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, विद्युत** जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - **सुरक्षा:** मकानों को **राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) संहिता** के मकानों से संबंधित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
  - **AHP और ARH परियोजनाएं:** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित के लिए उपयुक्त प्रावधान करेंगे:
    - » दिव्यांग जनों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए **बाधा रहित पहुँच हेतु** रैंप एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण।
    - » **वर्षा जल संचयन प्रणाली** का प्रावधान।
    - » **सौर ऊर्जा प्रणाली** और **वृक्षारोपण किया जाएगा।**

PMAY- U के 4 वर्टिकल्स

लाभार्थी द्वारा घर निर्माण (BLC)	EWS लाभार्थियों द्वारा अपनी जमीन पर घर का निर्माण
साझेदारी में वहनीय आवास (AHP)	EWS लाभार्थी द्वारा पब्लिक/ निजी क्षेत्र की एजेंसियों/ सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों की आवास योजनाओं में आवंटित आवास की खरीद
वहनीय रेंटल आवास (ARH)	सरकार द्वारा वित्त-पोषित खाली आवासों को PPP मोड में या सरकारी एजेंसियों द्वारा ARH में बदलना
ISS ब्याज सब्सिडी योजना	अधिकतम ऋण मूल्य 25 लाख रुपये, अधिकतम आवास मूल्य 35 लाख रुपये। 5 वार्षिक किस्तों में ऋण सब्सिडी

- **वित्त-पोषण तंत्र:** इस मिशन के तहत **40% व्यय सरकार द्वारा** तथा **60%** व्यय लाभार्थी सहित **निजी निवेशकों** द्वारा किया जाता है।
- **प्रौद्योगिकी एवं नवाचार उप-मिशन (Technology & Innovation Sub-Mission: TISM): जलवायु स्मार्ट इमारतों एवं मजबूत आवास के लिए आपदा-रोधी और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को लागू करने में** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों/ शहरों की सहायता करना।
- **औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आवास:** उद्योगों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने कर्मचारियों (चाहे वे संविदा पर हों या नियमित) के लिए किराये की आवास सुविधाओं की योजना बनाएं और उपलब्ध कराएं।
- **सस्ती दरों पर ऋण:** PMAY-U 2.0 को लागू करने वाले राज्य/ UTs/ ULBs/ पैरास्टेटल्स और अन्य सार्वजनिक/ निजी एजेंसियां वहनीय घरों के निर्माण के लिए हुडको से सस्ती दरों पर ऋण ले सकती हैं।
- **पारदर्शिता और निगरानी:** ऑनलाइन ट्रेकिंग, जियो-टैगिंग और थर्ड पार्टी गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों को नियुक्त करेंगे।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां (IAs): शहरी स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड, निजी डेवलपर** जैसी एजेंसियां जिनका चयन राज्य सरकार/ राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (SLSMC) द्वारा किया जाता है।

PMAY-U की अन्य विशेषताएं

महिला सशक्तीकरण: केवल उन मामलों में ही ऐसा घर पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न हो

इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस: वहनीय आवास क्षेत्रक को

सुभेद्य या कमजोर लाभार्थियों को प्राथमिकता, जैसे- विधवा, सिंगल महिला, दिव्यांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर आदि

5 वर्ष की अनिवार्य लॉक-इन अवधि: लाभार्थी को लॉक-इन अवधि के दौरान घर बेचने/ हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं है

RERA 2016 (यदि लागू है) और राज्य के अन्य कानूनों का पालन।

समन्वय या कन्वर्जेंस: अमृत 2.0, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, SBM-अर्बन 2.0 आदि के साथ

लाभार्थी की पहचान: इसके लिए आधार/ आधार वर्चुअल आईडी का उपयोग, ताकि दोहराव से बचा जा सके

- **PMAY-G के तहत लाभों पर प्रभाव:** लाभार्थी अपने निवास स्थान के अनुसार PMAY-G या PMAY-U 2.0 में लाभ उठा सकते हैं।

14.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

14.2.1 प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना {PM Street Vendor's Atma Nirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

बजट 2025-26 में घोषणा की गई कि **पीएम स्वनिधि को बैंकों से बढ़े हुए ऋण और 30,000 रुपये की सीमा वाले यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड** के साथ नया रूप दिया जाएगा।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य :** स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती दर पर कोलैटरल मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना ताकि वे अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकें।
- **योजना का प्रकार:** यह **'केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना'** है।
- **योजना के लाभार्थी: शहरी क्षेत्रों और आस-पास के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों** के स्ट्रीट वेंडर्स / हॉकर्स।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)।

अन्य उद्देश्य

- इसके तहत बिना कुछ गारंटी रखे (कोलैटरल फ्री) **1 वर्ष** की अवधि के लिए **10,000 रुपये** तक की कार्यशील पूंजी (Working capital) के रूप में ऋण दिया जाता है। **इस ऋण का समय पर पुनर्भुगतान** करने पर ऋण की दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये तथा तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपये के ऋण भी प्रदान किए जाते हैं।
- ऋण के **नियमित पुनर्भुगतान** को प्रोत्साहित करना और **डिजिटल लेन-देन करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसे 2020 में शुरू किया गया था। इसके तहत कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को उनके **व्यवसायों को फिर से शुरू करने** के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।
- **लाभार्थियों की पहचान:** राज्य/ शहरी स्थानीय निकाय इस योजना के अंतर्गत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने और नए आवेदन (लाभार्थी) जुटाने के लिए जिम्मेदार हैं।.
- **योजना हेतु पात्र वेंडर्स की पहचान के लिए मानदंड:**
  - **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)** द्वारा जारी किए गए **वेंडिंग सर्टिफिकेट/ पहचान-पत्र वाले स्ट्रीट वेंडर्स।**
  - ऐसे वेंडर्स, जिन्हे **सर्वेक्षण में चिन्हित किया गया** है, परंतु उन्हें वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान-पत्र जारी नहीं किया गया है।
  - ऐसे वेंडर्स, जिनका नाम **ULBs द्वारा किए गए सर्वेक्षण की सूची** में नहीं है या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग कार्य शुरू किया है। ऐसे वेंडर्स को ULBs/ टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा इसके प्रमाण के रूप में **अनुशंसा-पत्र (LoR) जारी किया गया हो।**
  - **ऐसे वेंडर्स जो आस-पास के विकास क्षेत्र/ पेरी-अर्बन/ ग्रामीण क्षेत्रों में वेंडिंग कार्य करते हैं** और ULBs की भौगोलिक सीमा में आते हैं तथा उन्हें ULB/ TVC द्वारा इस आशय हेतु अनुशंसा-पत्र जारी किया गया है।

पी.एम. स्वनिधि योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना

- 1 वर्ष की अवधि के लिए **कार्यशील पूंजी** हेतु ऋण दिया जाता है।
- **ऋण का समय पर/ शीघ्र भुगतान** किए जाने पर आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में **7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी** प्रदान की जाती है।
- डिजिटल लेन-देन करने पर 100 रुपये तक के मासिक कैशबैक के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है।
- पहले ऋण के समय पर/ शीघ्र पुनर्भुगतान पर लाभार्थी **अधिक राशि के ऋण के लिए पात्र** हो जाता है।
- देश भर के शहरी स्थानीय निकायों को योजना में शामिल किया गया है।

- **योजना के लिए पात्र राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश:** यह योजना केवल उन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने **स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014** के तहत नियमों को अधिसूचित किया है।
- **क्रेडिट गारंटी:** इस योजना में स्वीकृत ऋणों के लिए **क्रेडिट गारंटी कवर का प्रावधान** किया गया है। इसे **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** द्वारा प्रशासित किया जाता है।

14.2.2. स्मार्ट सिटीज़ मिशन (Smart Cities Mission)

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

सुर्ख़ियों में क्यों?

सभी चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए **स्मार्ट सिटीज़ मिशन को मार्च, 2025 तक बढ़ा** दिया गया था, जिसके बाद समय सीमा (31 मार्च, 2025 को) समाप्त हो गई।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **योजना का उद्देश्य:** 100 स्मार्ट शहरों का विकास करना और उन्हें नागरिकों को अनुकूल बनाना
- **स्मार्ट शहर:** स्मार्ट शहर की कोई मानक परिभाषा नहीं है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** स्पेशल पर्पज व्हीकल

अन्य उद्देश्य

- 'स्मार्ट समाधान' लागू करके **शहरों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और संधारणीय परिवेश प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित** करना।
- शहर के **सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत पहलुओं पर व्यापक कार्य योजना** बनाकर **आर्थिक विकास को बढ़ावा** देना और **जीवन की गुणवत्ता में सुधार** करना।
- ऐसे **अनुकरणीय मॉडल तैयार करना** जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** स्मार्ट सिटीज़ मिशन को **25 जून, 2015** को शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य दक्ष सेवाओं, मजबूत अवसंरचना और टिकाऊ समाधानों के माध्यम से **100 शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना** है। इसमें आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन को ध्यान में रखकर आदर्श शहरी स्थान तैयार करना शामिल है।
- **शहरों के चयन के लिए समान मानदंड:** शहरी आबादी और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों में वैधानिक कस्बों की संख्या को समान महत्त्व दिया जाता है।
- **स्मार्ट सिटीज़ मिशन का दृष्टिकोण:** मिशन का कार्यान्वयन मुख्य रूप से **दो दृष्टिकोणों के माध्यम से किया जाता है:**
  - **क्षेत्र-आधारित विकास (ABD):** चयनित क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप।
  - **पैन-सिटी परियोजनाएं:** शहरव्यापी प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान।
- **विशेष प्रयोजन वाहन (SPV):** इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत **शहरी स्तर पर एक लिमिटेड कंपनी** के रूप में शामिल किया गया है। **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश और ULB प्रमोटर** हैं, जिनकी **इक्विटी शेयर धारिता 50:50 होती है।**
  - यह स्मार्ट सिटीज़ विकास परियोजनाओं के **योजना-निर्माण, आकलन, अनुमोदन, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी, मूल्यांकन और इसके लिए धन वितरण** में मदद कर रहा है।
- **वित्त-पोषण:**
  - केंद्र सरकार ने 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक) में **48,000 करोड़ रुपये, यानी प्रति शहर प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपये तक** की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
  - राज्य/ शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा समान आधार पर एक समान राशि प्रदान की जाएगी।
  - अतिरिक्त संसाधनों को निम्नलिखित घटकों से एकत्रित किया जाएगा:
    - » ULB के स्वयं के कोष से,
    - » वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले अनुदान से,
    - » म्युनिसिपल बॉण्ड जैसे नवीन फंडिंग विकल्प से।
- **निजी क्षेत्रक का लाभ उठाना: सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से निजी क्षेत्रक की भागीदारी** पर जोर दिया गया है।
- **एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र (Integrated Control and Command Centres: ICCC): इसे सभी 100 स्मार्ट शहरों में शुरू कर दिया गया है।** इसके तहत **यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य, जल आदि** क्षेत्रकों में नागरिकों को कई ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- **इंडिया स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार प्रतियोगिता (ISAC):** इसके तहत उन शहरों और परियोजनाओं को मान्यता दी जाती है, जो **सतत एवं समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा** देते हैं।

स्मार्ट सिटीज़ के छह मौलिक सिद्धांत

केंद्र में समुदाय	योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में समुदाय को केंद्र में रखना।
कम संसाधन अधिक परिणाम	कम संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिक परिणाम प्राप्त करने की क्षमता।
सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद	शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर, जबकि परियोजना क्रियान्वयन में लचीलापन।
एकीकरण, नवाचार और संधारणीयता	नवाचार पद्धतियों तथा एकीकृत एवं सतत समाधानों का उपयोग।
तकनीक का इस्तेमाल एक साधन के रूप में, न कि लक्ष्य के रूप में	तकनीकों का सावधानीपूर्वक चयन, इन्हें शहरों के उपयोग के अनुकूल होना चाहिए।
कन्वर्जेन्स (अभिसरण)	क्षेत्रक एवं वित्तीय अभिसरण।

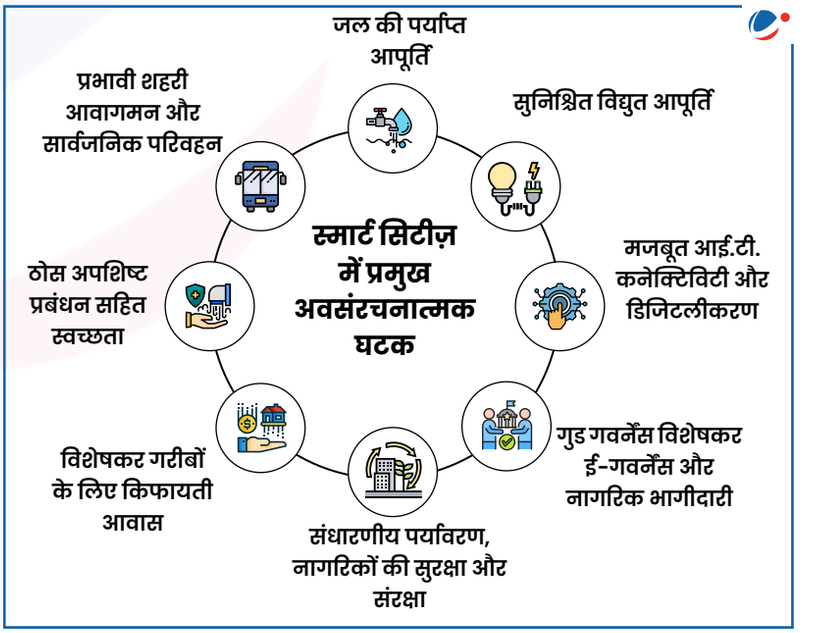

14.2.3. स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 {Swachh Bharat Mission Urban 2.0 (SBM-Urban 2.0)}

सुर्ख़ियों में क्यों ?

स्वच्छ भारत मिशन के **शुभारंभ का एक दशक पूरा** हुआ।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य :** इसका उद्देश्य 'कचरा मुक्त शहर (GFCs) का निर्माण करना है।
- **योजना का प्रकार:** यह **एक केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **योजना के तहत कवरेज:** योजना के तहत सभी वैधानिक नगर शामिल किए गए हैं।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2026 तक

अन्य उद्देश्य

- इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं;
  - सार्वजनिक स्थानों पर **स्वच्छता (क्लीननेस)** और **साफ-सफाई (हाइजीन)** सुनिश्चित करना;
  - **वायु प्रदूषण को कम करना,**
  - **समग्र स्वच्छता (सैनिटेशन) सुनिश्चित करना,**
  - **उपयोग किए गए पानी** को प्रवाहित करने से पहले उसका **उपचार करना,**
  - **क्षमता निर्माण करना,**
  - **जागरूकता का प्रसार करना** तथा
  - **जन आंदोलन** चलाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** SBM-U योजना को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य है भारत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाना।
- **वित्त पोषण के लिए शर्तें:** सरकार अब ULBs द्वारा न्यूनतम 1-स्टार रेटिंग प्रमाणन प्राप्त करने पर ही धनराशि जारी करती है।
- **वित्त पोषण हेतु मिशन के घटक:**
  - **सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** कचरा मुक्त शहरों के लिए 100% वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रसंस्करण।
  - **सतत स्वच्छता:** सभी वैधानिक कस्बों में ODF स्थिति को बनाए रखना।
  - **प्रयुक्त जल प्रबंधन:** अनुपचारित मल गाद और प्रयुक्त जल के स्त्राव को रोकना; 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सुरक्षित उपचार एवं पुन: उपयोग सुनिश्चित करना आदि।
  - **जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन:** IEC/BCC (सूचना, शिक्षा व संचार/ व्यवहार-जन्य परिवर्तन संचार) के माध्यम से "कचरा मुक्त" शहरों को बढ़ावा देना।
  - **क्षमता निर्माण:** प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संस्थानों को मजबूत करना।
- **उद्यमशीलता को बढ़ावा देना:** निजी उद्यमियों द्वारा स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में स्थानीय रूप से नवप्रवर्तित, लागत प्रभावी समाधान और व्यवसाय मॉडल को अपनाना।

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0

इसके तहत निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखा गया है:

- **मल-जल का संपूर्ण प्रबंधन करना एवं अपशिष्ट** जल का उपचार करना,
- कचरे को उनके प्रकार के आधार पर **स्रोत पर ही अलग-अलग करना,**
- **सिंगल यूज प्लास्टिक** के उपयोग पर प्रतिबंध,
- निर्माण एवं विध्वंस स्थलों से निकलने वाले मलबे का **प्रभावी प्रबंधन करके वायु प्रदूषण को कम करना,**
- सभी मौजूदा डंपसाइटों का **जैव-उपचार** सुनिश्चित करना।

- **प्रौद्योगिकी और डिजिटल सक्षमता:**
  - संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमताओं के निर्माण के लिए **ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करना,**
  - स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में **कौशल विकास** को बढ़ावा देना,
  - **सूचना और संचार-प्रौद्योगिकी (ICT) सक्षम गवर्नेंस** प्रदान करना।
- **शहरी-ग्रामीण समन्वय:** साझा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करके निकटवर्ती शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को दक्षता-पूर्वक पूरा करने के लिए **अवसंरचनाओं के क्लस्टर** का विकास करना।
- **चैलेंज फंड:** 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा स्तरीय बेंचमार्क को पूरा करने के लिए 5 वर्षों में 13,029 करोड़ रुपये का चैलेंज फंड प्रदान किया जाएगा।

प्रमुख पहलें

- **स्वच्छ सर्वेक्षण:** यह अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)** इसका कार्यान्वयन भागीदार है।
- **मेरी LiFE, मेरा स्वच्छ शहर' अभियान का उद्देश्य मिशन LiFE** के बारे में जागरूकता फैलाने और अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाना है।
- **GFC के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार फ्रेमवर्क:** इसका लक्ष्य GFC के लिए चल रहे जन आंदोलन को मजबूत करना है।

संभावित परिणाम:

कचरा मुक्त शहर (GFC): वैधानिक नगरों के लिए स्टार रेटिंग: सभी वैधानिक नगर कम-से-कम **3-स्टार "कचरा मुक्त" रेटिंग या इससे अधिक** की रेटिंग से प्रमाणित हों।

ODF+: सभी वैधानिक नगर कम-से-कम ODF+ का दर्जा प्राप्त कर लें।
ODF+ के तहत खुले में शौच से मुक्त होने के लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ शौचालयों में पानी की उपलब्धता, उसका रख-रखाव और साफ़-सफाई सुनिश्चित करना है।

ODF++: इसका लक्ष्य **1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक नगरों** को कम-से-कम ODF++ बनाना है।
ODF++ से आशय शौचालयों के मल-जल और सेप्टेज का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

वाटर+: इसका लक्ष्य 1 लाख से कम आबादी वाले सभी **वैधानिक नगरों में से कम-से-कम 50%** नगरों को वाटर+ बनाना है।
वाटर+ का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अनुपचारित अपशिष्ट जल खुले वातावरण या जल निकायों में प्रवाहित नहीं किया जाए।

15 जल शक्ति मंत्रालय (MINISTRY OF JAL SHAKTI)

15.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

15.1.1. जल जीवन मिशन (JJM): हर घर जल {Jal Jeevan Mission (JJM): Har Ghar Jal}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में **67,000 करोड़ रुपये के परिव्यय** के साथ जल जीवन मिशन (JJM) को **2028 तक बढ़ाने** की घोषणा की।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य: 'कोई भी न छूटे',** इस प्रकार **2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल** की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **बच्चों पर विशेष ध्यान:** स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में पाइप से जल की आपूर्ति करना।
- **प्राथमिकता वाले क्षेत्र:** जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम तथा भूजल प्रदूषण (आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन आदि) से प्रभावित जिले।

अन्य उद्देश्य

- **प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)** प्रदान करना।
- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखाग्रस्त क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों और सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) गांवों में **FHTC प्रावधान** को प्राथमिकता देना।
- **स्कूलों, आंगनबाड़ियों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि** में कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना।
- नल कनेक्शन की **कार्यक्षमता की निगरानी** करना।
- जल स्रोतों, अवसंरचना आदि सहित **जल आपूर्ति प्रणालियों की संधारणीयता सुनिश्चित** करना।
- **जल क्षेत्रक में मानव संसाधन विकसित** करना, जिसमें निर्माण कार्य, प्लंबिंग, विद्युत कार्य आदि शामिल हैं।
- नकद, वस्तु और/ या श्रम (श्रमदान) के माध्यम से **स्वैच्छिक सामुदायिक स्वामित्व** को बढ़ावा देना।
- **सुरक्षित पेयजल के अलग-अलग पहलुओं और महत्त्व पर जागरूकता** को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। **वर्ष 2019** में केवल **3.23 करोड़ (17%)** ग्रामीण घरों में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध था, जो **फरवरी 2025 में बढ़कर 15.44 करोड़ (79.74%)** हो गया।
- **लक्ष्य: 'वॉश (WASH) के प्रति जागरूक गांव'** विकसित करना। इन गांवों में स्थानीय समुदाय सभी के लिए लंबी अवधि तक जल की आपूर्ति करने और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे।
- **कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC):** FHTC से तात्पर्य पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता एवं नियमित आधार पर पानी की आपूर्ति करने वाले घरेलू नल कनेक्शन से है।
- **विकेंद्रीकृत:** JJM दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा के लिए ग्राम कार्य योजना (VAP) का प्रावधान करता है।
  - **VAP अग्रलिखित पर केंद्रित है:** पेयजल स्रोत; ग्रे वॉटर का पुनः उपयोग; जलापूर्ति प्रणालियां; प्रचालन एवं रख-रखाव।
- **पानी समितियां:** पानी समितियां या ग्राम जल और स्वच्छता समितियां (VWSCs) **गांव की जल आपूर्ति प्रणाली के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं।**
- **गैर-राजस्व जल को कम करना:** गैर-राजस्व जल वह जल है, जिसे पंप के जरिए भूमि से बाहर निकाला जाता है और फिर जिसकी खपत हो जाती है या जिसका कोई हिसाब नहीं होता है।

महिला सशक्तीकरण

- प्रत्येक गांव में कम-से-कम **पांच महिलाओं** को ग्रामीण स्तर पर जल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट्स (FTKs) का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- उन क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता का निर्माण करना, जिन्हें पुरुष विशेष क्षेत्र माना जाता है जैसे कि राज-मिस्त्री, मैकेनिक, प्लंबर आदि।
- **पानी समितियों में न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं** होनी चाहिए और समाज के कमजोर वर्गों का भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

- **मुख्य संसाधन केंद्र (KRCs):** क्षमता बढ़ाने के लिए अलग-अलग **सरकारी और गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंक्स एवं प्रशिक्षण संस्थानों को KRCs** के रूप में शामिल किया गया है।
- **राष्ट्रीय वॉश (WASH) विशेषज्ञ (NWE):** राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र NWEs को सूचीबद्ध करने तथा नियोजित करने के लिए उत्तरदायी है। NWEs का कार्य राज्यों को **जमीनी स्तर पर सत्यापन और तकनीकी सहायता** प्रदान करना है।
- **फंड्स जारी करना:** यह उपलब्ध केंद्रीय निधियों के उपयोग और राज्यों की समान हिस्सेदारी पर निर्भर है।
  - राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यक्षमता मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर **प्रदर्शन आधारित अनुदान** प्रदान किया जाता है।
- **15वें वित्त आयोग द्वारा वित्त-पोषण (FFC):** FFC ने **जल आपूर्ति और स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप** में मान्यता दी है। साथ ही, पंचायती राज संस्थाओं को **2021-22 से 2025-26 तक के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपये आवंटित** किए गए हैं।

पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तंत्र

उन्नत निगरानी

- **JJM-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (JJM-WQMIS):** इसका कार्य रियल टाइम में, JJM के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति को रिकॉर्ड करना है।
- रियल टाइम आधार पर **जल आपूर्ति के मापन एवं निगरानी के लिए सेंसर-आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) समाधान।**
- सभी लेन-देन **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** के जरिए किए जाते हैं।

उन्नत वितरण

- JJM के तहत बनाई गई सभी परिसंपत्तियों की **जियो-टैगिंग** की जाती है।
- **'घर के मुखिया' के आधार नंबर के साथ नल कनेक्शन को जोड़ा** जाता है।
- कार्य को आसान बनाने हेतु सभी हितधारकों के उपयोग के लिए **'मोबाइल ऐप'** विकसित किए गए हैं।
- JJM के तहत संपन्न किए जाने वाले **कार्यों** और उपयोग की जाने वाली **सामग्रियों की गुणवत्ता** सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी जांच (TPI) को अनिवार्य किया गया है।

मुख्य पहलें

- **रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम (RWPF):** प्रौद्योगिकी, ज्ञान आधारित उत्पादों का विकास और सूचना साझाकरण के माध्यम से WASH क्षेत्रक में नवाचार को बढ़ावा देना।
- **नल जल मित्र कार्यक्रम: जल आपूर्ति प्रणालियों को बनाए रखने और मरम्मत** करने के लिए ग्रामीणों को "नल जल मित्र" के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।
- **जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (JSA: CTR):** इसे जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण के लिए 2019 में शुरू किया गया था।
- **2024 थीम: "नारी शक्ति से जल शक्ति",** जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया।

15.1.2. नमामि गंगे कार्यक्रम (Namami Gange Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च विश्लेषण के अनुसार, 2024-25 तक नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि का केवल **69% ही उपयोग** किया गया था।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** गंगा नदी का कायाकल्प
- **योजना का प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)
- **बाह्य सहायता:** विश्व बैंक, **JICA, एशिया विकास बैंक,** आदि।

अन्य उद्देश्य

- व्यापक योजना और प्रबंधन के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने हेतु नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर **गंगा नदी के प्रदूषण में प्रभावी कमी और कायाकल्प सुनिश्चित** करना।
- पानी की गुणवत्ता एवं पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए गंगा नदी में **न्यूनतम पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाए रखना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि**

नदी घाटी दृष्टिकोण का विकास

1985	1993	1995	2009	2015
GAP-I (गंगा कार्य योजना) गंगा नदी की मुख्यधारा पर केंद्रित 'नदी प्रदूषण निवारण कार्यक्रम'।	**GAP-II (गंगा कार्य योजना)** प्रदूषण को कम करने के लिए, जिसमें गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों जैसे- **यमुना, गोमती, दामोदर** आदि को शामिल किया गया है।	**NRCP (राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना)** नदी प्रदूषण निवारण कार्यक्रम का विस्तार देश की अन्य प्रमुख नदियों को शामिल करने के लिए किया गया और 1996 में GAP-II को इस कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया।	**NGRBA (राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण)** इसके अध्यक्ष भारत के प्रधान मंत्री हैं। **गंगा नदी बेसिन दृष्टिकोण** के संरक्षण के लिए **विनियामक और विकासात्मक** कार्यों के लिए प्राधिकरण।	**नमामि गंगे मिशन** बेसिन आधारित दृष्टिकोण

* Ganga Action Plan | ** National River Conservation Plan | *** National Ganga River Basin Authority

- **प्रमुख रणनीति:**
  - **व्यापक** एकीकृत कार्यक्रम
  - हाइब्रिड एन्युटी आधारित सार्वजनिक-निजी भागीदारी **(PPP) मॉडल को अपनाना**
  - **5 वर्षीय समर्पित बजट आवंटन**
  - 15 वर्षों के लिए **संचालन और रखरखाव (O&M) की लागत शामिल**
  - **गैर-व्यपगत निधि:** वित्त मंत्री की अध्यक्षता में भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत स्थापित **स्वच्छ गंगा निधि (CGF)।**

» यह निधि भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के लिए पात्र** होगी। यह **100% कर कटौती (धारा 80G) और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम से छूट** के अधीन होगी।

- **गंगा नदी का कायाकल्प**
  - **जन गंगा:** जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए लोगों को नदी से जोड़ना। साथ ही, बड़े पैमाने पर भागीदारी तथा समुदाय और आम जनता की सहभागिता को बढ़ावा देना।
  - **निर्मल गंगा (अप्रदूषित प्रवाह)**
  - **अविरल गंगा (निरंतर प्रवाह)**
  - **ज्ञान गंगा** (ज्ञान और अनुसंधान आधारित हस्तक्षेप)
  - **अर्थ गंगा** (आर्थिक सेतु के माध्यम से लोगों व नदी को जोड़ना)
- **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG):** यह **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 2011 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत** हुआ था।
  - यह **राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य** करता है।
  - NGRBA का गठन **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986** के प्रावधानों के तहत किया गया है।
- **गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र (cGanga):** इसे 2016 में **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IITK)** में स्थापित किया गया था।
  - यह गंगा नदी बेसिन के संधारणीय विकास हेतु **डेटा संग्रह तथा ज्ञान एवं सूचना के सृजन और प्रसार** के लिए कार्य करता है। cGanga के उद्देश्य के भाग के रूप में, **हर साल भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन** (India Water Impact summit) आयोजित किया जाता है।
- **संधारणीय और ईको-कृषि: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ भागीदारी** में शुरू किया गया है।
  - **घाटी क्षेत्र में संधारणीय कृषि भू-खंडों** का विकास करना और **जल उपयोग दक्षता में सुधार करना। गंगा ग्रामों** में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।
- **गंगा प्रहरी:** ये ऐसे **स्व-प्रेरित व्यक्ति** हैं जो आगे गंगा संरक्षण के प्रयासों में दूसरों को भी लामबंद करेंगे। उसकी जैव विविधता **की पारिस्थितिक निगरानी,** जागरूकता आदि **के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।**
- **रिवर फ्रंट का विकास:** गंगा नदी के तट पर **घाटों और शवदाह गृहों** का निर्माण करना।
- **मानचित्रण संबंधी पहलें:**
  - **भौगोलिक मानचित्रण: भारतीय सर्वेक्षण विभाग** LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) और GIS तकनीक का उपयोग करके **गंगा कायाकल्प कार्य** को सुगम बनाता है।
    - » इसका उद्देश्य **5 प्रमुख राज्यों को कवर** करते हुए लगभग 45,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का मानचित्रण करना है। ये 5 प्रमुख राज्य हैं: **उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल।**
  - **सांस्कृतिक मानचित्रण: INTACH** के साथ भागीदारी में गंगा नदी के किनारे मूर्त, अमूर्त और निर्मित विरासत का डॉक्यूमेंटेशन करना।
  - **सूक्ष्मजीव मानचित्रण:** पारितंत्र सेवाओं के लिए **संपूर्ण गंगा में सूक्ष्मजीव विविधता** का GIS-आधारित मानचित्रण करना।
- **शहरी नदी प्रबंधन योजना (URMP):** इसे **शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (NIUA)** और NMCG द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य गंगा नदी बेसिन में **शहरी नदियों की संपूर्णता को बनाए** रखना है।
- **गंगा ग्राम योजना:** उद्देश्य: गंगा नदी की मुख्यधारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक और/ या पर्यटक महत्त्व के गांवों को विकसित करना। गंगा ग्राम से संबंधित कार्यों में **व्यापक ग्रामीण स्वच्छता, जल निकायों और नदी घाटों का विकास करना, शवदाह गृह का निर्माण/ आधुनिकीकरण करना आदि शामिल हैं।**
- **कंटीन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल (CLAP)**
  - यह एक इंटरैक्टिव पोर्टल है जो **भारत में नदियों के संबंध में संवाद और कार्रवाई शुरू करने की दिशा में कार्य कर रहा है।**
  - **विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित और समर्थित है।**
- **प्रयाग प्लेटफार्म:** प्रयाग यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियों के रियल-टाइम विश्लेषण के लिए प्लेटफार्म है।
  - प्रयाग विभिन्न ऑनलाइन डैशबोर्ड, जैसे- गंगा तरंग पोर्टल, गंगा डिस्ट्रिक्ट्स परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम आदि

नमामि गंगे योजना के 8 प्रमुख स्तंभ

सीवरेज उपचार अवसंरचना

रिवर फ्रंट का विकास

नदी की सतह की सफाई

जैव - विविधता

वनीकरण

जन जागरूकता

औद्योगिक प्रवाह की निगरानी

गंगा ग्राम

16. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)

16.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

16.1.1. पी.एम. विश्वकर्मा योजना (PM VISHWAKARMA SCHEME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस योजना के अंतर्गत **25.8 मिलियन आवेदन प्राप्त** हुए हैं। इनमें से 4 नवंबर 2024 तक **2.37 मिलियन सफलतापूर्वक पंजीकृत** हो चुके हैं।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को **समग्र समर्थन** प्रदान करना है।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **कवरेज:** यह योजना **ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शुरू** की जाएगी। इसे **जिला स्तर पर लाभार्थियों की अधिकतम संख्या सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू** किया जाएगा।
- **योजना की अवधि:** वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक।

अन्य उद्देश्य

- इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को **विश्वकर्मा कर्मियों के रूप में मान्यता देना और कौशल उन्नयन** प्रदान करना
- उन्हें विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए **उनके ब्रांड के प्रचार और बाजार तक सरल पहुंच हेतु एक प्लेटफॉर्म** प्रदान किया जाएगा।
- विश्वकर्मा कर्मियों के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए **डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा** दिया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएं

- **अंतर-मंत्रालयी:** इस योजना का प्रबंधन **निम्नलिखित** द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
  - **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME);**
  - **कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) तथा**
  - **वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत वित्तीय सेवा विभाग (DFS)**
- **पात्रता के लिए मानदंड: कारीगर-**
  - **जो हाथों एवं औजारों की सहायता से कार्य करने वाले** तथा स्वरोजगार के आधार पर **असंगठित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त परिवार-आधारित पारंपरिक व्यापार** (इन्फोग्राफिक्स देखें) में से किसी एक में संलग्न हो और
  - **जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो,**
  - **अपात्रता:** ऐसे कारीगर या शिल्पकार जिन्होंने **पिछले 5 वर्षों** में स्व-रोजगार या व्यवसाय विकास के लिए केंद्र या राज्य सरकार की **समान ऋण-आधारित योजनाओं के तहत ऋण लिया है।**
    - » **अपवाद:** यह **मुद्रा (MUDRA) और स्वनिधि योजना के लाभार्थियों** के लिए है।

- **परिवार के किसी एक सदस्य** (पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों)।

- **लाभार्थियों का नामांकन: पी.एम. विश्वकर्मा पोर्टल पर आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके कॉमन सर्विस सेंटरों** के माध्यम से किया गया।

पी.एम. विश्वकर्मा योजना का लाभ

मान्यता देना: पी.एम. विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और आई.डी. कार्ड

कौशल को बढ़ाना: इसके तहत 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक की अवधि का एडवांस प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा।

टूलकिट संबंधी प्रोत्साहन: बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई-वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूलकिट से संबंधित प्रोत्साहन दिया जाएगा।

ऋण आधारित सहायता: दो किश्तों में 3 लाख रुपये (18 महीनों के लिए एक लाख रुपये और 30 महीनों के लिए दो लाख रुपये) तक का जमानत मुक्त 'उद्यम विकास ऋण' प्रदान किया जाएगा।

ब्याज की रियायती दर: लाभार्थियों को 5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ऋण पर दी गई **8 प्रतिशत की ब्याज छूट का भुगतान** भारत सरकार करेगी।

डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन: एक माह में **अधिकतम 100 लेन-देन के लिए प्रति लेन-देन 1 रुपये** का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

मार्केटिंग से संबंधित सहायता: इस योजना के तहत **नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग (NCM)** सहायता प्रदान करेगी।

- **समावेशिता:** योजना के तहत निम्नलिखित समुदायों का सशक्तीकरण करना है-
  - **महिलाएं;**
  - **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBCs, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर जैसे हाशिए पर रहने वाला समुदाय; तथा**
  - **पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, द्वीपीय राज्यक्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी।**

- **सामाजिक सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना:** प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना; प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना; अटल पेंशन योजना; प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना आदि योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करता है।

25 पारंपरिक व्यापार

- बढ़ई (सुथार)
- नाव बनाने वाला
- अस्त्रकार
- लोहार
- हथौड़ा और टूल किट निर्माता
- मरम्मत करने वाला
- सुनार
- कुम्हार
- मूर्तिकार
- पत्थर तराशने वाला
- पत्थर तोड़ने वाला
- मोची (चर्मकार)
- जूते बनाने वाला
- फुटवियर कारीगर
- राजमिस्त्री
- टोकरी बनाने वाला
- टोकरी बुनने वाला (चटाई बनाने वाला)
- नारियल की कोइर बुनने वाला
- झाड़ू बनाने वाला
- गुड़िया और खिलौना बनाने वाला (पारंपरिक)
- नाई (नाल)
- माला बनाने वाला (मालाकार)
- धोबी
- दर्जी
- मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला

17 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY)

17.1.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

17.1.1. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) {National Green Hydrogen Mission (NGHM)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब्स उप-घटक के लिए योजना दिशा-निर्देश जारी किए।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारत को **ग्रीन हाइड्रोजन और उसके सह-उत्पादों के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र** बनाना है।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **योजना की अवधि:** इस योजना का कार्यान्वयन **वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर वित्त वर्ष 2029-30** तक किया जाएगा।
- **लक्ष्य:** वर्ष 2030 तक 5 MMT/वर्ष निर्यात के साथ **10 MMT तक विस्तार।**

अन्य उद्देश्य

- स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य में योगदान देना तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में प्रेरणा के रूप में कार्य करना।
- कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाना, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करना तथा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** भारत का लक्ष्य **2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन** हासिल करना है। ज्ञातव्य है कि **20 वर्षों** में ऊर्जा की मांग **दोगुनी** हो गई है और यह **2030 तक 25% तक बढ़** सकती है। देश अपनी ऊर्जा जरूरत का **40% आयात** करता है, जिसकी लागत वार्षिक **90 बिलियन डॉलर** से अधिक है।
  - **ग्रीन हाइड्रोजन** कम कार्बन और आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **ग्रीन हाइड्रोजन** वह हाइड्रोजन है, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल को **हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके (इलेक्ट्रोलिसिस) उत्पादित** किया जाता है।
- **चरणबद्ध एप्रोच:**
  - **चरण-I (2022-23 से 2025-26):** चरण-I का मुख्य फोकस **स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर इसकी पर्याप्त आपूर्ति करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन की मांग पैदा** करने पर होगा।
  - **चरण-II (2026-27 से 2029-30):** लागत और बाजार की मांग के विकास के आधार पर **स्टील, परिवहन एवं शिपिंग क्षेत्रकों में वाणिज्यिक पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन-आधारित परियोजनाओं को शुरू** करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

- **एकीकृत मिशन रणनीति**
  - **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE):** समन्वय और कार्यान्वयन का नेतृत्व करता है।
  - **विद्युत मंत्रालय:** ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कम लागत वाली नवीकरणीय ऊर्जा सुनिश्चित करता है।
  - **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG):** रिफाइनरियों व शहरी गैस वितरण में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देता है।
  - **रसायन और उर्वरक मंत्रालय:** ग्रीन अमोनिया आधारित उर्वरकों का समर्थन करता है।
  - **अन्य भाग लेने वाले मंत्रालय:** परिवहन, इस्पात, पोत परिवहन, वित्त, वाणिज्य, रेलवे, विदेश मामले, कौशल विकास और शिक्षा।
- **गवर्नेंस फ्रेमवर्क:**
  - **कैबिनेट सचिव** की अध्यक्षता में **अधिकार प्राप्त समूह (EG)।**
  - **राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सलाहकार समूह** का गठन जिसमें शिक्षा जगत व शोध संस्थानों तथा उद्योग और नागरिक समाज के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस समूह की अध्यक्षता **भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार** करेंगे।

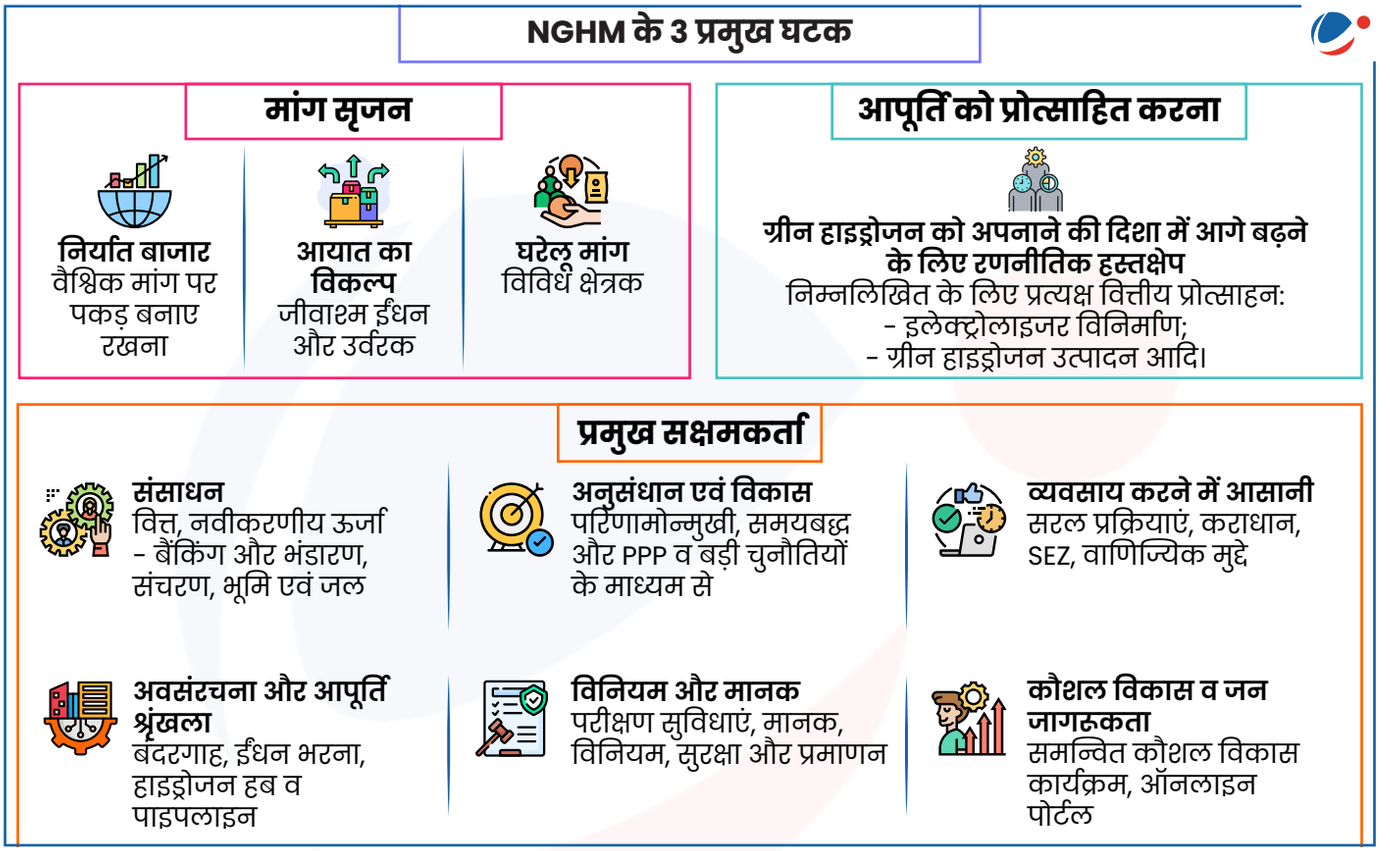

17.1.2. प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) {Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, **प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) योजना** के तहत लाभान्वित होने वाले किसानों की कुल संख्या लगभग 4.1 लाख है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** किसानों को खेती हेतु सौर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी देना।
- **योजना का प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **मांग आधारित योजना:** सब्सिडी हेतु धन का आवंटन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग के आधार पर किया जाता है।
- **योजना की अवधि:** 2026 तक

अन्य उद्देश्य

- 2026 तक 34.8 गीगावाट (GW) की सौर क्षमता प्राप्त करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: पी.एम. कुसुम (PM KUSUM)** को 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्रक में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।

पीएम-कुसुम: कृषि रूपांतरण को मजबूत बनाना

तीन परिवर्तनकारी घटक

घटक A
किसानों की बंजर/ परती/ चारागाह/ दलदली/ खेती योग्य भूमि पर 10,000 MW के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/ स्टिल्ट माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

घटक B
ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 14 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना

घटक C
(i) व्यक्तिगत पंप सोलराइजेशन और (ii) फीडर लेवल सोलराइजेशन के जरिए
35 लाख ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों का सोलराइजेशन

वित्तीय सहायता

घटक-A के लिए डिस्कॉम को प्रोत्साहन:
यह इंसेंटिव 40 पैसे/ किलोवाट-घंटा या ₹6.60 लाख/ मेगावाट/ वर्ष, जो भी कम हो, के रूप में होगा।

घटक-B और C: वित्तीय सहायता
इसके तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) बेंचमार्क लागत का 30% की दर से।
पूर्वोत्तर राज्यों/ पहाड़ी/ द्वीप समूह को 50% CFA प्रदान की जाती है।
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को कम-से-कम 30% वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी।
शेष लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।

- **लाभार्थी:**
  - **घटक-A:** व्यक्तिगत किसान, सौर ऊर्जा डेवलपर, सहकारी समितियां, पंचायतें और किसान उत्पादक संगठन
  - **घटक-B और C:** लाभार्थियों में व्यक्तिगत किसान, किसानों के समूह, क्लस्टर सिंचाई प्रणाली, जल उपयोगकर्ता संघ (WUA), किसान उत्पादक संगठन (FPO) और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS)/ क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली शामिल हैं।
- **सोलराइजेशन के लिए भूमि का पट्टा: राज्य** मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन और फीडर स्तर के सोलराइजेशन के लिए **भूमि पट्टे की दरों की घोषणा कर सकते हैं।**

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

17.1.3. पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सोलर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय घरों को स्वयं बिजली पैदा करने में सशक्त बनाने के लिए पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** सोलर रूफटॉप पैनल की हिस्सेदारी को बढ़ाना और आवासीय परिसरों को अपनी बिजली स्वयं पैदा करने के लिए सशक्त बनाना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **मॉडल सौर ग्राम:** ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर सिस्टम (RTS) को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में प्रत्येक जिले में एक गांव विकसित किया जाएगा।
- **अवधि: 2024 से 2026-27 तक**

अन्य उद्देश्य

- **आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम (RTS) के माध्यम से 30 गीगावॉट (GW) सोलर कैपेसिटी** की स्थापना करना।
- **RTS की स्थापना** करके **1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त/ सस्ती बिजली प्रदान करने में मदद** करना।
- योजना के तहत स्थापित क्षमता के जरिए **1,000 बिलियन यूनिट, नवीकरणीय बिजली** का उत्पादन करना।
- **घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने** के लिए विनियामकीय समर्थन, विनिर्माण संबंधी सुविधाएं, आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ इसके लिए **आवश्यक इकोसिस्टम को विकसित** करना।
- ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ **स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा** देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** 2019 में **ग्रिड कनेक्टिव रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के दूसरे चरण** को लॉन्च किया गया था। इसे **2025-26 तक लागू** किया जाना है। अब इस योजना को **पी.एम.-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शामिल कर दिया गया** है।
  - चरण II ग्रिड कनेक्टिव रूफटॉप सोलर कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों सहित आवासीय क्षेत्रक में केंद्रीय वित्तीय सहायता के जरिए 40 GW RTS क्षमता को जोड़ना है।
- **CFA के लिए पात्रता:** डिस्कॉम मीटर से जुड़ी ग्रिड कनेक्टेड आवासीय RTS प्रणालियां CFA के लिए योग्य हैं, बशर्ते उन्हें छत, टेरेस, बालकनी, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी (BiPV) सिस्टम या ऊंचे ढांचे पर इंस्टॉल किया गया हो।
  - **डिस्कॉम-अनुमोदित समूह और वर्चुअल नेट मीटरिंग** भी CFA के लिए पात्र हैं।
- **सब्सिडी संरचना:** इस योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता (Central Financial Support: CFA) के जरिए **आवासीय क्षेत्रक में ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर परियोजनाओं की स्थापना में मदद की जाएगी:**

आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)

आवासीय खंड के अनुसार CFA का विभाजन।

आवासीय इकाई के प्रकार	CFA	CFA (विशेष श्रेणी वाले राज्य)
» पहले 2 kWp की RTS क्षमता या उसका भाग	» ₹30,000/kWp	» ₹33,000/kWp
» **1 किलोवाट की अतिरिक्त RTS क्षमता** या उसका भाग	» ₹18,000/kWp	» ₹19,800/kWp
» **3 किलोवाट से अधिक** की अतिरिक्त RTS क्षमता	» कोई अतिरिक्त CFA नहीं	» कोई अतिरिक्त CFA नहीं
» 500 किलोवाट तक की ईवी चार्जिंग (प्रति घर 3 किलोवाट की दर से) सहित साझा सुविधाओं वाली ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/RWA आदि।	» ₹18,000/kWp	» ₹19,800/kWp

गणना के उदाहरण

उदाहरण 1: 1.5 kW प्रणाली
CFA गणना:
30,000×1.5 = 45,000

उदाहरण 2: 2.5 kW प्रणाली
CFA गणना:
(30,000 × 2) + (18,000×0.5) = 69,000

- **CFA का लाभ उठाने के लिए शर्तें:**
  - CFA, स्थापित किए जाने वाले **इन्वर्टर के निरपेक्ष (आकार पर ध्यान दिए बिना) प्रदान किया जाएगा।**
  - स्थापना में प्रयुक्त सौर मॉड्यूल को **घरेलू सामग्री अनिवार्यता संबंधी शर्त** को पूरा करना होगा।
  - जो आवासीय उपभोक्ता/ RWA रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के रूफटॉप सोलर सिस्टम हेतु पूर्व/ वर्तमान योजना के तहत CFA का लाभ उठा चुके हैं और जिन्होंने बाद में **RTS इंस्टॉलेशन का आकार बढ़ाया है,** वे वर्तमान योजना के तहत समग्र RTS संयंत्र के आकार के केवल 3 किलोवाट तक की शेष क्षमता के लिए अतिरिक्त CFA के लिए पात्र होंगे।
- **आवासीय RTS की स्थापना के लिए ऋण:** परिवार 3 किलोवाट तक की RTS प्रणालियों की स्थापना के लिए लगभग 7% के जमानत रहित (कोलैटरल फ्री) कम-ब्याज दर वाले ऋण ले सकते हैं।
- **गुणवत्ता आश्वासन:** यह योजना CFA के लिए पात्र रूफटॉप सोलर हेतु अनिवार्य न्यूनतम तकनीकी विशिष्टताओं को तय करेगी।
- **राष्ट्रीय पोर्टल:** यह पोर्टल **परिवारों को निम्नलिखित सुविधा** प्रदान करेगा:

- यह परिवारों को सब्सिडी के लिए आवेदन करने, विक्रेता चुनने, तथा सिस्टम अनुशंसाओं और शिकायत निवारण तक पहुंचने में सहायता करता है।

- **राज्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला अतिरिक्त अनुदान:** आवासीय क्षेत्रक में RTS के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए CFA के साथ-साथ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें **अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर सकती** हैं।
- **स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन:** शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को **RTS को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत** किया जाएगा।
- **आदर्श गांव:** प्रत्येक चयनित आदर्श सौर गांव को **₹1 करोड़** प्रदान किए जाएंगे।
- **डिस्कॉम प्रोत्साहन:** अतिरिक्त ग्रिड से जुड़ी **RTS क्षमता स्थापित स्तर** के आधार पर (ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर फेज II योजना के तहत उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार)।
  - प्रोत्साहन **पहले अतिरिक्त 18,000 मेगावाट तक सीमित है, जिसमें बेंचमार्क लागत का 5-10% प्रोत्साहन** शामिल है।

18 पंचायती राज मंत्रालय (MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ)

18.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

18.1.1. स्वामित्व/ SVAMITVA योजना (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण/ Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **स्वामित्व योजना के अंतर्गत स्वामियों को संपत्ति कार्ड वितरित** किए।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत आवासीय (आबादी) संपत्ति स्वामित्व समाधान प्रदान करना।
- **योजना का प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय सर्वेक्षण (Survey of India)
- **कार्यविधि: 2020-21 से 2024-25 तक।**

अन्य उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना बनाने हेतु **भूमि का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना** एवं **संपत्ति से जुड़े विवाद को कम करना।**
- ग्रामीणों को ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ उठाने के लिए उनकी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में समर्थ बनाकर **वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करना।**
- **संपत्ति कर का निर्धारण करना।** यह कर राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से उन ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर, इसे राज्य के खजाने में जमा किया जाएगा।
- **सर्वेक्षण के लिए अवसंरचना और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)** मानचित्रों का निर्माण करना, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकता है।
- GIS मानचित्रों का उपयोग करके **बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में सहायता करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना का लक्ष्य **ग्रामीण परिवारों के मुखिया** को संपत्ति कार्ड/ स्वामित्व दस्तावेज के रूप में **'अधिकार अभिलेख (Record of rights)'** प्रदान करना है।
- **योजना का लक्ष्य: 6.62 लाख गांवों** को कवर करना है।

योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख गतिविधियां:

- **ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण करना:** भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के द्वारा ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाएगा।

- योजना के तहत जियो-रेफरेन्स का उपयोग करके मानचित्र **तैयार किया जा रहा है।** यह ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों की **डिजिटल तस्वीरों को कैप्चर करने में सहायक होगा।**
- बनाए गए मानचित्रों के आधार पर संपत्ति कार्ड बनाने और उनका वितरण करने का **दायित्व संबंधित राज्य सरकार पर है।**

- **निरंतर संचालित रेफरेन्स स्टेशन (CORS) की स्थापना:** CORS नेटवर्क सटीक जियो-रेफरेंसिंग, भू-सत्यापन और भूमि सीमांकन के लिए महत्वपूर्ण है।
- **स्वामित्व डैशबोर्ड:** यह स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की रियल टाइम प्रगति की निगरानी करता है।
- **डिजिलॉकर ऐप:** लाभार्थी डिजिलॉकर ऐप के जरिए संपत्ति कार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
- **ग्राम-मानचित्र (Gram Manchitra): स्थानिक नियोजन एप्लीकेशन 'ग्राम मानचित्र' एवं केंद्रीय अवसंरचना** के विकास के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को धनराशि आवंटित की गई है।
- **जागरूकता अभियान:** योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियां** शुरू की गई हैं।

फास्ट ट्रैक कोर्स 2025

सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स

क्या आप "प्री" के लिए तैयार हैं?

इस कोर्स का उद्देश्य

GS प्रीलिम्स कोर्स विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है जो GS पेपर I की तैयारी में अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें GS पेपर I प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस, विगत वर्षों के UPSC पेपर का विश्लेषण और Vision IAS के क्लासरूम टेस्ट की प्रैक्टिस एवं चर्चा शामिल होगी। हमारा लक्ष्य है कि अभ्यर्थी बेहतर परफॉर्म करें और कोर्स पूरा करने के बाद अपने प्रीलिम्स स्कोर में एक बड़ा सुधार करें।

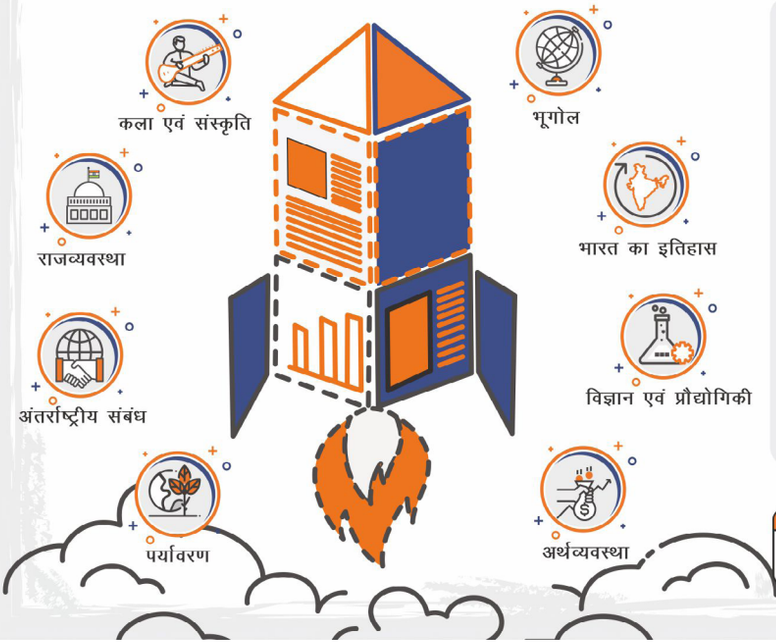

इसमें निम्नलिखित शामिल है:

- पर्सनल स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस तक पहुंच
- प्रीलिम्स सिलेबस के लिए विस्तृत, प्रासंगिक और अपडेटेड स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी
- PT 365 की कक्षाएं
- सेक्शनल मिनी टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स

प्रवेश प्रारंभ
Available in English & हिन्दी
Live/Online Classes available

19 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS)

19.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

19.1.1. राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)- मिशन कर्मयोगी {National Programme For Civil Services Capacity Building (NPCSCB)- Mission Karmayogi}

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, **क्षमता निर्माण आयोग (CBC) की स्थापना के तीन वर्ष पूरे हुए। इसका गठन राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB)-मिशन कर्मयोगी** के हिस्से के रूप में 2021 में किया गया था।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** यह **सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम** का निर्धारण करता है।
- **योजना का कवरेज:** यह **कार्यक्रम** केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और एजेंसियों के **सभी सिविल सेवकों** के लिए है। इसके तहत **कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों को भी कवर** किया गया है
- **My iGOT:** यह व्यक्तिगत अधिकारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है।
- **क्यूरेटेड कार्यक्रम: यह कार्यक्रम, मंत्रालयों/ विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों की विविध लर्निंग आवश्यकताओं को पूरा करता है।**

अन्य उद्देश्य

- **भारतीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण दृष्टिकोण को बदलने** के लिए एक मजबूत **डिजिटल इकोसिस्टम/ परिवेश** की स्थापना करना। इससे अधिकारियों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु कभी भी, कहीं भी **निरंतर सीखने** में सक्षम बनाया जा सकेगा।

प्रमुख विशेषताएं

- **मिश्रित कार्यक्रम:** इसमें **सभी स्तरों पर प्रशिक्षण के तरीकों तक समान पहुंच** सुनिश्चित की जाएगी। इसमें **ऑफलाइन कक्षा पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन लर्निंग घटकों के साथ एकीकृत** किया जाएगा।
- **विकास/VIKAS (वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट):** यह केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत सिविल सेवकों के प्रबंधन के लिए नया मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है।
- **12 डोमेन विशिष्ट क्षमता निर्माण ई-लर्निंग पाठ्यक्रम** विकसित किए गए हैं।
- **मुख्य बिंदु/ दृष्टिकोण:**
  - सिविल सेवकों के कार्य आवंटन को **पद की आवश्यकता के साथ उनकी क्षमताओं को जोड़ते हुए** तय करना।
  - **'ऑफ-साइट लर्निंग'** के साथ-साथ **'ऑन-साइट लर्निंग'** पर जोर देना।
  - **साझा प्रशिक्षण अवसंरचना के एक इकोसिस्टम** का निर्माण करना, जिसमें लर्निंग सामग्री, संस्थान और कार्मिक शामिल हैं।

- **पोर्टल:**
  - **अमृत ज्ञान कोष पोर्टल:** भारत-केंद्रित केस स्टडीज प्राप्त करने के लिए साझा शिक्षण संसाधन ज्ञान बैंक।
  - **फैकल्टी विकास पोर्टल:** सिविल सेवकों को बेहतर ज्ञान प्रदान करने के लिए चिकित्सकों और फैकल्टी का प्रशिक्षण।

मिशन कर्मयोगी के 6 स्तंभ

नीतिगत फ्रेमवर्क (Policy Framework)
नई प्रशिक्षण नीतियां, जिसमें लगातार ज्ञान अर्जित करने तथा क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

क्षमतागत फ्रेमवर्क (Competency Framework)
स्वदेशी क्षमतागत फ्रेमवर्क के जरिए "नियम (Rule) से भूमिका (Role)" में तब्दील होना

संस्थागत फ्रेमवर्क (Institutional Framework)
PMHR परिषद द्वारा निगरानी की जाएगी

iGOT-कर्मयोगी
व्यापक स्तर पर लर्निंग प्लेटफॉर्म

ई-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (e-HRMS)
रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन

निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क
लगातार कार्य निष्पादन विश्लेषण, डेटा आधारित लक्ष्य निर्धारण तथा वास्तविक समय में निगरानी

20 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS)

20.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

20.1.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रिपोर्ट्स के अनुसार 1 नवंबर, 2024 तक **भारत में 32.83 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता** हैं। इनमें PMUY के तहत **10.33 करोड़ उपभोक्ता** शामिल हैं।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** इसका उद्देश्य महिलाओं को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन (LPG) प्रदान करके महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
- **योजना के तहत आवेदक:** केवल महिलाएं जिनकी **आयु कम-से-कम 18 वर्ष** हो।
- **योजना के लाभ:** निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन।
- **प्राथमिक लाभार्थी:** महिलाएं एवं बच्चे

अन्य उद्देश्य

- उन **निम्न-आय वाले परिवारों** की महिलाओं को **निःशुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन** प्रदान करना, जिन्हें PMUY के **पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया** जा सका था।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** PMUY पहल का शुभारंभ 2016 में किया गया था। इसका उद्देश्य **8 करोड़ ग्रामीण और वंचित परिवारों को निःशुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन प्रदान** करना था।
  - **उज्ज्वला 2.0:** PMUY योजना के अंतर्गत अतिरिक्त **1.6 करोड़ LPG कनेक्शन** का आवंटन, जिसमें **प्रवासी परिवारों** को विशेष सुविधा।
  - वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए **अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन** स्वीकृत किए गए हैं। **75 लाख** अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन के प्रावधान से **PMUY लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़** हो जाएगी।
- **पात्रता:** किसी निर्धन परिवार की **ऐसी वयस्क महिला** इस योजना के लिए पात्र होगी, **जिसके परिवार में कोई LPG कनेक्शन नहीं है।**
- **लाभार्थी नामांकन:** पात्र महिला **अपने पते का प्रमाण, राशन कार्ड, आधार और बैंक विवरण** के साथ निकटतम डिस्ट्रीब्यूटर को KYC फॉर्म जमा करके आवेदन कर सकती है।
  - **प्रवासी लाभार्थियों के लिए पंजीकरण का सरलीकरण:** प्रवासियों को राशन कार्ड या पते से संबंधित कोई प्रमाण-पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक **स्व-घोषणा पत्र ही पर्याप्त** होगा।
- **सब्सिडी:**
  - **प्रत्येक LPG** कनेक्शन के लिए **1600 रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
  - **प्रतिवर्ष 14.2 किलोग्राम रिफिल वाले 12 सिलेंडर्स पर प्रति सिलेंडर 200 रुपये** की सब्सिडी दी जाती है।

PMUY के तहत पात्र लाभार्थी

- सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) 2011
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवारों से संबंधित हो
- प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY)- ग्रामीण
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY)
- अति पिछड़ा वर्ग (MBC)
- वनवासी हो
- द्वीपों/ नदी द्वीपों के निवासी
- चाय बागान जनजातियां और पूर्व-चाय-बागान जनजातियां
- अन्य निर्धन परिवार

- **जो योजना के लिए पात्र नहीं हैं:** जिस परिवार ने किसी तेल विपणन कंपनी से कोई अन्य LPG कनेक्शन लिया हुआ है।
  - जिस परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है तो वह परिवार योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।
- **LPG पंचायत:** यह LPG के सुरक्षित रूप से उपयोग करने और पारंपरिक ईंधन की तुलना में LPG के उपयोग के लाभों पर चर्चा करने के लिए बनाई गई है।

"You are as strong as your Foundation"
FOUNDATION COURSE
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS
2026, 2027 & 2028
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam
- Includes Pre Foundation Classes
- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2026, 2027 & 2028
Live - online / Offline Classes
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI :10 APR, 8 AM | 17 APR, 5 PM | 22 APR, 11 AM 29 APR, 2 PM
GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 17 APR, 6 PM | 30 APR, 8 AM
हिन्दी माध्यम DELHI: 10 अप्रैल, 8 AM | 22 अप्रैल, 11 AM
AHMEDABAD: 4 JAN | BENGALURU: 1 APR | BHOPAL: 25 MAR | CHANDIARH: 18 JUN
HYDERABAD: 23 APR | JAIPUR: 5 APR | JODHPUR: 15 APR | LUCKNOW: 9 APR | PUNE: 8 APR

21 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS)

21.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

21.1.1. सागरमाला (Sagarmala)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, **गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)** का विकास किया जा रहा है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** अवसंरचना में कम-से-कम निवेश के साथ **एक्जिम (निर्यात-आयात) और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक लागत** को कम करना।
- **योजना का प्रकार:** यह **एक केंद्रीय** क्षेत्रक योजना है।
- **वित्त-पोषण:** स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPVs) और बजटीय सहायता के जरिए इक्विटी सहायता।
- **परियोजनाओं का कार्यान्वयन:** परियोजनाओं को **निजी या PPP मोड** के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

अन्य उद्देश्य

- **भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर** संभावित नौगम्य जलमार्गों की क्षमता का उपयोग करके **आर्थिक विकास** में तेजी लाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसे भारतीय तटरेखा के समग्र विकास के लिए 2016 में शुरू किया गया था। यह **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)** के अनुरूप है।
- **सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड: इसे कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत स्थापित किया गया है, ताकि **राज्य स्तर/क्षेत्र स्तरीय स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPVs)** का गठन हो सके।
- **सागरमाला कार्यक्रम का संस्थागत ढांचा**
  - **राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC)**
    - **संरचना:** पोत परिवहन मंत्री (अध्यक्ष), कैबिनेट मंत्री, समुद्र तटीय राज्यों के मुख्यमंत्री/ मंत्री।
    - **भूमिका:** नीतिगत मार्गदर्शन, उच्च स्तरीय समन्वय, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना को मंजूरी देना तथा योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
  - **राज्य सागरमाला समिति**
    - **संरचना:** मुख्यमंत्री/ पत्तन विभाग के प्रभारी मंत्री, संबंधित विभाग/ एजेंसियां आदि।
    - **भूमिका:** सागरमाला परियोजनाओं का समन्वय करना और सुविधा प्रदान करना, NSAC द्वारा निर्देशित मामलों को प्राथमिकता देना, आदि।

योजना के तहत परियोजनाओं को पांच स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है

पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण
- » औद्योगिक क्लस्टर
- » SIPC /SEZ
- » थर्मल पावर प्लांट
- » पोर्ट आधारित उद्योग

तटीय समुदाय विकास
- » कौशल विकास
- » मत्स्य पालन
- » रोपवे
- » प्रौद्योगिकी केंद्र
- » सामुदायिक विकास

तटीय पोत परिवहन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन
- » तटीय पर्यटन
- » रो-रो/ रो-पैक्स/ यात्री जेटी
- » क्रूज़ पर्यटन
- » तटीय अवसंरचना
- » द्वीप विकास
- » अंतर्देशीय जलमार्ग

पत्तन आधुनिकीकरण
- » नए पत्तन
- » पत्तन आधुनिकीकरण - प्रमुख पत्तन
- » पत्तन आधुनिकीकरण गैर-प्रमुख पत्तन
- » जहाज की मरम्मत

पत्तन कनेक्टिविटी
- » सड़क
- » रेल
- » पाइपलाइन
- » मल्टीमॉडल हब

- **विकास का लैंडलॉर्ड मॉडल:** यह **मिश्रित सार्वजनिक-निजी पत्तन प्रणाली** है जहां पोर्ट अथॉरिटी अपने पास भूमि का स्वामित्व रखता है और उसका विनियमन करता है , जबकि निजी कंपनियां कार्गो संचालन जैसे कार्यों का जिम्मा संभालती हैं।
- **सागरमाला युवा पेशेवर (SYP) योजना**
  - **उद्देश्य: मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में प्रतिभाशाली, आगे की सोच रखने वाले और गतिशील युवा पेशेवरों को शामिल करना।**
  - शुरुआत में, इस योजना के तहत **अवसंरचना, डेटा विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन, जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट देने के लिए** लगभग **25 युवा पेशेवरों को 2 वर्ष (2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है)** के लिए काम पर रखा जाएगा।

22 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS)

22.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme)

22.1.1. स्वैच्छिक वाहन-आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Voluntary Vehicle Fleet Modernization Programme)

स्मरणीय तथ्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **'पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों' (RVSFs)** और **'स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATSs)'** के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में **अनुपयुक्त (अनफिट) और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम का विकास** करना है।
- **लक्ष्य:** वाहन की उपयोग अवधि पर ध्यान दिए बिना, फिटनेस के आधार पर लगभग **1 करोड़ अनुपयुक्त वाहनों को स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप** करना।
- **रणनीति:** अनुप्रयुक्त वाहनों के मालिकों को पुराने वाहनों को स्क्रैप के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न प्रोत्साहनों की पेशकश की गई है तथा ऐसे वाहनों का उपयोग नहीं करने के लिए हतोत्साहित करने हेतु उपाय किए गए हैं।
- **वाहन की उपयोग अवधि:** वाहनों को स्क्रैप हेतु भेजने के लिए कोई अनिवार्य उपयोग अवधि निर्धारित नहीं की गई है तथा वे तब तक चल सकते हैं, जब तक वे फिट पाए जाते हैं।

अन्य उद्देश्य

- **प्रदूषण नियंत्रण:** उत्सर्जन में 15-20% की कटौती करना।
- **सेफ्टी और इकॉनमी:** सड़क सुरक्षा, ऑटो सेक्टर की बिक्री, रोजगार के अवसर, ईंधन दक्षता आदि को बढ़ावा देना तथा वाहनों की रखरखाव लागत को कम करना।
- **सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देना:** वाहन स्क्रैपेज उद्योग वर्तमान में अनौपचारिक है, इसे औपचारिक बनाना।
- **उद्योग की संवृद्धि:** ऑटो, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रकों को कम लागत पर कच्चे माल उपलब्ध कराना।

प्रमुख विशेषताएं

- **सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD):** फिटनेस परीक्षण में विफल होने वाले वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा, और **मालिकों को प्रमाण के रूप में CoD (स्क्रैपेज प्रमाणपत्र) प्राप्त** होगा। इस सर्टिफिकेट का उपयोग नए वाहन खरीदने पर छूट का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है।
- **स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS):** वाहनों के मैनुअल परीक्षण को कम करने के लिए ATS स्थापित किए जाएंगे-
  - पहले चरण में, 75 स्टेशन प्रस्तावित हैं; बाद में पूरे भारत में ऐसे 450-500 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
  - **राज्य सरकार की भागीदारी के साथ PPP मोड में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।**
- **पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (RVSFs):** तकनीकी रूप से एडवांस्ड और पारदर्शी RVSFs यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहनों को पर्यावरण-अनुकूल और सुरक्षित तरीके से स्क्रैप किया जाए
  - भारत में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग से रिकवरी (स्टील इत्यादि) प्रतिशत लगभग 90% के वैश्विक बेंचमार्क की तुलना में केवल 75% है
  - अगले 4-5 वर्षों में **देश भर में 50-70 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों** की स्थापना की आवश्यकता है।

स्वैच्छिक वाहन-आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वाणिज्यिक वाहन (CVs)

वाहनों का पंजीकरण **फिटनेस प्रमाण-पत्र की वैधता** से जुड़ा होता है।

CVs का **पहले 8 वर्षों तक हर 2 वर्ष में फिटनेस परीक्षण** किया जाता है। इसके बाद **हर साल फिटनेस परीक्षण** किया जाता है।

निजी वाहन (PVs)

पहला पंजीकरण **15 वर्षों के लिए वैध** होता है।

15 वर्षों के बाद पंजीकरण के **नवीनीकरण के लिए वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र आवश्यक** है। नवीनीकरण **5 वर्षों के लिए वैध** होता है।

वाहनों के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से फिटनेस अनिवार्य होगी

1 अप्रैल 2023 से, भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के माध्यम से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है।

1 जून, 2024 से कई चरणों में PVs के साथ-साथ CVs के अन्य सभी वर्गों के लिए लागू किया गया है।

वाहनों के लिए एंड ऑफ लाइफ (ELV) घोषणा

यदि वाहन स्वचालित फिटनेस परीक्षण में विफल रहता है, तो आवश्यक सुधार के बाद **पुनः परीक्षण** किया जाता है। यदि आवश्यक हो, तो **अपीलीय प्राधिकरण** द्वारा पुनः निरीक्षण का आदेश दिया जा सकता है। यदि सभी परीक्षणों और निरीक्षणों के बाद भी वाहन फिटनेस टेस्ट में विफल रहता है, तो उसे ELV घोषित कर दिया जाता है।

स्वैच्छिक वाहन-आधुनिकीकरण कार्यक्रम

एंड ऑफ लाइफ (ELV) वाहनों के मालिकों को अपने पुराने वाहन स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन

स्क्रैपिंग केंद्र से पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप वैल्यू
नए वाहनों के मूल्य का 4-6%
स्क्रैपिंग केंद्रों द्वारा नए वाहन के एक्स-शोरूम मूल्य का लगभग 4-6% स्क्रैप वैल्यू प्रदान किया जाता है।

राज्य सरकारों द्वारा छूट
गैर-परिवहन वाहनों पर 25% तक की छूट
परिवहन वाहनों पर 15% तक की छूट

पंजीकरण शुल्क में छूट
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होने पर कोई पंजीकरण शुल्क नहीं

मूल उपकरण निर्माता (OEM) से स्वतः छूट
विनिर्माताओं द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट धारक को 5% छूट देने की सलाह

हतोत्साहित करना

फिटनेस टेस्ट शुल्क में वृद्धि
15 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों के फिटनेस टेस्ट और सर्टिफिकेशन पर अधिक शुल्क लगाना

पुनः पंजीकरण के लिए उच्च शुल्क
15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट, टेस्ट और फिर से पंजीकरण के लिए शुल्क बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट जारी

मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बदले नया वाहन खरीदने पर छूट प्रदान की जा रही है

छूट का विवरण	वाणिज्यिक वाहन	यात्री वाहन
छूट	• **पिछले 6 महीनों के भीतर स्क्रैप किए गए 3.5 टन से अधिक वजन वाले मालवाहक** वाहनों के लिए एक्स-शोरूम मूल्य का 3%। • **पिछले 6 महीनों के दौरान स्क्रैप किए गए 3.5 टन से कम वजन वाले मालवाहक वाहनों के लिए एक्स-शोरूम कीमत का 1.5%**	• **6 महीने** के भीतर स्क्रैप की गई कारों के लिए **एक्स-शोरूम कीमत का 1.5% या 20,000 रुपये** (जो भी कम हो)। • **स्क्रैप किए गए वाहन** का विवरण **वाहन प्रणाली** प्लेटफार्म से जोड़ा जाना चाहिए। • वाहन विनिर्माता चुनिंदा **मॉडल्स पर अतिरिक्त छूट** दे सकते हैं।
छूट अवधि	2 साल	1 साल

23 ग्रामीण विकास मंत्रालय (MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT)

23.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

23.1.1. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में DAY-NRLM द्वारा "नई चेतना-पहल बदलाव की" अभियान का आयोजन किया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य:** ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं-सहायता समूहों (SHG) में संगठित करके गरीबी का उन्मूलन करना। साथ ही, **गरीब परिवारों को लाभकारी स्व-रोजगार एवं वेतन वाले रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना।**
- **लक्ष्य:** मिशन का लक्ष्य **सभी ग्रामीण गरीब परिवारों** को इससे जोड़ना है।
- **कार्यान्वयन:** स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (स्वायत्त राज्य समाज) के द्वारा।

अन्य उद्देश्य

- गरीबों, विशेषकर महिलाओं के लिए **SHGs जैसी मजबूत संस्थाओं का निर्माण करना** तथा इन संस्थाओं को **विभिन्न वित्तीय सेवाओं और आजीविका** तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाना।
- **औपचारिक ऋण, अधिकारों और सार्वजनिक सेवाओं** तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना। साथ ही, **आजीविका के विविधीकरण और सुदृढ़ीकरण** का समर्थन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **लाभार्थियों की पहचान**
  - **सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (SECC), 2011** में सूचीबद्ध **कम-से-कम एक अभावग्रस्तता वाले सभी ग्रामीण गरीब परिवार।**
  - **गरीबों की पहचान हेतु भागीदारी प्रक्रिया (PIP):** गांव में प्रवेश के दौरान, सामाजिक कार्यकर्ता PIP का कार्य करेंगे। इसके तहत सामाजिक मानचित्रण, धन और कल्याण संबंधी रैंकिंग/ समूहीकरण, सुभेद्यता रैंकिंग, सबसे गरीब गांवों की बस्तियों तक पैदल यात्रा आदि करना शामिल है।
  - PIP में DAY-NRLM के लक्षित परिवारों को निर्धनों में सबसे निर्धन (POP) के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। इस तरह तैयार की गई सूची को ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

DAY-NRLM के मुख्य घटक

सामाजिक लामबंदी और क्षमता विकास

- निर्धन ग्रामीण परिवार में से कम-से-कम एक महिला सदस्य को SHG समूहों को बैंक लिंकेज व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।
- मिशन के अधिकांश कार्य, SHG महिलाओं द्वारा कार्यान्वित और बढ़ाए जा रहे हैं जिन्हें सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) यथा कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, आदि के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

वित्तीय समावेशन

- **स्वयं सहायता समूहों को 10,000-15,000 रुपये का रिवोल्विंग फण्ड** दिया जाता है जो **'पंचसूत्र'** (नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित लेनदेन, समय पर पुनर्भुगतान, तथा अद्यतन खाता बही) का पालन करते हैं।

आजीविका प्रोत्साहन

- कौशल विकास, रोजगार, RSETI के माध्यम से स्वरोजगार, बाजार समर्थन और नवाचार।

अभिसरण (कन्वर्जेन्स)

- ग्रामीण निर्धनों की गरीबी में कमी लाने से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ समन्वय

DDD-NRLM के अंतर्गत प्रमुख पहल

- **आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (ASDP): NRLM फंड का 25%** ASDP के लिए निर्धारित किया गया है। यह ग्रामीण युवाओं के कौशल निर्माण और अर्थव्यवस्था के बढ़ते क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च वेतन वाले रोजगार में उनकी नियुक्ति में सहायता करता है।
- **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP):** NRLM, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) के माध्यम से **सफल, लघु-स्तरीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है,** जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी एवं उत्पादकता को बढ़ाती है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP):** 2011 में विश्व बैंक द्वारा 500 मिलियन डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी गई।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (NRETP): डिजिटल वित्त और आजीविका संबंधी उपायों को बढ़ावा देना। विश्व बैंक** द्वारा वित्त-पोषित।
- **सक्षम केंद्र (SAKSHAM Centres): उद्देश्य:** SHG सदस्यों और ग्रामीण गरीबों को **वित्तीय साक्षरता प्रदान करना और वित्तीय सेवाओं** (बचत, ऋण, बीमा, पेंशन आदि) के वितरण की सुविधा प्रदान करना।
- **आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY):** AGEY का उद्देश्य **स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों द्वारा संचालित वाहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना** है।
  - SHG सदस्यों को वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर निश्चित मार्गों पर **वाहनों के संचालन के लिए** समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) **द्वारा ब्याज मुक्त ऋण** प्रदान किया जाता है।
- **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)**
  - ग्रामीण निर्धनों को निःशुल्क **मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण** की सुविधा प्रदान की जाती है।
  - **लाभार्थी: 15 से 35 वर्ष** की आयु वर्ग के ग्रामीण युवा और **45 वर्ष** की आयु वाले अनुसूचित जाति/ **अनुसूचित जनजाति/ महिला/ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) एवं दिव्यांगजन।**
  - **समावेशी कार्यक्रम डिजाइन- सामाजिक रूप से वंचित समूहों का अनिवार्य कवरेज** (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को 50%; अल्पसंख्यक को 15% तथा महिलाएं को 33%)।
- **"संगठन से समृद्धि- किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना":** यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों की 10 करोड़ महिलाओं को संगठित करना है।

23.1.2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA) (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 के तहत **अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें** अधिसूचित की है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों** में अकुशल शारीरिक श्रम के जरिए **पूरक/ सहायक आजीविका को कानूनी अधिकार** बनाना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **लाभार्थी:** ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले **किसी भी परिवार का 18 वर्ष से अधिक आयु का सदस्य।**
- **निगरानी तंत्र:** ग्राम सभा द्वारा **सामाजिक लेखापरीक्षा** करके योजना की निगरानी की जाती है।

अन्य उद्देश्य

- **आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है।** इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे **प्रत्येक परिवार को** एक वित्तीय वर्ष में **कम-से-कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी आधारित रोजगार** मुहैया कराया जाता है, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से **अकुशल मैन्युअल कार्य** करना चाहते हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- **कवरेज:** इसमें सौ प्रतिशत नगरीय जनसंख्या वाले **जिलों को छोड़कर** देश का संपूर्ण क्षेत्र शामिल है।
- **वित्त-पोषण साझाकरण**
  - **केंद्र सरकार का योगदान:** अकुशल श्रम लागत का 100% और **सामग्री लागत का 75% वित्त पोषण** केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
  - **राज्य सरकारों का योगदान:** राज्य सरकारें **सामग्री लागत का 25% हिस्सा** वहन करती हैं।
- **मांग संचालित एवं जन केंद्रित**
  - **गारंटीकृत रोजगार:** इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में **प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम सौ दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम आधारित रोजगार उपलब्ध** करवाया जाता है। यह कार्य मांग के अनुसार दिया जाता है।
  - **बेरोजगारी भत्ता:** इसके तहत मांग के **15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता** दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- **अतिरिक्त रोजगार: एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों का अतिरिक्त अकुशल श्रम आधारित रोजगार** उपलब्ध करवाया जाता है।
  - हालांकि, यह ग्रामीण क्षेत्रों में **सूखे/ प्राकृतिक आपदा की स्थिति में** ही लागू किया जाता है।
  - वन क्षेत्रों में निवास करने वाले **अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक परिवार** को, 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके लिए एक शर्त यह है, कि इन परिवारों के पास FRA अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किए गए भूमि अधिकारों के अलावा **कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।**
  - **राज्यों के विवेकाधिकार:** राज्य सरकारें अपने स्वयं के कोष से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अधिक अतिरिक्त रोजगार दिवस प्रदान करने के लिए प्रावधान कर सकती हैं।
- **श्रमिकों के लिए लाभ:**
  - कार्यस्थल पर दुर्घटना के परिणामस्वरूप **स्थायी दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति** में दुर्घटना मुआवजे के दावे का प्रावधान करता है।
  - इस योजना के **कम-से-कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं** होंगी।
  - कार्य के आधार पर **समान मजदूरी** जिसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा।
  - 15 दिनों के भीतर **श्रमिकों के खातों में सीधे** भुगतान किया जाएगा।
- **अपरिवर्तनीय (Non-negotiable) प्रावधान**
  - ग्राम पंचायत स्तर पर **श्रम-सामग्री अनुपात 60:40 रहेगा।**
  - बिना किसी ठेकेदार या मशीनरी (अनुमति के अलावा) के **केवल शारीरिक श्रम द्वारा कार्य निष्पादन।**
- **जॉब कार्ड एवं निगरानी:**
  - ग्रामीण परिवार **ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड** के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
  - **परिसंपत्तियों को जियो-मनरेगा (GeoMGNREGA) के माध्यम से** इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के पास **जियोटैग** किया गया।

मजदूरी करने वाले के अधिकार

- पीने योग्य स्वच्छ जल
- आराम करने की सुविधा
- फर्स्ट एड बॉक्स एवं दवा की उपलब्धता
- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल की सुविधा (चाइल्ड केयर की सुविधा का लाभ उठाने के लिए सामूहिक रूप से कम-से-कम 5 बच्चों की उपस्थिति आवश्यक है।)

23.1.3. प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin 2.0)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान **प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)** के कार्यान्वयन को मंजूरी दी और **दो करोड़ से अधिक घरों के निर्माण** के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** 2024 तक 'सभी के लिए आवास' प्रदान करना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **लाभार्थियों की पहचान:** सामाजिक-आर्थिक और जाति गणना-2011 (**SECC 2011**) के तहत निर्धारित आवास अभाव मापदंडों तथा **आवास+ सर्वेक्षण** (केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित) के आधार पर।
- **योजना की अवधि:** वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक

अन्य उद्देश्य

- पिछले चरण के कुल 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 31.03.2024 तक पूरे नहीं किए गए शेष 35 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
- आने वाले वर्षों में उत्पन्न होने वाली आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **2 करोड़ से अधिक** मकानों का निर्माण किया जाएगा (जिससे लगभग 10 करोड़ व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है)।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** PMAY-G का लक्ष्य **मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधा युक्त 2.95 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण** करना था।
  - अब इस योजना को **आवास+ (2018) सूची (अपडेशन के बाद) और SECC 2011 स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) में शेष पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है।**
- **लाभार्थियों का चयन:**
  - **आवास+** को संभावित पात्र परिवारों का विवरण प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें **वर्तमान आवास की जियो-टैग्ड तस्वीर और PMAY-G घर के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल** शामिल है।
  - **तीन-चरणीय सत्यापन** (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा और जियो-टैगिंग)।

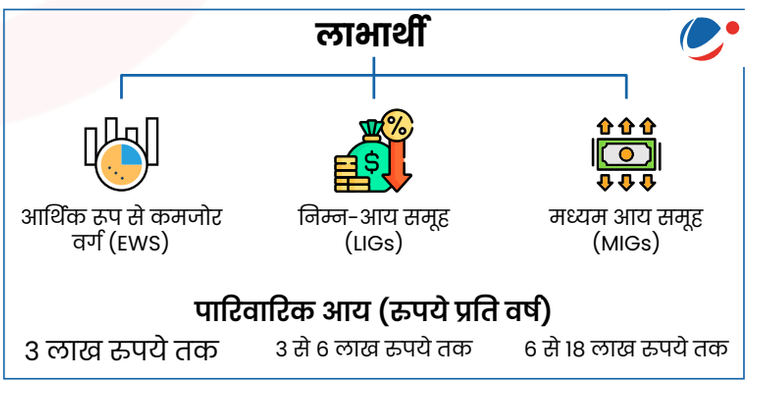

- **लाभार्थियों का बहुस्तरीय प्राथमिकता निर्धारण:** प्राथमिकता पहले प्रत्येक श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य में आवास रहित परिवारों को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
  - **'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016'** के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, राज्य, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राज्य स्तर पर 5% लाभार्थी बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों में से हों, तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए।
- **ग्राम सभा** (या संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्वशासन की जमीनी स्तर की इकाई) द्वारा **प्राथमिकता सूचियों का सत्यापन।**

- **लाभार्थियों को वित्तीय सहायता:**
  - **अनुदान:** प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये (मैदानी क्षेत्रों में) और 1.30 लाख रुपये (पहाड़ी राज्यों/ पूर्वोत्तर राज्यों/ दुर्गम क्षेत्रों/ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ शासित क्षेत्रों/ IAP/ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में) का 100% अनुदान दिया जाता है।
  - **ऋण:** इच्छुक लाभार्थी वित्तीय संस्थानों से 70,000 रुपये तक का ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं।

निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले परिवार योजना की पात्रता से स्वतः बाहर

जिनके पास 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो

कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो

आयकर/प्रोफेशनल टैक्स दाता

2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि धारक अथवा 5 एकड़ या इससे अधिक गैर-सिंचित भूमि धारक

परिवार का कोई भी सदस्य 15000 रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाता हो

सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम

तिपहिया/चारपहिया या मोटर वाहन होना

तिपहिया/चारपहिया मशीनरी कृषि उपकरण

- **अकुशल श्रम मजदूरी के लिए लाभार्थियों को सहायता:** मनरेगा के तहत 90/ 95 व्यक्ति दिवस का कार्य तथा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण या किसी अन्य समर्पित वित्तपोषण स्रोत के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता।
- **अन्य योजनाओं के साथ तालमेल:** प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
- **शिकायत निवारण तंत्र:**
  - शिकायत प्राप्ति की तिथि से **15 दिनों की अवधि के भीतर शिकायत निवारण।**
  - **प्रशासन के विभिन्न स्तरों;** ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य पर तंत्र स्थापित किया गया है।
  - **केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)** पोर्टल (pgportal.gov.in) पर जनता द्वारा शिकायत दर्ज कराना।
- **मध्यावधि मूल्यांकन:** नीति आयोग द्वारा PMAY-G के मूल्यांकन और EFC द्वारा योजना के पुनर्मूल्यांकन के बाद मार्च, 2026 से आगे योजना को जारी रखना।
- **तकनीकी सहायता:**
  - **राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (NTSA):** सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित की गई।
  - **क्षमता निर्माण:** ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के सहयोग से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (RMT) कार्यक्रम शुरू किया गया।
- **ग्रीनहाउस का निर्माण:** आपदा सहने वाली विशेषताओं को शामिल करते हुए घर के डिजाइन बनाना जो स्थानीय भू-जलवायु स्थितियों के लिए उपयुक्त हों।

23.1.4. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-IV {Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) - IV}

सुर्ख़ियों में क्यों?

कैबिनेट ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** सड़क से नहीं जुड़ी ग्रामीण बस्तियों को **सभी मौसमों में उपयोगी सड़क संपर्क प्रदान करना।**
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **लक्ष्य:** सड़क कनेक्टिविटी से वंचित **25,000 बस्तियों के लिए 62,500 किलोमीटर** की बारहमासी सड़कें बनाई जाएंगी।
- **योजना अवधि:** वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक।

अन्य उद्देश्य

- **62,500 किलोमीटर लंबी बारहमासी सड़कों** का निर्माण करना।
- इन सड़कों पर आवश्यक जगहों पर **पुलों का निर्माण/ आधुनिकीकरण** किया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि**
  - **PMGSY-IV के अपेक्षित लाभ:** सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में **सामाजिक-आर्थिक विकास** को प्रेरित करना; **शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बाज़ार जैसी आवश्यक सेवाओं** तक आसानी से पहुंच हेतु कनेक्टिविटी को बेहतर करना।

PMGSY के चरण

PMGSY-I (2000)
इसे **सड़क कनेक्टिविटी से वंचित बस्तियों को बारहमासी सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू** किया गया था।
मैदानी इलाकों में 500 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियां।
पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी वाले क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियां।

PMGSY-II (2013)
इसका **लक्ष्य** विविध राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में **50,000 कि.मी. सडकों को अपग्रेड** करना था।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWEA) , 2016
यह **9 राज्यों** (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) के **44 जिलों** को कवर करती है।

PMGSY-III (2019-25)
इसका लक्ष्य **बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाली 1,25,000 किलोमीटर सड़कों** का निर्माण करना था।

PMGSY-IV
जनसंख्या संबंधी मानदंड
मैदानी इलाकों में 500 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियां।
पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में 250 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियां।
वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 100 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियां।

*Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Areas
**Gramin Agricultural Markets

- **पी.एम. गति शक्ति पोर्टल का लाभ उठाना: समान उद्देश्य वाली योजनाओं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)** तैयारी को पोर्टल के साथ एकीकृत करना।
- **सड़क निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग:**
  - अपशिष्ट प्लास्टिक,
  - कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी/ कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट/ डामर प्रौद्योगिकी (हीट के प्रयोग के बिना एस्फाल्ट मिश्रण का उत्पादन),
  - कंक्रीट से भरा गया सेल (यह **प्लास्टिक सेल** का एक ग्रिड है जिसमें कंक्रीट रखा जाता है),
  - कॉयर जियो-टेक्सटाइल का उपयोग सड़क के फुटपाथों में कमजोर मिट्टी को मजबूती देने और **साइड ढलानों के स्थिरीकरण** के लिए किया जाता है।
  - नैनो प्रौद्योगिकी (जैसे ज़ाइडेक्स टेक्नोलॉजीज, एस्फाल्ट HMA परतें या कालीन और सीलकोट परतें)।
  - पूर्ण गहराई पुनर्प्राप्ति तकनीक (Full Depth Reclamation: FDR) का उद्देश्य खराब फुटपाथ और उसके नीचे के फुटपाथ परत को पुनर्चक्रित करके नई आधार परत बनाना है।
    - » इसका **उद्देश्य उन सड़कों को सुधारना नहीं है जो खराब जल निकासी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई** हैं।
  - सीमेंट और चूने का उपयोग करके स्थिरीकरण।
  - **फ्लाई ऐश, स्टील स्लैग और प्लास्टिक के अपशिष्ट** जैसे निर्माण-अपशिष्ट सामग्रियों का उपयोग किया जाता है।

24 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

24.1. हाल ही में आरंभ की गई योजना (Newly Launched Scheme)

24.1.1. विज्ञान धारा योजना (Vigyan Dhara scheme)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन (STI) इकोसिस्टम को मजबूत करना और भारत के समग्र विकास में योगदान देना।
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
- **क्रियान्वयन अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक।
- **क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी:** भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)।

अन्य उद्देश्य

- **क्षमता निर्माण:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संस्थाओं और मानव की क्षमता को बढ़ाना।
- **अनुसंधान एवं विकास:** बुनियादी अनुसंधान, ट्रांसलेशनल रिसर्च और सहयोगात्मक अनुसंधान सहित अलग-अलग क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- **इनोवेशन एवं प्रौद्योगिकी का विकास:** सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए इनोवेशन और नई प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

प्रमुख विशेषताएं

योजना के घटकों की मुख्य विशेषताएं

- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण:** यह घटक निम्नलिखित पहलों के माध्यम से मौजूदा वैज्ञानिक संस्थानों को मजबूत करने और मानव प्रतिभा को पोषित करने पर केंद्रित है:
  - शैक्षणिक संस्थानों में एडवांस रिसर्च लैबोरेट्रीज की स्थापना;
  - फैकल्टी क्षमता विकास और छात्र अनुसंधान के लिए समर्थन;
  - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- **अनुसंधान एवं विकास:** इस घटक का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रकों में अनुसंधान गतिविधियों को समर्थन देना है, जिनमें शामिल हैं:
  - बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना और शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना;
  - अनुसंधान और उसके व्यावसायिक उपयोग के बीच की मौजूदा खाई को पाटने के लिए ट्रांसलेशनल रिसर्च;
  - अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान।
- **इनोवेशन, प्रौद्योगिकी विकास और उपयोग:** इस घटक का उद्देश्य इनोवेशन और नई प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना और अलग-अलग क्षेत्रों में इनके उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इन क्षेत्रों में शामिल हैं:
  - स्टार्टअप और उद्यमियों को सहायता;
  - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उनका व्यावसायिक उपयोग;

- स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास।

- **अपेक्षित प्रमुख प्रभाव:**
  - शिक्षा जगत, सरकार और उद्योग जगत के बीच बेहतर सहयोग सुनिश्चित होगा;
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी;
  - वैश्विक मानकों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुसंधान और विकास क्षमताओं को मजबूती मिलेगी।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2025

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट

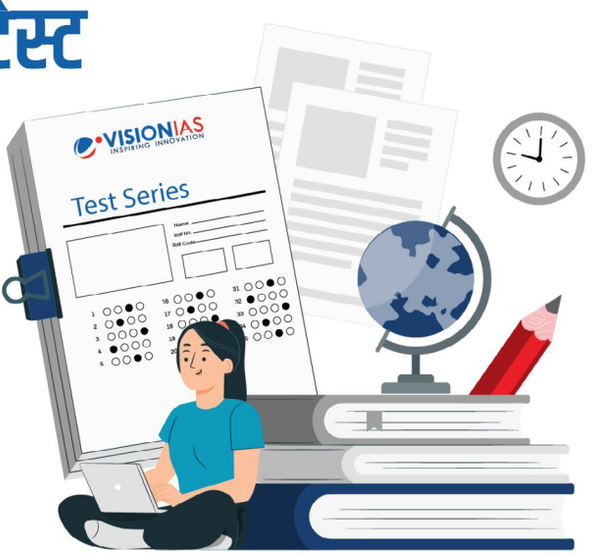

2025 | ENGLISH MEDIUM 20 APRIL | हिन्दी माध्यम 20 अप्रैल

2026 | ENGLISH MEDIUM 13 APRIL | हिन्दी माध्यम 13 अप्रैल

25 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

25.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

25.1. प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (Pradhan Mantri Anusuchit Jati Abhyuday Yojna: PM-AJAY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने PM-AJAY योजना के तहत राज्यों के संस्थानों में 34 आवासीय छात्रावासों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** अनुसूचित जाति बहुल गांवों के एकीकृत विकास के लिए **क्षेत्र आधारित विकासात्मक दृष्टिकोण** को साकार करना।
- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **आरंभ:** 2021-22
- **निगरानी:** केंद्रीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System: MIS)

अन्य उद्देश्य

- **अनुसूचित जाति (SC) समुदायों की गरीबी को कम** करने के लिए कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना।
- **अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त अवसंरचना और अपेक्षित सेवाएं** सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना।
- उत्कृष्ट संस्थानों और **स्कूलों में आवासीय सुविधाएं प्रदान करके साक्षरता और अनुसूचित जाति की नामांकन दर में वृद्धि** करना, खासकर आकांक्षी जिलों और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में।
- **अनुसूचित जाति समुदाय की साक्षरता दर में वृद्धि करना।** इसके अलावा, **स्कूलों** और **उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति के बच्चों के नामांकन में बढ़ोतरी करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** PM-AJAY योजना को केंद्र प्रायोजित तीन योजनाओं का विलय करके शुरू किया गया है। ये तीन योजनाएं हैं;
  - **अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to SCSP), 1980** और
  - **बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY), 1980**
  - **प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY),** 2010

PM-AJAY योजना के तहत पात्रता

आदर्श ग्राम के घटक

1. **पात्र गांव**
   - » अनुसूचित जाति (SC) आबादी >40%, और कुल आबादी 2500 (नवीनतम जनगणना)
   - » उपर्युक्त गांवों को कवर किए जाने के बाद उन गांवों को कवर किया जायेगा जिनमें SC आबादी 40% या उससे कम है लेकिन SC की संख्या अधिक है।

जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान

2. **लाभार्थियों के लिए पात्रता**
   - » **आजीविका परियोजनाएं:** कोई आय सीमा नहीं, वैसे 2.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष आय वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
   - » **अवसंरचना परियोजनाएं:** SC बाहुल्य आबादी वाले गांवों में कौशल विकास हेतु सरकारी संस्थानों की अवसंरचनाओं में सुधार
   - » **आवासीय स्कूल:** SC बाहुल्य वाले और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता
   - **दोहराव नहीं:** केवल वे परियोजनाएं जो अन्य राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) में शामिल नहीं हैं।

शैक्षिक हॉस्टल निर्माण/मरम्मत

3. **पात्रता:** NIRF के अनुसार टॉप रैंकिंग वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थान, केंद्रीय & राज्य संस्थान

- **योजना के तीन घटक**
  - अनुसूचित जाति बहुल गांवों को **"आदर्श ग्राम"** के रूप में विकसित करना।
    - » एक 'आदर्श ग्राम' वह है जहां लोगों को **विभिन्न बुनियादी सेवाओं** तक आसानी से पहुंच होती है, ताकि समाज के सभी वर्गों की **न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें** और असमानताओं को न्यूनतम स्तर तक कम किया जा सके।
    - » **विकासात्मक संकेतक:** पर्याप्त अवसंरचना, और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार।
    - » **वित्त-पोषण:** केंद्र सरकार द्वारा **नए चयनित ग्रामों के लिए प्रति ग्राम 21 लाख रुपये** की राशि (यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। हालांकि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं)।
- **अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/ राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता**
  - **उद्देश्य:** व्यापक आजीविका परियोजनाओं के माध्यम से लक्षित आबादी की आय में वृद्धि करना।
  - **पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान:** योजना के लिए कुल बजट आवंटन का 2% पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना को लागू करते हैं।
- **अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षिक संस्थानों में छात्रावास का निर्माण या मरम्मत करना**
  - **उद्देश्य:** अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए स्कूल छोड़ने की दर को कम करना।
  - **पात्रता:** शीर्ष रैंक वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान (NIRF के अनुसार) के साथ-साथ अन्य केंद्रीय संस्थान और राज्य संस्थान।
- **निगरानी और कार्यान्वयन**
  - **प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System: MIS):** प्रत्येक घटक के लिए रियल टाइम के आधार पर डेटा प्राप्त करने हेतु एक केंद्रीकृत पोर्टल है।
  - ग्रामीण विकास या सामाजिक विज्ञान या प्रबंधन आदि के क्षेत्र में **किसी विशेष एजेंसी के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन करना।**
  - **सामाजिक लेखा-परीक्षा:** ग्राम सभा द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार करना।

26 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION)

26.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

26.1.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के पास संसद सदस्यों द्वारा MPLAD योजना निधि के उपयोग पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** स्थानीय विकास के मामले में **असमानता की समस्या का समाधान करना।**
- **योजना के प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **फंड:** इस योजना के तहत **प्रत्येक सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपये आवंटित** किए जाते हैं। यह **फंड व्यपगत नहीं** होता है, अर्थात् बचे हुए पैसे को अगले साल खर्च किया जा सकता है।
- **निधि का जारी होना:** आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर सीधे **जिला प्राधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में।**

अन्य उद्देश्य

- पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों इत्यादि के क्षेत्र में **स्थानीय स्तर पर अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं** के आधार पर **स्थायी सामुदायिक संपत्तियों** के निर्माण कार्यों हेतु सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों को सक्षम बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना की घोषणा 1993 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत की गई थी। हालांकि, अक्टूबर 1994 से, योजना का प्रशासन MoSPI के पास है।
  - **कोरोना महामारी** के मद्देनजर, MPLADS को निलंबित कर दिया गया था और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान योजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी।
- **सांसदों को MPLADS निधि का आवंटन:** प्रत्येक सांसद को स्थानीय स्तर पर महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए विकास कार्यों की सिफारिश करने हेतु प्रति वर्ष **5 करोड़ रुपये** आवंटित किए जाते हैं।
- **कुल बजट:** इस योजना का **वार्षिक बजट 4000 करोड़ रुपये** है, जिसका उपयोग जिला प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत अनुशंसित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** MPLADS कार्य को पूरा करने के लिए IDA द्वारा चयनित सरकारी विभाग, ट्रस्ट और सहकारी समितियां।
  - **जिला कार्यान्वयन प्राधिकरण (IDA) कार्यान्वयन वाले जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है।**

MPLADS
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

कार्य आवंटन

LS	**लोक सभा सांसद**	अपने निर्वाचन क्षेत्र में
RS	**राज्य सभा सांसद**	जिस राज्य से निर्वाचित हुए हैं
NM	**नामांकित सांसद**	भारत के किसी भी हिस्से में

परियोजना लागत आवश्यकता

- MPLADS के तहत प्रत्येक परियोजना की लागत कम से कम 2.5 लाख रुपये होनी चाहिए।
- जिला प्राधिकारी आम जन को लाभ पहुंचाने वाली लघु परियोजनाओं की भी अनुमति दे सकते हैं।

अपवाद

- **सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में एक वर्ष में 25 लाख रुपये तक के कार्य की सिफारिश कर सकते हैं।**
- आपदा की स्थिति में सांसद प्रभावित जिला में **1 करोड़ रुपये** तक के आवंटन की सिफारिश कर सकते हैं।

निधि आवंटन में SC/ST हेतु विशेष प्रावधान

SC क्षेत्र: MPLADS फंड का कम से कम 15%

ST क्षेत्र: MPLADS फंड का कम से कम 7.5%

यदि लोक सभा क्षेत्र में कम जनजाति निवास करते हैं: तब MPLAD फंड का उपयोग SC बहुल क्षेत्रों में किया जाएगा, इसी तरह किसी क्षेत्र में SC संख्या अधिक नहीं होने पर ST बहुल क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा।

- **परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव:** उपयोगकर्ता एजेंसी के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रस्तावित परिसंपत्ति के संचालन और रख-रखाव की लागत को अपने संसाधनों से वहन करे।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही**
  - **eSAKSHI पोर्टल:** यह MPLADS परियोजनाओं के **प्रभावी और पारदर्शी तरीके से कार्यान्वयन** को सुनिश्चित करता है।
  - **RTI का लोगू होना: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005** और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, सभी नागरिकों को MPLAD योजना के किसी भी पहलू और इसके तहत अनुशंसित, स्वीकृत या कार्यान्वित कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
    - **कार्यान्वयन जिला प्राधिकारी RTI अधिनियम 2005** के तहत आवश्यक तरीके से जनता को ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- **चुनाव का प्रभाव:** एक बार संसद सदस्य द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं को अगली बार चुनकर आने वाले संसद सदस्य द्वारा नहीं बदला जा सकता है।
- **परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रावधान:**
  - सांसदों को नई परियोजनाओं की सिफारिश करने से पहले **फंड जारी होने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं** है।
  - सांसदों को प्रत्येक **वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कुछ शर्तों के अधीन वार्षिक आहरण सीमा** आवंटित की जाएगी।
  - कार्यान्वयन प्राधिकारी द्वारा भुगतान को अधिकृत करने के बाद, **MPLADS के तहत सभी भुगतान वास्तविक समय के आधार पर CAN से सीधे विक्रेताओं को किए** जाएंगे।
- **MPLADS निधि को अन्य योजनाओं के लिए उपयोग करना: MPLADS** निधि को, MPLADS दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पात्र होने पर, अन्य केन्द्रीय/ राज्य योजनाओं और स्थानीय निकायों की परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

27 जनजातीय कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS)

27.1. हाल ही में आरंभ की गई योजनाएं (Newly Launched Scheme)

27.1.1. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan: DAJGUA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग में 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' का शुभारंभ किया गया।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** समग्र, सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना, **आदिवासी समुदायों को संपूर्ण रूप से विकास के लिए सशक्त बनाना।**
- **पृष्ठभूमि:** केंद्रीय बजट 2024-25 में इस योजना की घोषणा **प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM JUGA)** के रूप में की गई थी।
- **अवधि:** 2024-25 से 2028-29 तक।
- **नोडल एजेंसी:** केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय।

अन्य उद्देश्य

- चयनित जनजातीय बहुल गांवों में **आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना।** इसमें केवल उन्हीं गांवों को शामिल किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक हो तथा जिनमें कम-से-कम 50% जनजातीय लोग निवास करते हों, साथ ही आकांक्षी जिलों के गांव जिनकी जनजातीय जनसंख्या 50 या उससे अधिक हो।
- इस मिशन का उद्देश्य समग्र-सरकार दृष्टिकोण को अपनाकर, **शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सेवा और कौशल प्राप्ति में सुधार लाना** है, तथा नीचे रेखांकित विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति करना है।

प्रमुख विशेषताएं

- **कवरेज: 500 या उससे अधिक आबादी वाले विशिष्ट जनजातीय बहुल गांव,** जहां कम-से-कम 50% आबादी जनजातीय लोगों की हो तथा **आकांक्षी जिलों के ऐसे गांव जहां कम-से-कम 50 लोग जनजातीय हों।**
- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय:** इस मिशन में आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए 25 कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिन्हें भारत सरकार के 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- **वित्त-पोषण:** विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण अनुसूचित जनजातियों के लिए मौजूदा विकास कार्य योजना (Development Action Plan for Scheduled Tribes: DAPST) अनुदान से किया जाएगा।

- **कार्यान्वयन:** इस अभियान के तहत आने वाले आदिवासी परिवारों और गांवों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मैप किया जाएगा। अंत्योदय मिशन (2022-23) इन गावों की कमियों को सामने लाएगा।
- **निगरानी:** प्रत्येक मंत्रालय अपनी **निगरानी और मूल्यांकन (M&E) प्रणाली** को पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म पर **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान पोर्टल** से जोड़ने के लिए भी जिम्मेदार होगा, जहां भौतिक और वित्तीय, दोनों प्रकार की प्रगतियों को नियमित रूप से अपडेट और ट्रैक किया जाएगा।
- **रिकग्निशन मैकेनिज्म:** प्रत्येक जिले के प्रदर्शन की निगरानी प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में मासिक वृद्धिशील (डेल्टा) परिवर्तनों के आधार पर रैंकिंग प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

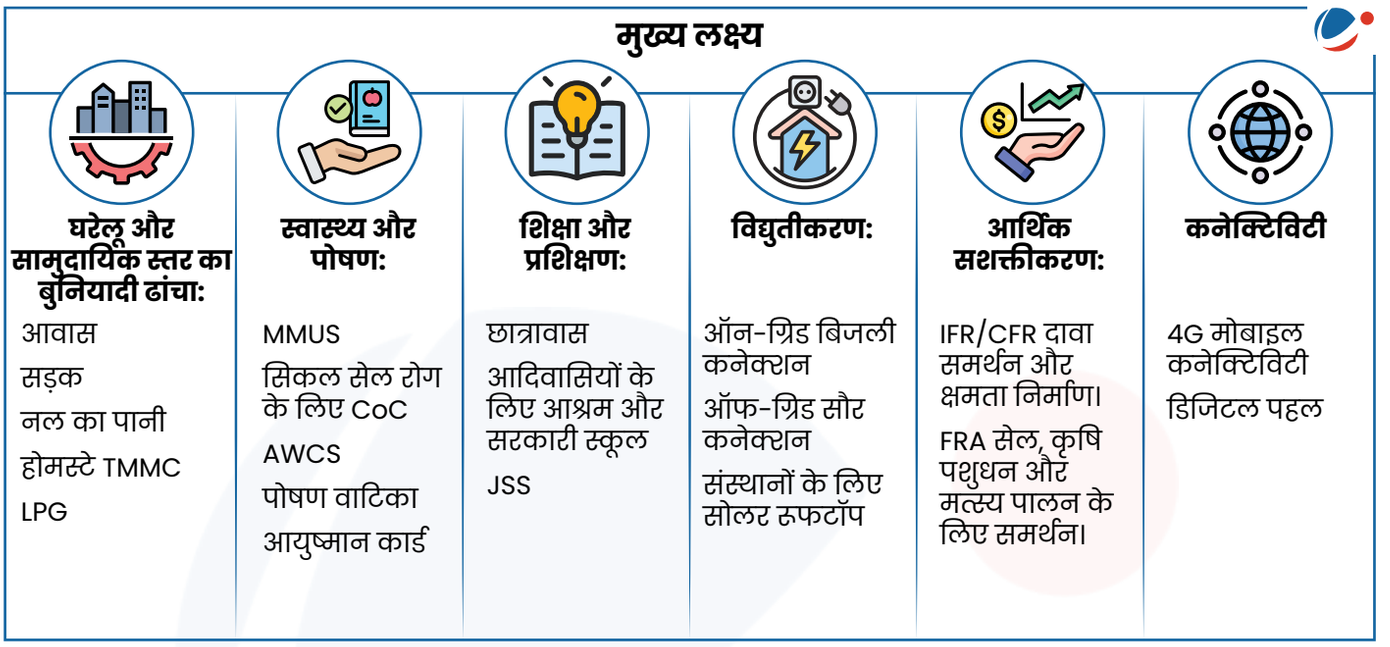

27.2. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

27.2.1. प्रधान मंत्री वनबंधु कल्याण योजना (Pradhan Mantri Vanbandhu Kalyan Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री वनबंधु कल्याण योजना (PMVKY) के 10 वर्ष पूरे हुए।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** जनजातीय आबादी की **सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना** तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत और पहचान को संरक्षित करना।
- **योजना का प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना।
- **फोकस:** शिक्षा और आजीविका में उप उपायों के माध्यम से **गांवों का एकीकृत विकास और क्षमता निर्माण करना।**
- **क्रियान्वयन अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

- **जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता** में सुधार करना।
- **जनजातीय लोगों की शिक्षा की गुणवत्ता** में सुधार करना।
- जनजातीय परिवारों को **बेहतर एवं स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना।**
- जनजातीय क्षेत्रों में **अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करते हुए,** गुणवत्ता युक्त बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देना।
- **जनजातीय संस्कृति और विरासत** का संरक्षण करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **शुरुआत:** 2014 में की गई थी। सरकार ने **26135.46 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय** के साथ 2025-26 तक योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है।
- इसमें देशभर के **सभी जनजातीय लोगों और जनजातीय आबादी वाले सभी क्षेत्रों** को शामिल किया गया है।

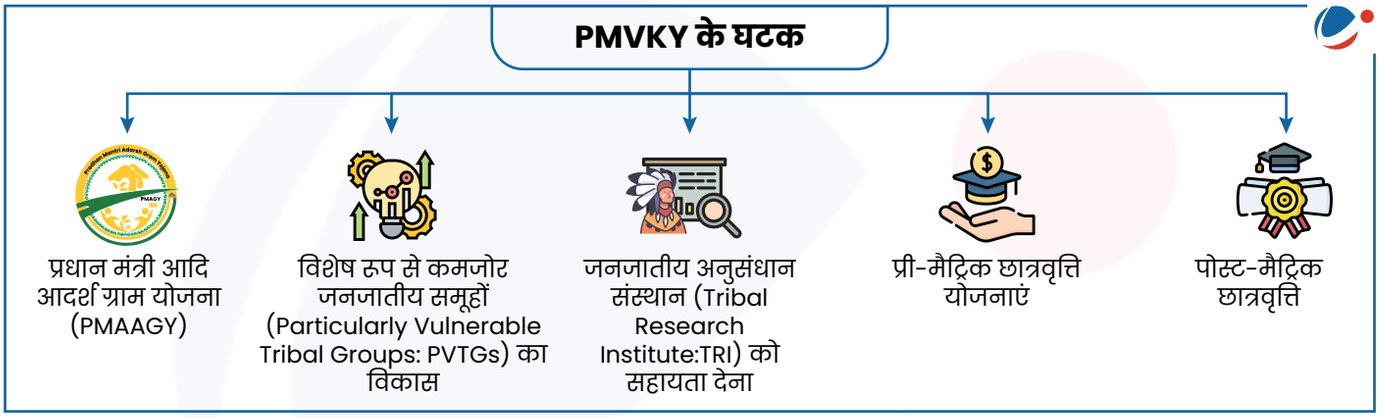

- **प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना:** इसके तहत अधिक जनजातीय आबादी वाले 36,428 गांवों के समन्वित ग्राम विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
  - यह पहल **सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सेवा एवं स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों से संबंधित है।** इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।
- **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का विकास:** इसके तहत सबसे कमजोर जनजातीय समूहों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
  - यह पहल राज्य सरकारों को जनजातियों के लिए **आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा** जैसे क्षेत्रकों में विकास संबंधी विशेष गतिविधियां संचालित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **जनजातीय अनुसंधान संस्थान (TRI) को सहायता देना:** इसका उद्देश्य जनजातीय संस्कृतियों और चुनौतियों से संबंधित ज्ञान के आधार को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं: केंद्र प्रायोजित** इन योजनाओं के तहत **कक्षा IX और X** के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
  - **पात्रता:** माता-पिता की वार्षिक आय **2.50 लाख रुपये से कम** होनी चाहिए।
- **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति **10वीं कक्षा से आगे पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों** को प्रदान की जाती है।

28 वस्त्र मंत्रालय (MINISTRY OF TEXTILE)

28.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

28.1.1 पी.एम. मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अपैरल (पी.एम. मित्र/PM MITRA) पार्क {PM MITRA (Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel) Park}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अनुसार पी.एम. मित्र पार्क से 21 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।

स्मरणीय तथ्य

- **मुख्य उद्देश्य:** भारत में विदेशी **निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना** और वैश्विक कपड़ा बाजार में खुद को मजबूती से स्थापित करने में मदद करना है।
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **5F विजन:** फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2027-28 तक

अन्य उद्देश्य

- लॉजिस्टिक लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने हेतु संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए संधारणीय औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना (SDG9), आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला:** पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये पार्क उद्योग के लिए एक उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, **प्लग एंड प्ले सुविधाओं** के साथ-साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- **पार्क में सुविधाएं:**
  - **भूमि की उपलब्धता:** राज्य सरकारें **कम-से-कम 1000 एकड़ सन्निहित और बाधा-मुक्त भू-खंड** प्रदान करेंगी
  - **विशेष प्रयोजन यान (SPV):** प्रत्येक पार्क के लिए **केंद्र (49%) और राज्य सरकार (51%) के स्वामित्व वाली** विशेष प्रयोजन यान (SPVs) स्थापित किए जाएंगे। ये SPVs परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी।

पार्क में सुविधाएं

कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर	सहायक अवसंरचना
इन्क्यूबेशन सेंटर और प्लग एंड प्ले सुविधा, विकसित फैक्ट्री साइट्स, सड़कें, बिजली, पानी और अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली, आदि।	कामगार छात्रावास और आवास, लॉजिस्टिक्स पार्क, भंडारण आदि।

- **वित्तीय सहायता:**
  - **विकास हेतु पूंजी सहायता:** परियोजना लागत का 30%, अधिकतम 500 करोड़ रुपये तक (ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए) या अधिकतम 200 करोड़ रुपये तक (ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए)।
  - पीएम मित्र पार्क में इकाइयों को तीव्र कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये तक का प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन समर्थन (CIS) भी प्रदान किया जाएगा।**
- **निर्धारित स्थान:** तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र।
- **निजी क्षेत्र के अनुभव का लाभ उठाना:** पार्क का विकास **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** के तहत किया जाएगा।
- **अपेक्षित लाभ:** विदेशी और घरेलू, दोनों स्रोतों से लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और टेक्सटाइल इकोसिस्टम को लाभ होगा।

29 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)

29.1. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes In News)

29.1.1. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) {Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 (Mission Poshan 2.0)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के जरिए **कुपोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करना।**
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **लाभार्थी:** 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इस योजना की लाभार्थी हैं।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

- देश के **मानव पूंजी विकास** में योगदान देना तथा **कुपोषण** संबंधी चुनौतियों का समाधान करना।
- बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए **पोषण से संबंधित जागरूकता और खाने की अच्छी आदतों** को बढ़ावा देना।
- प्रमुख रणनीतियों को अपनाकर पोषण संबंधी कमियों को दूर करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS) योजना** की शुरुआत 1975 में की गई थी। यह **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास** के लिए एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
  - **ICDS में आंगनवाड़ी सेवा योजना के 6 घटकों** को शामिल किया गया है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

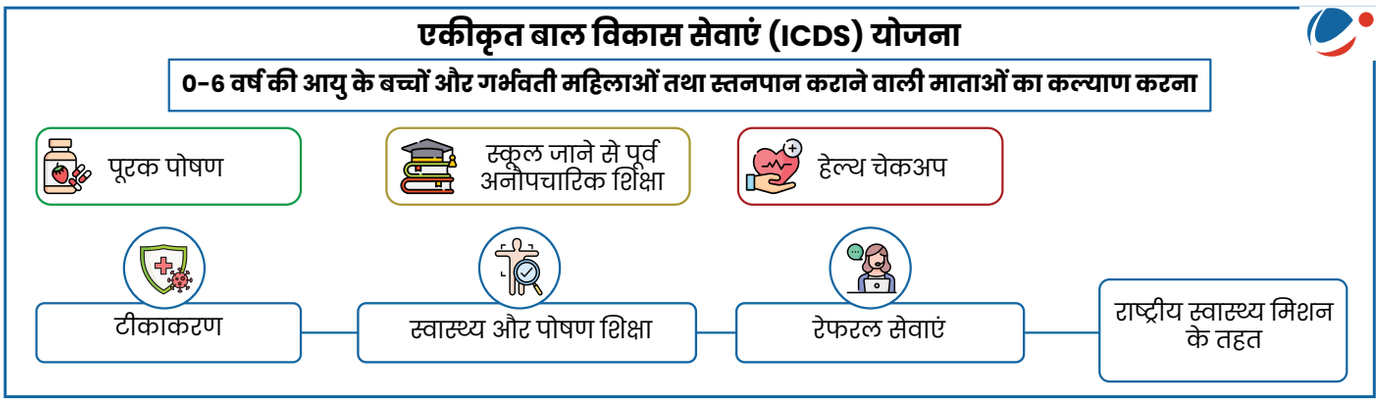

अन्य विशेषताएं

- **आहार विविधता (Diet diversity):**
  - **स्थानीय आहार इनपुट्स और ताजा उपज** (हरी सब्जियां, फल, औषधीय पौधे एवं जड़ी-बूटियां), **फोर्टिफाइड चावल व मोटे अनाज (Millets) को सक्रिय रूप से बढ़ावा** दिया जाएगा।
  - **सप्ताह में कम-से-कम एक बार मोटे अनाज (Millets) की आपूर्ति अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।** साथ ही, इसे स्वादिष्ट रूप में **टेक होम राशन** (कच्चा राशन नहीं) और **गर्म पका हुआ भोजन (HCM) में उपयुक्त रूप से एकीकृत** किया जाना चाहिए।
  - **परंपरागत ज्ञान:** पोषण बढ़ाने के लिए स्वदेशी खाद्य पद्धतियों का उपयोग करना।
  - **पोषण वाटिका (रसोई उद्यान):** पोषण वाटिकाएं (रसोई उद्यान और पोषक उद्यान) जहां भी संभव हो **आंगनवाड़ी केंद्रों के पास तथा सरकारी स्कूलों और ग्राम पंचायतों की भूमि** पर स्थापित की जाएंगी।
- **लाभार्थी का पंजीकरण:** लाभार्थी को अनिवार्य रूप से आधार पहचान-पत्र द्वारा के आधार पर निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
  - इसके लिए **बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं** है, माता के आधार कार्ड का उपयोग करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आधार कार्ड प्राप्त करने में लाभार्थी को सहायता प्रदान की जाएगी।
- **कार्यान्वयन: जिला मजिस्ट्रेट (DM),** पोषण स्तर और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए **जिले में नोडल अधिकारी** के रूप में कार्य करेगा।
- **जवाबदेही: सामाजिक लेखा परीक्षा** पोषण पंचायतों, माताओं के समूहों और ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण समितियों (VHSNCs) जैसे हितधारकों द्वारा की जाती है।

योजना के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलें:

- **पोषण ट्रैकर ऐप:** यह **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं** को उनके प्रयासों से अवगत कराने के साथ-साथ सेवाओं के कुशल वितरण के लिए एक **कार्य-सहायता** साधन है।
  - यह **बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन और अल्प वजन की व्यापकता की त्वरित पहचान** एवं पोषण सेवा वितरण की लास्ट माइल ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है।
- **पोषण भी, पढ़ाई भी (PBPB):** यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप **आंगनवाड़ी केंद्रों में एक पथ-प्रदर्शक ECCE कार्यक्रम व उच्च गुणवत्ता वाला प्री स्कूल नेटवर्क** है।
- **राष्ट्रीय पोषण माह: 'स्वस्थ भारत' के विज़न** को साकार करने के लिए देश भर में प्रत्येक वर्ष **सितंबर माह** को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।
- **किशोरी स्वास्थ्य कार्ड:** किशोरियों के **वजन, लंबाई, बॉडी मास इंडेक्स (BMI),** पोषण प्रावधान, आयरन और फोलिक एसिड (IFA) पूरकता, कृमिनाशक टीकाकरण को ट्रैक करता है।
- **भारतीय पोषण कृषि कोष (B.P.K.K.):** यह भारत की **फसली विविधता का मानचित्रण** करता है और **पारंपरिक, पोषण से भरपूर फसलों** को बढ़ावा देता है।
- **सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान:** पोषण में सुधार के लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों और जिलों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

नोट: कृपया **प्रधान मंत्री पोषण अभियान** और **प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम. पोषण)** से भ्रमित न हों। पी.एम. पोषण के बारे में अधिक जानकारी के लिए NFSA, 2013 देखें, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत है।

सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के घटक

पोषण सहायता
निम्नलिखित के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP):
- 6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के **बच्चे;**
- **गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं (PW&LM)** और
- पूर्वोत्तर के साथ-साथ राज्यों के आकांक्षी जिलों में भी **14-18 वर्ष आयु वर्ग की सभी किशोरियां।**

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE)
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) तथा प्रारंभिक अभिप्रेरणा (0-3 वर्ष)।

आंगनवाड़ी अवसंरचना
देश भर में **2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर** बनाया जाएगा तथा उन्हें **सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में उन्नत** किया जाएगा।

पोषण अभियान
पोषण 2.0 अभिसरण, गवर्नेंस और क्षमता निर्माण के स्तंभों पर आधारित है

फोकस क्षेत्र 1
- मातृ पोषण,
- शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंड,
- गंभीर कुपोषण (SAM)/ मध्यम कुपोषण (MAM) के लिए उपचार प्रोटोकॉल

फोकस क्षेत्र 2
- आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि ठिगनापन और एनीमिया के अलावा कमजोरी एवं कम वजन की समस्याओं को कम किया जा सके।

30 विविध योजनाएं (MISCELLANEOUS SCHEMES)

30.1. अटल नवाचार (AIM) 2.0 {Atal Innovation Mission (AIM) 2.0}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वावधान में अपनी प्रमुख पहल, अटल नवाचार मिशन (AIM) को 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश में नवाचार संस्कृति और उद्यमशीलता पारितंत्र निर्मित करना।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक एक योजना** है।
- **योजना अवधि:** 31 मार्च, 2028 तक।
- **नोडल एजेंसी: नीति आयोग**

प्रमुख विशेषताएं

- रणनीति: AIM 2.0 को तीन तरीकों से भारत के इनोवेशन और उद्यमशीलता इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:
  - **इनपुट बढ़ाना** (अधिक संख्या में इनोवेटर्स और उद्यमियों को आगे लाना)।
  - **सफलता दर में सुधार करना** (अधिक स्टार्टअप को सफल बनाने में मदद करना)।
  - **आउटपुट गुणवत्ता में वृद्धि करना** (बेहतर रोजगार अवसर, उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना)।

AIM फ्रेमवर्क

अटल टिंकरिंग लैब्स (स्कूल स्तर पर)
- ये ऐसे केंद्र हैं जहां कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र नवीन कौशल सीखते हैं और ऐसे विचारों का विकास करते हैं।
- ये रचनात्मकता को प्रेरित करने के लिए अटल टिंकरिंग मैराथन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AICs) और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACIC)
- विश्वविद्यालयों और उद्योग में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, SME और कॉर्पोरेट उद्योग स्तर पर इनकी स्थापना की जाती है।

मेंटर इंडिया अभियान
- यह छात्रों को उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों और सरकारी सलाहकारों से जोड़ता है।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC)
- सामाजिक एवं वाणिज्यिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित नवाचारों और उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना।

ARISE- ANIC
- इसरो और रक्षा जैसे मंत्रालयों की भागीदारी के साथ प्रायोगिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।
- ANIC 2.0: यह 7 क्षेत्रकों में चुनौतियों को कम करता है जैसे कि; ई-मोबिलिटी, सड़क परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग, स्वच्छता प्रौद्योगिकी, आदि।

AIM 2.0 की पहलें

- **भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम (LIPI):** अंग्रेज़ी न बोलने वालों के लिए 30 **स्थानीय भाषा नवाचार केंद्र** बनाए जाएंगे।
- **फ्रंटियर कार्यक्रम:** जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी जिलों जैसे क्षेत्रों में **स्थान के अनुसार इनोवेशन इकोसिस्टम** तैयार किए जाएंगे।
- **मानव पूंजी विकास कार्यक्रम: 5,500 पेशेवरों को इनोवेशन प्रबंधन** के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **डीपटेक रिएक्टर:** डीप-टेक स्टार्ट-अप्स के व्यावसायीकरण के लिए एक शोध सैंडबॉक्स स्थापित किया जाएगा।
- **राज्य नवाचार मिशन (SIM):** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को **स्थानीय विशेषताओं के अनुसार इनोवेशन इकोसिस्टम** विकसित करने में मदद मिलेगी।
- **अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग:** इसमें **ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड, द्विपक्षीय साझेदारियाँ,** और **स्टार्टअप20 जैसे वैश्विक कार्यक्रम** शामिल हैं।
- **इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर प्रोग्राम:** एडवांस्ड स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए PPP मोड में 10 इंडस्ट्रियल एक्सेलरेट स्थापित किए जाएंगे।
- **अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्चपैड (ASIL):** स्टार्ट-अप्स को एकीकृत करने और उनसे खरीद करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में 10 प्लेटफॉर्म्स स्थापित किए जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आरंभ कुछ पहलें

- AIM - SIRIUS (स्टूडेंट इनोवेशन एक्सचेंज प्रोग्राम) यह रूस के साथ नवाचार सहयोग कार्यक्रम है।
- AIM - ICDK (इनोवेशन सेंटर डेनमार्क) डेनमार्क के साथ वाटर चैलेंज कार्यक्रम है।
- ऑस्ट्रेलिया के साथ IACE (इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथॉन)।

30.2. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP) {PM Gati Shakti National Master Plan (PMGS-NMP)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में मौजूद कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए **पीएम गति शक्ति पोर्टल** लॉन्च किया है।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** उद्योगों की **उत्पादकता और रोजगार के अवसरों** में सुधार करना।
- **मुख्य संचालक:** इसमें 7 मुख्य क्षेत्रक यानी, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन, लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे।
- **लाभ:** सभी **विभाग समन्वय में काम कर पाएंगे, परियोजनाओं में लगने वाले समय और लागत में कमी** आएगी।
- **दायरा:** इसमें सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शामिल हैं।

अन्य उद्देश्य

- विभिन्न आर्थिक क्षेत्रकों में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: इस परियोजना की शुरुआत एक परिवर्तनकारी और संधारणीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए** वर्ष 2021 में 100 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ की गई थी। इसे **भारत के अवसंरचनात्मक परिदृश्य को रूपांतरित करने के लिए** शुरू किया गया था।
- **डिजिटल मंच:** गति शक्ति या मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP), इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं की **एकीकृत योजना निर्माण और समन्वित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।**
- **सरकार का समग्र दृष्टिकोण:** मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए गति शक्ति या NMP एक **डिजिटल प्लेटफॉर्म** है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी से संबंधित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास के लिए **एकीकृत योजना तैयार करने** एवं **आपस में मिलकर उसके कार्यान्वयन** हेतु विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाना है।

2024-25 तक प्राप्त किए जाने वाले प्रमुख लक्ष्य

2 लाख कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना।

रेलवे अपने नेटवर्क के 51% मार्गों पर भीड़ कम करने के साथ ही 1,600 मिलियन टन के कार्गो का परिवहन करेगा।

डबल एविएशन फुटप्रिंट के तहत 220 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम का निर्माण किया जाएगा

गैस पाइपलाइन नेटवर्क को डबल किया जाएगा।

विद्युत लाइनों के 4.52 लाख कि.मी. सर्किट और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 225 GW तक पहुंचाना।

11 औद्योगिक गलियारे और दो नए रक्षा गलियारे का निर्माण करना।

- **भू-मानचित्रण (Geo-mapping)**
  - **रीयल-टाइम अपडेशन के साथ सभी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का क्रियाशील मानचित्रण (Dynamic Mapping) BiSAG-N** (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स) द्वारा विकसित मानचित्र के माध्यम से प्रदान किया जाता की जाती है।
  - मानचित्र **ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकियों** पर बनाया गया है और **भारत सरकार (अर्थात मेघराज) के क्लाउड पर** सुरक्षित रूप से होस्ट किया गया है।
- **डेटा अपडेशन (Data updation)**
  - **आवधिक आधार पर अपने डेटा को अपडेट करने के लिए** अलग-अलग मंत्रालयों को **अलग-अलग लॉगिन आईडी** दी जाती है।
  - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का **लॉजिस्टिक डिवीजन** (MoCI) **सभी हितधारकों को** अपने डेटाबेस को अपडेट करने में सहायता करता है।
- **अलग-अलग सेक्टर्स और मंत्रालयों के बीच समन्वय:** इसमें 14 सामाजिक क्षेत्रक के मंत्रालयों/विभागों अर्थात् पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, डाक विभाग आदि, को शामिल किया गया है।

30.3. मेक इन इंडिया पहल (Make In India initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मेक इन इंडिया पहल की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई।

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: भारत को सर्वाधिक पसंदीदा वैश्विक विनिर्माण गंतव्य के रूप में प्रमोट करना।**
- **फोकस:** मेक इन इंडिया 2.0 के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक के 27 सेक्टर्स।
- **समन्वय: विनिर्माण क्षेत्रक की जिम्मेदारी DPIIT को और सेवा क्षेत्रक की जिम्मेदारी वाणिज्य विभाग को सौंपी गई है।**

अन्य उद्देश्य

- निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल विकास को प्रोत्साहित करना, बौद्धिक संपदा की रक्षा करना और सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना।
- **विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रकों के द्वार खोलना** तथा सकारात्मक मानसिकता के माध्यम से सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 2014 में एक अनूठी 'वोकल फॉर लोकल' पहल के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में भारत के विनिर्माण क्षेत्रक को बढ़ावा देना है। वर्तमान में **मेक इन इंडिया 2.0** का संचालन किया जा रहा है।
- **यह निम्नलिखित चार स्तंभों पर आधारित है-**
  - **नई प्रक्रियाएं: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** के लिए कई उपाय लागू किए गए है। इससे **स्टार्ट-अप्स और स्थापित उद्यमों के लिए व्यवसाय** करना सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है।
  - **नई अवसंरचना:** सरकार ने **इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी** विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और हाई-स्पीड संचार को एकीकृत करके **विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा** तैयार किया जा सके।
  - **नए क्षेत्रक:** रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, निर्माण और रेलवे अवसंरचना सहित कई अलग-अलग क्षेत्रकों में अधिक **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति** दी गई है।
  - **नई सोच:** सरकार **'सुविधा प्रदान करने वाले माध्यम के रूप में कार्य** करेगी न कि विनियामक संस्था के रूप में। देश के **आर्थिक विकास** को गति देने के लिए सरकार उद्योगों के साथ साझेदारी में कार्य करेगी।

मेक इन इंडिया: 27 क्षेत्रक

विनिर्माण क्षेत्रक

- एयरोस्पेस और रक्षा
- ऑटोमोटिव और ऑटो पार्ट्स
- फार्मास्युटिकल्स और मेडिकल उपकरण
- जैव-प्रौद्योगिकी
- पूंजीगत वस्तुएं
- वस्त्र और परिधान
- केमिकल्स और पेट्रो-केमिकल्स
- इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण
- चमड़ा और जूते
- खाद्य प्रसंस्करण
- रत्न और आभूषण
- शिपिंग
- रेलवे
- निर्माण
- नई और नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्रक

- सूचना प्रौद्योगिकी और IT सेवाएं
- पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
- मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
- परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
- लेखा और वित्तीय सेवाएं
- ऑडियो विजुअल सेवाएं
- कानूनी सेवाएं
- संचार सेवाएं
- निर्माण संबंधी इंजीनियरिंग
- पर्यावरणीय सेवाएं
- वित्तीय सेवाएं
- शिक्षा सेवाएं

मेक इन इंडिया भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदल रहा है

संवृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली मुख्य पहलें

- उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI)
- सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास
- पीएम गतिशक्ति
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति
- राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम
- स्टार्टअप इंडिया
- कर सुधार
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI)

31 अन्य योजनाएं/ पहलें (OTHER SCHEMES/INITIATIVES)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)

स्वच्छ पादप कार्यक्रम (CPP)

भारत और ADB ने बागवानी क्षेत्रक में CPP के कार्यान्वयन के लिए एक नियामक फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- **उद्देश्य:** किसानों की **वायरस-मुक्त, उच्च-गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच** सुनिश्चित करना।
- **मिशन लाइफ के अनुरूप:** यह कार्यक्रम **मिशन लाइफ** और **वन हेल्थ पहल** के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत को फलों का एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक बनाना है।
- **लाभ:** फसल की पैदावार में वृद्धि, आय के अवसरों में सुधार और संधारणीय कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करना।
- **लाभार्थी:** किसान, नर्सरी (सुव्यवस्थित प्रमाणन प्रक्रियाएं और अवसंरचना संबंधी समर्थन), उपभोक्ता आदि।

CCP की प्रमुख विशेषताएं

घटक

1. **स्वच्छ पादप केंद्र**
   अंगूर, सेब, आम जैसे फलों के लिए भारत भर में 9 एडवांस्ड CPCS, वायरस-मुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन करने के लिए उच्च-तकनीक युक्त प्रयोगशालाएं।
2. **प्रमाणन और कानूनी फ्रेमवर्क**
   बीज अधिनियम, 1966 के तहत बेहतर प्रमाणन प्रणाली उत्पादन संबंधी जवाबदेही और सुचारु निगरानी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।
3. **उन्नत अवसंरचना**
   रोपण सामग्री के कुशल संवर्धन के लिए बड़े पैमाने की नर्सरी विकसित करने के लिए अवसंरचना संबंधी सहायता।

कार्यान्वयन
इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सहयोग से किया जाएगा।

इसे एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है

कृषि सखी कन्वर्जेन्स प्रोग्राम (KSCP)

प्रधानमंत्री ने कृषि सखी के रूप में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए हैं।

- **उद्देश्य:** कृषि सखी के रूप में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के जरिए ग्रामीण भारत का रूपांतरण करना।
- **पृष्ठभूमि: 'लखपति दीदी'** कार्यक्रम के तहत, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से एक आयाम **कृषि सखी** भी है।
- **कृषि सखी को प्रशिक्षण:** KSCP में पैरा-एक्सटेंशन श्रमिकों के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना शामिल है।
- **कृषि सखी को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के प्रकार:**
  - भूमि को खेती के लिए तैयार करने से लेकर फसल की कटाई तक की कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियाँ
  - फार्मर फील्ड स्कूलों का आयोजन करना
  - बीज बैंक + स्थापना और प्रबंधन

- मृदा स्वास्थ्य, मृदा और नमी संरक्षण पद्धतियाँ
- एकीकृत कृषि प्रणाली
- पशुधन प्रबंधन से जुड़ी प्रमुख प्रक्रियाएं
- जैव इनपुट्स बनना और उपयोग तथा जैव इनपुट्स संबंधी दुकानों की स्थापना
- बुनियादी संचार कौशल

- **कृषि सखियों के लिए रोजगार के अवसर:** प्रशिक्षित कृषि सखियों को प्रमाणित पैरा-एक्सटेंशन कार्यकर्ता बनने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। वे सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सहायता करेंगी।

लखपति दीदी पहल के बारे में

नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय

लखपति दीदी: लखपति दीदी SHG की एक सदस्य होती है, जो **घरेलू वार्षिक आय के रूप में एक लाख रुपये या उससे अधिक कमाती** है।

आय की स्थिरता: इस आय की **गणना कम-से-कम चार कृषि मौसमों और/ या व्यावसायिक चक्रों** के लिए की जाती है। इसमें **औसत मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक** होती है, ताकि यह आय सतत हो।

रणनीति: अभिसरण और साझेदारी पर केंद्रित योजना, पर्याप्त रूप से और समय पर समर्थन प्रदान करना।

कार्यक्रमों का अभिसरण: आजीविका से जुड़ी विविध गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों के बीच सहयोग सुनिश्चित करता है।

नमो ड्रोन दीदी योजना

योजनाओं के लिए परिचालन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए:

- **उद्देश्य:** कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी से लैस महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सशक्त बनाना।
- **लक्ष्य:** वर्तमान में कृषि उद्देश्य (तरल उर्वरकों और कीटनाशकों का के छिड़काव आदि) के लिए किसानों को किराए पर सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना।
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **योजना की अवधि:** 2024-25 से 2025-2026

नमो ड्रोन दीदी योजना की मुख्य विशेषताएं

- महिला DAY-NRL-SHGs को ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी
- ड्रोन की लागत का 80% सब्सिडी के रूप में, अधिकतम 8 लाख रुपये तक
- ड्रोन की शेष लागत के लिए AIF से ऋण सुविधा
- 3% ब्याज दर पर आसान ऋण सुविधा
- ड्रोन पैकेज के हिस्से के रूप में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण
- ड्रोन से प्रति वर्ष 1 लाख रुपये P A तक कमाने का अवसर
- महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए किसानों को ड्रोन स्प्रे सेवा से किराए के रूप में लाभ

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

चिकित्सा उपकरण संबंधी उद्योग को मजबूत करने के लिए योजना

शुरू की गई नई योजना

- **उद्देश्य:** भारत के चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देना।
- **रणनीति:** यह योजना विनिर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययन और अवसंरचना विकास को बढ़ावा देती है तथा आयात पर निर्भरता को कम करती है आदि।
- **योजना की अवधि:** 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2026-27 तक)

नोट: जापान, चीन, दक्षिण कोरिया के बाद एशिया में भारत चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है और दुनिया के शीर्ष 20 वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजारों में से एक है।

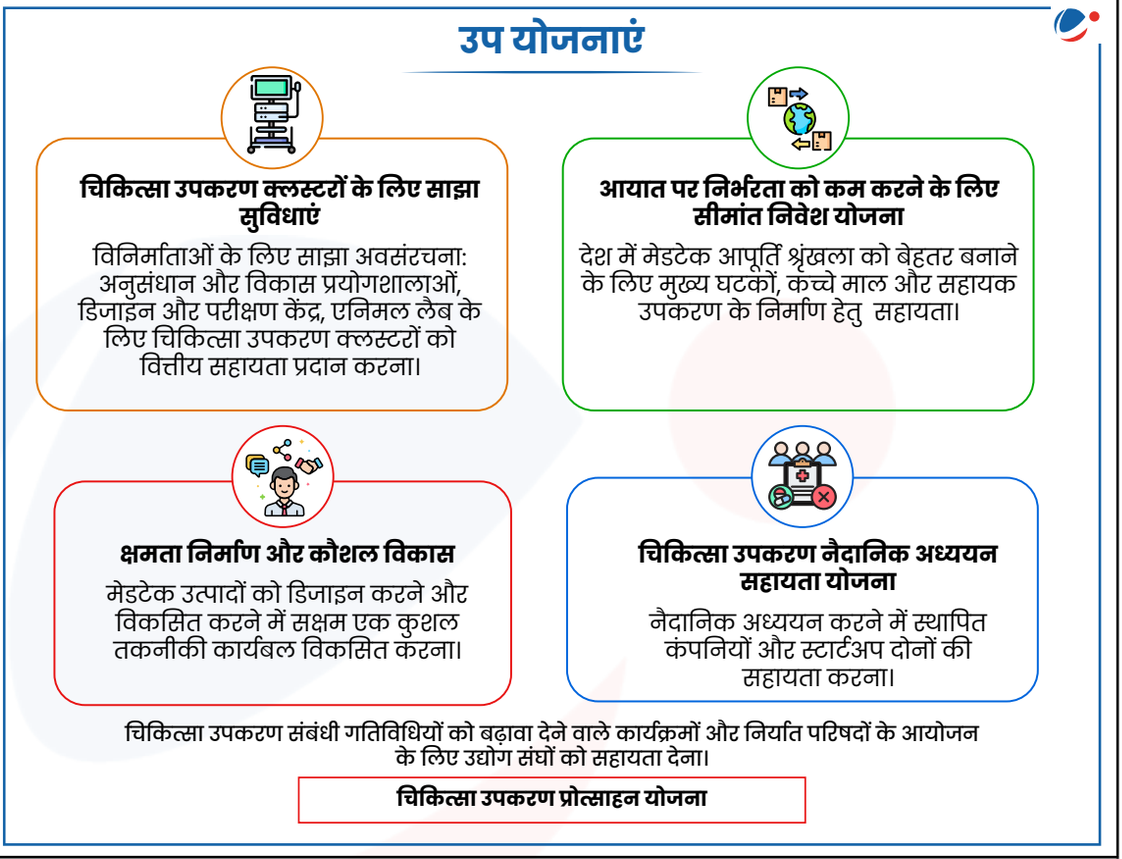

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

राष्ट्रीय उद्योग गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP)

मंत्रिमंडल ने हाल ही में NICDP के तहत 12 नए औद्योगिक शहरों की घोषणा की है।

- **उद्देश्य: भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना** और निवेश आकर्षित करके **एक गतिशील औद्योगिक परिवेश का निर्माण करना।**
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना।
- **उद्देश्य:** अगली पीढ़ी की तकनीकों को एकीकृत करते हुए, नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करना, ताकि राष्ट्र को विनिर्माण और निवेश के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।
- **कॉरिडोर और परियोजनाएं:** इस कार्यक्रम में 11 गलियारों के तहत चार चरणों में 32 परियोजनाएं शामिल हैं।
- **परिवहन की नींव:**
  - **DMIC:** पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा द्वारा समर्थित।
  - **AKIC:** पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा द्वारा समर्थित।
  - **अन्य गलियारे:** CBIC और BMIC NH-4 पर निर्भर हैं; ECEC वस्तुतः NH-5 और कोलकाता-चेन्नई रेल मार्ग का उपयोग करता है।
- **स्पेशल पर्पज व्हीकल:** परियोजना विकास और कार्यान्वयन की देखरेख के लिए DPIIT के तहत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (NICDC) का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP)

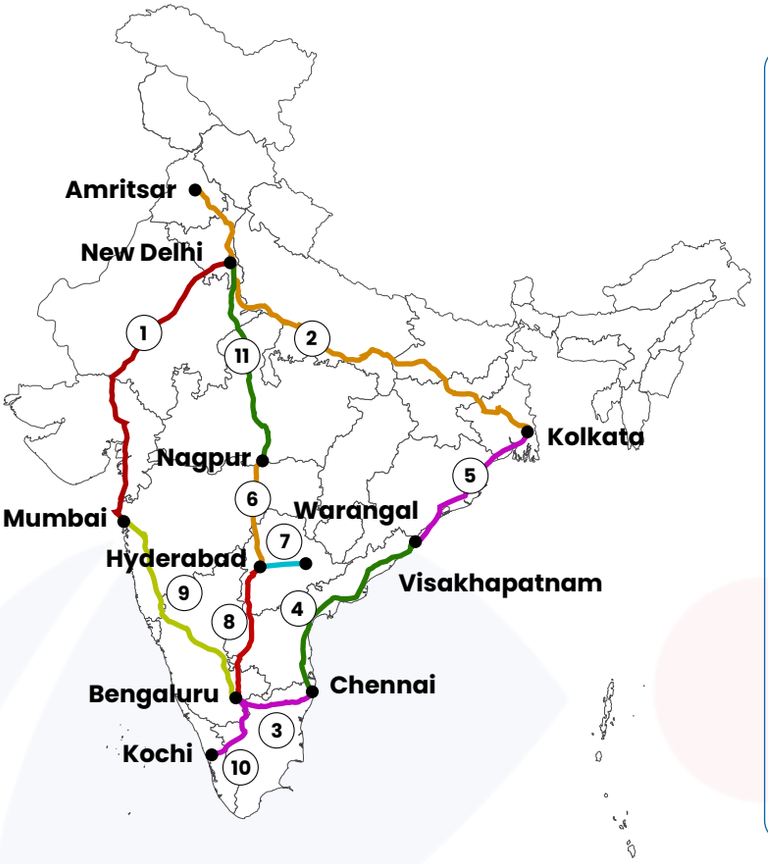

1. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC)
2. अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC)
3. चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (CBIC)
4. विजाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारा (VCIC)
5. ओडिशा आर्थिक गलियारा (OEC)
6. हैदराबाद-नागपुर औद्योगिक गलियारा (HNIC)
7. हैदराबाद-वारंगल औद्योगिक गलियारा (HWIC)
8. हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (HBIC)
9. बेंगलुरु-मुंबई औद्योगिक गलियारा (BMIC)
10. कोयंबटूर के रास्ते कोच्चि तक CBIC का विस्तार
11. दिल्ली-नागपुर औद्योगिक गलियारा (DNIC)

निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्रक में संधारणीयता (SPICED) योजना

शुरू की गई नई योजना

- **उद्देश्य:** मसाला निर्यात और मूल्य वर्धित मसाला उत्पादों को बढ़ावा देना, वैश्विक बाजारों के लिए फसल कटाई के बाद की गुणवत्ता को बढ़ाना और इलायची उत्पादकता में सुधार करना।
- **घटक:**
  - इलायची की खेती की उत्पादकता को बढ़ाना (छोटी और बड़ी इलाइची दोनों के लिए)
  - फसल कटाई के बाद मसालों की गुणवत्ता का उन्नयन
  - बाजार विस्तार के लिए क्षमताओं को बढ़ाना
  - व्यापार संवर्धन
  - तकनीकी हस्तक्षेप
  - अनुसंधान, क्षमता निर्माण और कौशल विकास
- **लाभार्थी:** किसान, स्टार्ट-अप, SMEs और उद्यमी।
- **योजना की अवधि:** वित्त वर्ष 2025-26 तक।
- **समग्र कार्यान्वयन और निगरानी:** पूरे भारत में स्थित क्षेत्रीय/ मंडल/फिल्ड ऑफिस के जरिए मसाला बोर्ड के सचिव द्वारा किया जाता है।

भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (BHASKAR) पहल

शुरू की गई नई योजना

- **उद्देश्य:** यह एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां विभिन्न स्टार्ट-अप इकोसिस्टम हितधारक भारत में स्टार्ट-अप परिवेश के विकास को प्रेरित करते हुए निर्बाध रूप से सहयोग कर सकते हैं।
- **लाभ:** यह **आसान इंटरएक्शन को सुगम बनाएगा, खोज क्षमता को बढ़ाएगा और प्रासंगिक अवसरों और साझेदारियों की कुशल पहचान की सुविधा प्रदान करेगा।**
- **लाभार्थी:** स्टार्ट-अप, निवेशक, सेवा प्रदाता और सरकारी निकाय आदि।

भास्कर डिजिटल रजिस्ट्री

इसे स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया

इसे उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा लॉन्च किया गया

प्रमुख विशेषताएं

सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री
इकोसिस्टम संबंधी हितधारकों के लिए केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म।

नेटवर्किंग और सहयोग
यह स्टार्ट-अप, निवेशकों और सलाहकारों को आपस में जोड़ता है।

संसाधन केंद्र
यह महत्वपूर्ण साधनों और ज्ञान तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है।

वैयक्तिकृत ID
अनुकूलित अनुभवों के लिए यूनिक भास्कर ID

बेहतर खोज क्षमता
संसाधनों और अवसरों तक पहुँच के लिए एक बेहतर और स्मार्ट सर्च सिस्टम

वैश्विक पहुंच
यह भारत को वैश्विक सहयोग के लिए एक नवाचार केंद्र के रूप में बढ़ावा देता है।

दूरसंचार मंत्रालय

प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी)

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने पीएम-वाणी योजना के तहत वाई-फाई सेवा प्रदाताओं के लिए इंटरनेट शुल्क पर सीमा लगाने की सिफारिश की है।

- **उद्देश्य:** ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के तीव्र प्रसार के लिए सार्वजनिक Wi-Fi नेटवर्क स्थापित करना।
- **लॉन्च:** दूरसंचार विभाग द्वारा 2020 में।
- **उद्देश्य:** डिजिटल इंडिया के उद्देश्य और इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभों के साथ देश में सार्वजनिक Wi-Fi हॉटस्पॉट स्थापित करके इंटरनेट सेवाओं के प्रसार को तेज करना।

पीएम-वाणी योजना

इकोसिस्टम

सार्वजनिक डेटा कार्यालय (PDO)
वाणी के अनुरूप Wi-Fi स्थापित और संचालित करता है।

सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर (PDOA)
PDOs को एकत्रित करता है और प्रमाणीकरण तथा लेखांकन का प्रबंधन करता है।

केंद्रीय रजिस्ट्री
वाणी संरचना और स्पेसिफिकेशन के अनुसार ऐप प्रदाताओं के विवरण को दर्ज करता है।

ऐप प्रदाता
उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण और आस-पास के वाणी हॉटस्पॉट को सर्च करने के लिए ऐप विकसित करता है।

संगम: डिजिटल ट्विन पहल

हाल ही में, संगम-डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम IIT दिल्ली में आयोजित किया गया।

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य डिजिटल ट्विन, AI, IoT और अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियों जैसे 5G और 6G जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाकर अवसंरचना संबंधी नियोजन योजना और डिजाइन क्षेत्रक में क्रांति लाना है।

संगम: डिजिटल द्विन पहल

डिजिटल द्विन प्रौद्योगिकी
यह भौतिक वस्तुओं के रियल टाइम /नियर-रियल टाइम के व्यवहार का अनुकरण करते हुए, सेंसर डेटा का उपयोग करके डायनेमिक आभासी निरूपण है।

कार्यान्वयन चरण

चरण I: अन्वेषणात्मक
उद्देश्यों, दायरे और संभावित प्रभाव को उजागर करना।

चरण II: अनिवार्यताएं
चयनित उपयोग के मामलों के लिए सटीक अनिवार्यताओं को परिभाषित करना।

प्रौद्योगिकी एकीकरण
यह डिजिटल द्विन प्रौद्योगिकी को जोड़ती है:
- AI और IoT
- उन्नत संचार (5G/6G)
- यह समग्र लागत को कम करता है

सहयोगात्मक दृष्टिकोण
सरकारी, अकादमिक और निजी क्षेत्रक के हितधारकों को नवीन, संधारणीय अवसंरचना समाधान विकसित करने के लिए एकजुट करता है।

दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष (TTDF) योजना

C-DOT और IIT खड़गपुर ने TTDF योजना के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- **उद्देश्य:** शिक्षाविदों, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों से तालमेल बनाना और **ग्रामीण-विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए अनुसंधान और विकास हेतु निधि** प्रदान करना।
- **पृष्ठभूमि:** इस योजना को **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड** (USOF) द्वारा शुरू की गयी है, जो 2022 में दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक निकाय है।
- **वित्तीय प्रोत्साहन:** इस योजना में भारतीय संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा, ताकि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी तकनीकों को प्रोत्साहित और शामिल किया जा सके।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: TCOE इंडिया** (टेलीकॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इंडिया) और **सी-डॉट।**

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

e-NWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त-पोषण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGF-NPF)

शुरू की गई नई योजना

- **उद्देश्य:** ऋण देने वाली पात्र संस्थाओं (ELIs) को ई-नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट्स (e-NWRs) के एवज में वित्त-पोषण हेतु क्रेडिट गारंटी प्रदान करना।
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना।
- e-NWRs: e-NWRs एक डिजिटल दस्तावेज़ है जो गोदामों या वेयरहाउस में भण्डारित वस्तुओं को प्रमाणित करता है। इसका उपयोग व्यापार, वित्त-पोषण और सेटेलमेंट के लिए किया जा सकता है।
- यह पंजीकृत गोदामों द्वारा जारी किया जाता है, जो **वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA)** द्वारा विनियमित और शासित होते हैं।

पात्रता:

- **कृषि ऋण:** RBI के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL) दिशा-निर्देशों के तहत उधारकर्ताओं को 75 लाख रुपये तक का ऋण।
- **MSMEs और किसानों को ऋण:** लघु और सीमांत किसानों को 75 लाख रुपये तक दिए गए ऋण पर 80% से 85% तक की गारंटी कवरेज मिलेगी, जबकि MSMEs, FPOs और व्यापारियों को 200 लाख रुपये तक दिए गए ऋण पर 75% तक की गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी।

संपार्श्विक: केवल e-NWR को गिरवी रखा जा सकता है; कोई अतिरिक्त संपार्श्विक की आवश्यक नहीं है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रधान मंत्री इंटर्नशिप योजना

शुरू की गई नई योजना

हाल ही में, प्रधान मंत्री के इंटर्नशिप योजना की एक पायलट परियोजना लॉन्च की गयी।

- **उद्देश्य:** अगले पांच वर्षों में **एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के महत्वपूर्ण अवसर** प्रदान करना।

प्रधान मंत्री इंटर्नशिप योजना
भारतीय युवाओं के लिए कैरियर में विकास का अवसर

प्रमुख लाभ

- भारत की शीर्ष कंपनियों में **महीने का रियल-लाइफ अनुभव**
- मासिक वजीफा: ₹5,000
  - 500 रुपये भागीदार कंपनियों द्वारा
  - DBT के माध्यम से सरकार द्वारा 4,500 रुपये
- एक बार का अनुदान आकस्मिक कार्य के लिए ₹6,000
- **बीमा कवरेज**
  - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
  - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
  - भागीदार कंपनियां अतिरिक्त कवरेज प्रदान कर सकती हैं।

पात्रता मानदंड

- **21-24 आयु वर्ग के भारतीय युवा जो पूर्णकालिक रोजगार या शिक्षा में नहीं हैं।**
- ऑनलाइन/ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम वाले युवा पात्र हैं।
- **शैक्षणिक योग्यताएं**
  - उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण
  - ITI प्रमाण-पत्र
  - पॉलिटेक्निक डिप्लोमा
  - **डिग्री:** BA, B.Sc, B.Com, BCA, BBA, B. Pharma, आदि।
- **कौन पात्र नहीं हैं?**
  IIT, IIM, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों, IISER, NIDs और IIITs से स्नातक।

रक्षा मंत्रालय

वन रैंक वन पेंशन (OROP)

इस पहल को लागू हुए 10 पुरे हुए है।

- **उद्देश्य:** समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले और समान अवधि तक सेवा करने वाले सैन्य कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के निरपेक्ष समान पेंशन प्रदान करना।
- **कवरेज:** इसके तहत **30 जून, 2014 तक सेवानिवृत्त** सभी कार्मिक शामिल है और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित सभी रैंकों के लिए पेंशन संशोधन हेतु एक मजबूत फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences)		
मिशन मौसम	**शुरू की गई नई योजना** • **लक्ष्य:** भारत को मौसम और जलवायु विज्ञान में **वैश्विक अग्रणी** के रूप में स्थापित करना, और भारत को वैश्विक मानकों के अनुरूप **'वेदर रेडी'** तथा **'क्लाइमेट स्मार्ट'** बनाना। • **उद्देश्य: मौसम और जलवायु सेवाओं में सुधार करना,** ताकि कृषि, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास सहित कई क्षेत्रकों के लिए समय पर और सटीक अवलोकन, मॉडलिंग और पूर्वानुमान संबंधी जानकारी सुनिश्चित की जा सके।	**मिशन मौसम** भारत को वेदर रेडी' तथा 'क्लाइमेट स्मार्ट' बनाना **कालक्रम** **चरण I: 2024-26** **चरण II: 2026-31** **लाभार्थी** आम जनता, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कृषि, नागरिक उड्डयन, जल संसाधन और कई अन्य क्षेत्रक। **कार्यान्वयन एजेंसियां** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF)
शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education)		
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS)	**शुरू की गई नई योजना** • **लक्ष्य:** 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक वैज्ञानिक जर्नल्स या पत्रिकाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना। • **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्र की योजना। • **कवरेज:** 6,300+ सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थान (HEI) और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएँ। • **लक्षित लाभार्थी:** 1.8 करोड़ छात्र, फैकल्टी, शोधकर्ता, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान, केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थान। • **प्रशासन:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र INFLIBNET द्वारा समन्वित। • **आवधिक समीक्षा:** अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (ANRF) समय-समय पर ONOS के उपयोग और भारतीय लेखकों के प्रकाशन आउटपुट का मूल्यांकन करेगा, ताकि संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।	

"प्रधान मंत्री विद्यालक्ष्मी" (पीएम विद्यालक्ष्मी)	**शुरू की गई नई योजना** • **लक्ष्य: प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना,** ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण भारत का कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। • **पृष्ठभूमि:** उन युवाओं की सहायता करना, जो अब तक किसी भी सरकारी योजना या नीति के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं रहे हैं, उनके लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में देश के संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। • **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना **पीएम-विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण** छात्र ऋण हेतु एक व्यापक पहल **पात्रता** • शीर्ष 860 गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों (QHEI) में खुली प्रतियोगी परीक्षाओं या मेरिट-आधारित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्र। **कवरेज** • प्रत्येक वर्ष 22 लाख से अधिक छात्रों को कवर करना। • ऋण की राशि पर कोई अधिकतम सीमा नहीं (यह पाठ्यक्रम शुल्क, छात्रावास शुल्क और अन्य खर्चों पर निर्भर करता है) **ऋण की विशेताएं** • बिना जमानत और गारंटर-मुक्त ऋण। • पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया। **क्रेडिट गारंटी** • ₹7.5 लाख तक के ऋण पर सरकार की ओर से 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी। 75% **ब्याज अनुदान** • वे छात्र जिनके परिवार की आय ₹8 लाख तक है, उन्हें ₹10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। • जिन छात्रों के परिवार की आय ₹4.5 लाख तक है, उन्हें पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। **निगरानी: पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से, जिसे केनरा बैंक द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है।**
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS)	**हाल ही में, NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया।** • **लक्ष्य: तकनीकी रूप से योग्य** युवाओं को **6 महीने से 1 वर्ष त**क की अवधि के लिए **ऑन-जॉब प्रशिक्षण** प्रदान करना, उद्योग कौशल संबंधी आवश्यकताओं और शैक्षणिक पाठ्यक्रम के बीच अंतराल को कम करना। • **लाभार्थी:** स्नातक, डिप्लोमा धारक छात्र और व्यावसायिक प्रमाण-पत्र धारक। • **वैधानिक आधार:** 1973 में संशोधित अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत। • **कार्यान्वयन एजेंसी: प्रशिक्षुता/ व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड** • **कवरेज:** कोर्स शुल्क (प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षण संस्थान को) के साथ-साथ पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए खर्च (आकलन, परीक्षा, अध्ययन सामग्री, आदि)। • **अवधि:** 2021-2026 तक।
उल्लास (ULLAS)- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (New India Literacy Programme)	लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। • **लक्ष्य:** 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता और गणनात्मक कौशल, महत्वपूर्ण लाइफ स्किल्स, आधारभूत शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और निरंतर शिक्षा के साथ सशक्त बनाना, ताकि गैर-साक्षर लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके—यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दृष्टि के अनुरूप है। • **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना • **अवधि:** 2022-2027 तक।

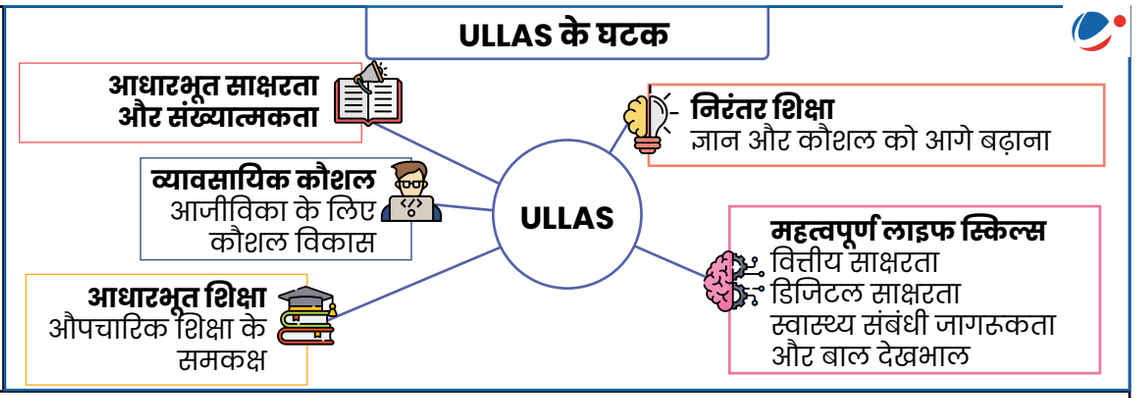

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics & Information Technology)

समृद्ध (उत्पाद नवाचार, विकास और संवृद्धि के लिए MeitY का स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर (समृद्ध/ SAMRIDH)

MeitY ने स्टार्टअप्स के लिए SAMRIDH योजना का दूसरा कोहोर्ट लॉन्च किया।

- **लक्ष्य: मौजूदा और उभरते एक्सेलेरेटर को समर्थन प्रदान करना** ताकि वे संभावित IT-आधारित स्टार्ट-अप्स का चयन कर उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सकें।
- **लाभार्थी:** फिनटेक, हेल्थटेक, एडटेक, IoT, AI और AR/VR जैसे क्षेत्रों में तकनीकी स्टार्ट-अप्स।
- **एक्सेलेरेटर के लिए पात्रता:**
  - **अनुभव:** कम से कम 3+ वर्षों का इनक्यूबेशन अनुभव हो, जिसमें 50+ स्टार्टअप्स को सहयोग दिया गया हो और उनमें से कम से कम 10 को गैर-सरकारी निवेश प्राप्त हुआ हो।

  या

  - ऐसे लक्षित एक्सेलेरेटर कार्यक्रम चलाए हों, जिनके तहत कम से कम 3 कोहोर्ट पूरे किए गए हों और उनकी गतिविधियां SAMRIDH के अंतर्गत वांछनीय मानी जाती हों।
  - **संचालन:** इनका संचालन भारत में ही होना चाहिए।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** MeitY स्टार्ट-अप हब (MSH) इस योजना को लागू करेगा।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change)

वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए इस योजना को मंजूरी दी।

- **लक्ष्य:** तकनीकी हस्तक्षेप और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से **पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा** देना, **वन्यजीव पर्यावासों का संरक्षण और विकास करना तथा कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना।**

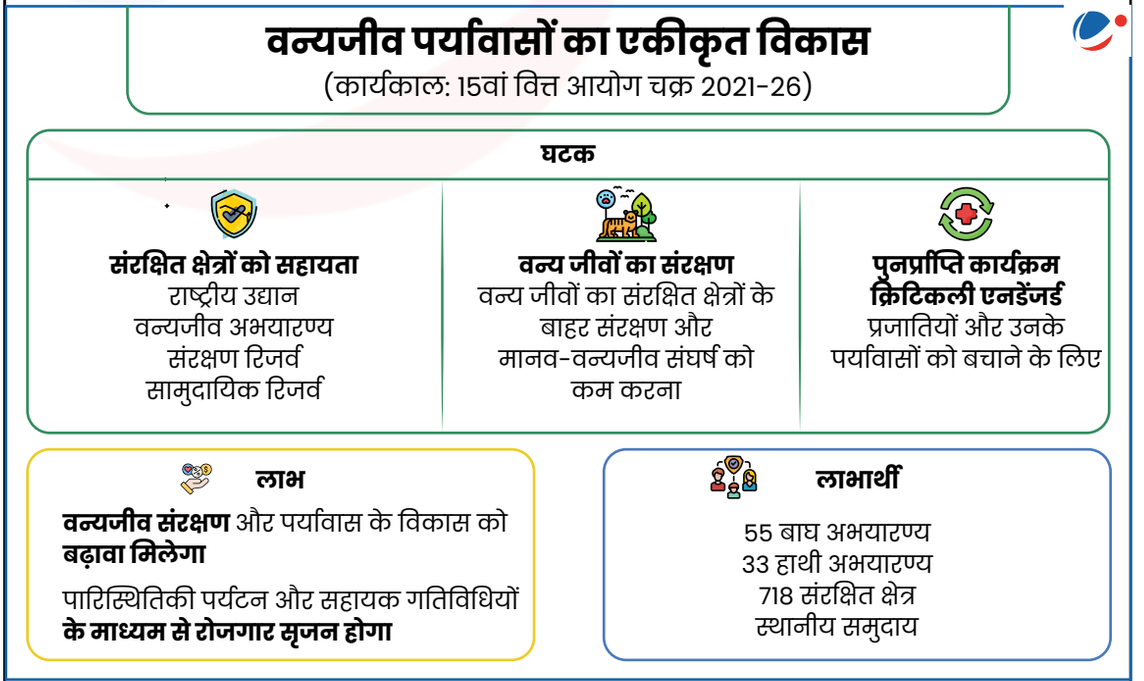

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)	NCAP के 5 वर्ष पूरे हुए। • **उद्देश्य:** 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों (गैर-प्राप्ति शहर और मिलियन प्लस सिटिज) में सभी हितधारकों की भागीदारी से वायु गुणवत्ता में सुधार करना। • **लक्ष्य:** 2017-18 की आधार वर्ष की तुलना में 2024-25 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM10) की सांद्रता को 40% तक कम करना या 2025-26 तक राष्ट्रीय मानकों (60 µg/m3) को प्राप्त करना। • **कार्यान्वयन:** राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। • **निगरानी: PRANA/ प्राण (गैर-प्राप्ति शहरों में वायु-प्रदूषण के विनियमन के लिए पोर्टल)** के माध्यम से की जाएगी।
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)	
विवाद समाधान योजना (e-DRS)	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विवाद समाधान योजना (e-DRS), 2022 शुरू की है। • **उद्देश्य:** मुकदमेबाजी को कम करना और निर्दिष्ट आयकर आदेशों से संबंधित विवादों को हल करके पात्र करदाताओं को राहत प्रदान करना। • **आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि:** निर्दिष्ट आदेश प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर। 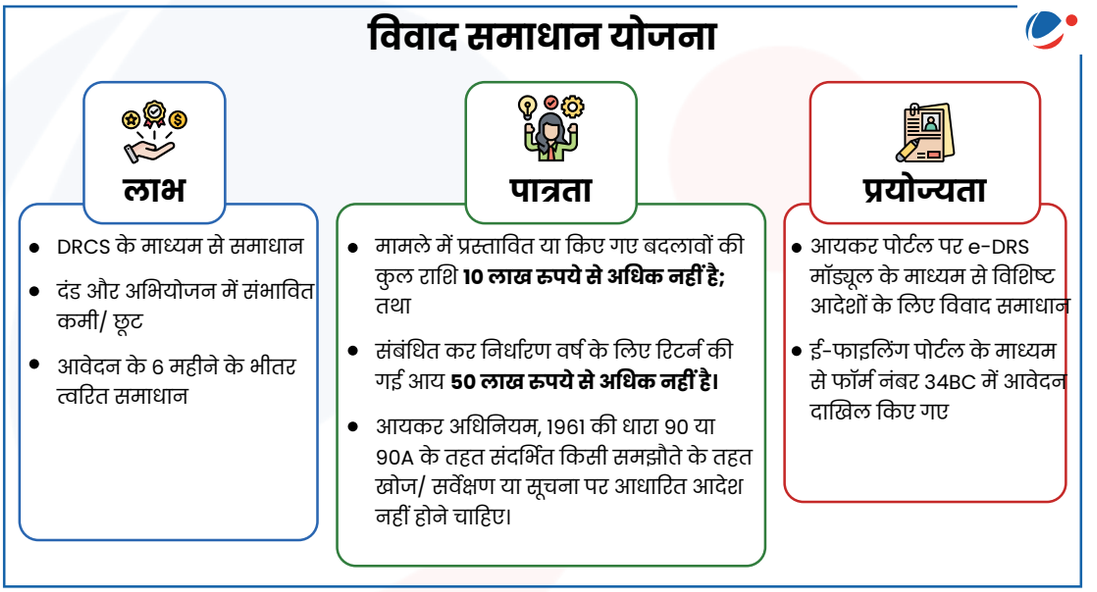
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare)	
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS)	**हाल ही में मंत्रालय ने योजना के लाभार्थियों के लिए अपडेटेड दिशा-निर्देश जारी किए हैं।** • **उद्देश्य: सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों** को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। • **myCGHS ऐप: CGHS के लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रेकॉर्ड्स (EHRs), सूचना और संसाधनों तक बेहतर पहुंच** प्रदान करता है।
'राज्यों में टेली-मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग' (टेली-मानस/ Tele-MANAS)	• टेली-मानस हेल्पलाइन को अक्टूबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से 10 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हो चुकी हैं। • **उद्देश्य: 24x7 टेली-मेंटल हेल्थ सेवा** के माध्यम से उचित, किफायती और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना। यह **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)** का एक प्रमुख डिजिटल घटक है। • **फोकस:** दुर्गम और वंचित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना।

टेली-मानस की मुख्य विशेषताएं

नोडल केंद्र
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS), बेंगलुरु

तकनीकी सहायता
IIT बेंगलुरु और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC)

उद्देश्य
- **हर समय देखभाल:** देश भर में 24x7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करना।
- **समग्र देखभाल** में काउंसलिंग, चिकित्सकीय उपाय, वीडियो के माध्यम से सलाह और फॉलो-अप देखभाल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- **कमजोर वर्गों तक पहुंच:** वंचित और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।

ऐप और वीडियो के माध्यम से परामर्श

मोबाइल ऐप: मानसिक स्वास्थ्य संबंधी संसाधन, स्वयं-देखभाल के टूल्स और गोपनीय तरीके से 24/7 परामर्श सेवा प्रदान करता है।

वीडियो परामर्श से सीधी निगरानी और गहन देखभाल

लक्ष्य
व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने, शर्मिंदगी (stigma) को दूर करने और किफायती तरीके से स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना।

गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्द्धन योजना (NFIES)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **"राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्द्धन योजना (NFIES)"** को मंजूरी दी है।
- **उद्देश्य:** आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना
- **अन्य उद्देश्य:** फोरेंसिक अवसंरचना का विस्तार करना, पेशेवरों को प्रशिक्षित करना तथा साक्ष्य की समय पर और वैज्ञानिक तरीके से जांच सुनिश्चित करना।
- **योजना प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **कार्यान्वयन अवधि:** 2024-25 से 2028-29

NFIES के घटक

देश में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) के **नए कैंपस की स्थापना करना।**

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए **केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (CFSLs)** की स्थापना करना

NFSU के दिल्ली कैंपस की मौजूदा अवसंरचना **को बेहतर** बनाना।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP)

- अरुणाचल प्रदेश ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्तारित करने की मांग की है।
- **उद्देश्य:** भारत की उत्तरी सीमाओं के पास स्थित चुनिंदा गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा देना ताकि स्थानीय निवासियों को इन क्षेत्रों में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- **योजना का प्रकार:** यह केंद्र प्रायोजित योजना है।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम

कवरेज
यह अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉकों को लक्षित करता है।

फोकस क्षेत्र

अवसंरचना संबंधी विकास:
- कनेक्टिविटी से वंचित गांवों के लिए सड़क कनेक्टिविटी।
- आवास और गांव की बुनियादी अवसंरचना।
- ऊर्जा की आपूर्ति जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा शामिल।
- टेलीविजन और दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार।

आजीविका सृजन:
- पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना।
- कौशल विकास और उद्यमिता।
- सहकारी समितियों, कृषि, बागवानी और औषधीय पौधों की खेती के लिए सहायता।

</td>
</tr>
<tr>
<td>

विलेज डिफेंस गार्ड्स (VDGs) योजना 2022

</td>
<td>

जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए **विलेज डिफेंस गार्ड्स** को अत्याधुनिक हथियार प्रदान किए गए हैं।

- **उद्देश्य:** स्वैच्छिक नागरिकों के एक लघु समूह को संगठित करके हथियार प्रदान करना ताकि ग्रामीणों में आत्मरक्षा की भावना पैदा हो सके, ऐसे गांवों और उनके आस-पास अवसंरचना का विकास करना तथा सीमा-पार से होने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखना।
- **कवरेज: जम्मू संभाग के सीमावर्ती और आंतरिक क्षेत्रों में स्थित** चिन्हित गांव।
- **संरचना**
  - **आकार:** प्रति समूह में अधिकतम 15 सदस्य।
  - **नेतृत्व:** सेवानिवृत्त सैनिक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CPMF) या जम्मू-कश्मीर पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी के नेतृत्व में गठन।
  - **कमांड एवं नियंत्रण:** जिला पुलिस अधीक्षक (SP/SSP) के निर्देशन में कार्य करता है।

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment)

</td>
</tr>
<tr>
<td>

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS)

</td>
<td>

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन किया गया। संशोधन के तहत उन सब्सक्राइबर्स को धन निकासी का लाभ प्रदान किया जाएगा जिनकी 6 महीने से कम सेवाकाल रह गया है।

- **उद्देश्य:** सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के लिए निरंतर आय सुनिश्चित करना, आजीवन सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करना
- **सामाजिक सुरक्षा योजना:** यह निर्धारित अंशदान-निर्धारित लाभ आधारित योजना है
- **अंशदान**
  - **नियोक्ता का अंशदान:** कर्मचारी के वेतन का 8.33%
  - **सरकार का अंशदान:** कर्मचारी के वेतन का 1.16% (अधिकतम 15,000 प्रति माह तक)।
  - **भुगतान:** सभी लाभों का वित्तपोषण इन अंशदानों के माध्यम से किया जाता है।
- **न्यूनतम पेंशन:** 1,000 रुपये प्रति माह (1 सितंबर, 2014 से लागू)।

</td>
</tr>
</table>

विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice)	

ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट	ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट तीसरे चरण (Phase III) में प्रवेश कर चुकी है।
	• **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके भारतीय न्यायपालिका का आधुनिकीकरण करना है।
	• **सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
	• **कार्यान्वयन अवधि:**
	  ○ **ई-कोर्ट चरण I:** 2011-15
	  ○ **ई-कोर्ट चरण II:** 2015- 2023
	  ○ **ई-कोर्ट चरण III:** 2023-2027
	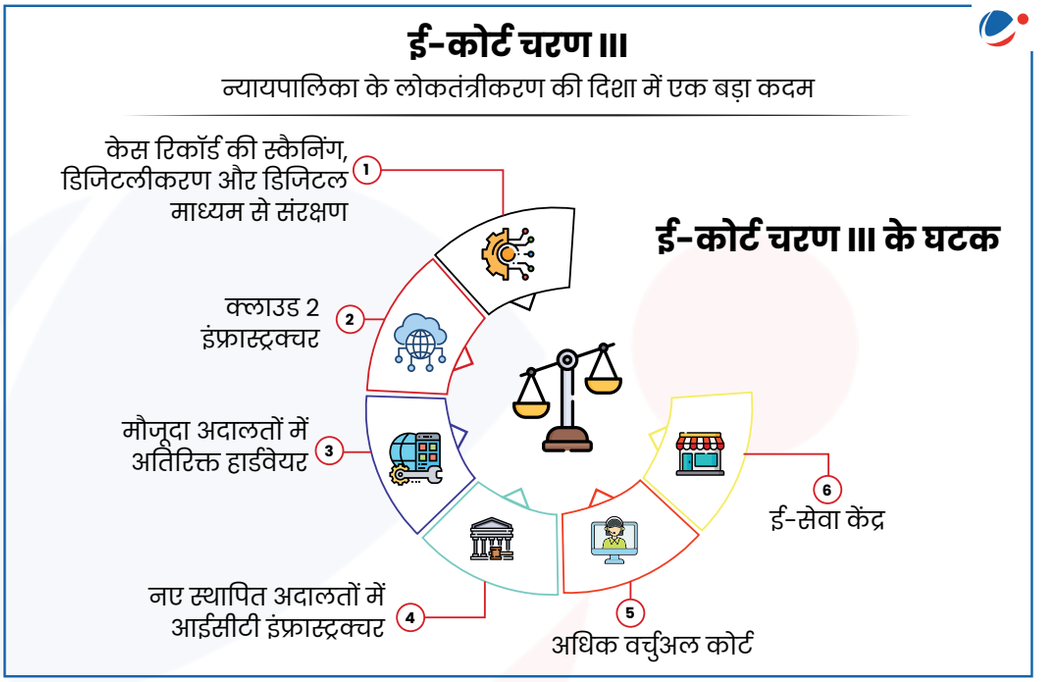

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)	

जियो पारसी योजना	जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया।
	• **उद्देश्य:** वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और व्यवस्थित उपायों को अपनाकर पारसी समुदाय की आबादी में गिरावट के ट्रेंड को रोकना और उनकी आबादी को बढ़ाना।
	• **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
	• **3 घटक:**
	  ○ **चिकित्सा घटक:** मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के अंतर्गत चिकित्सा उपचार हेतु पारसी दंपतियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;
	  ○ **समुदाय का स्वास्थ्य:** बच्चों की देखभाल और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए पारसी दंपतियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और
	  ○ **जन-जागरूकता घटक:** पारसी समुदाय में जागरूकता फैलाना।

<table>
<tr><th colspan="2">नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy)</th></tr>
<tr><td>अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (OWEP) के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना</td><td>कैबिनेट मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (OWEP) के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना को मंजूरी दी।
• उद्देश्य: गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर 500-500 मेगावाट की क्षमता वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करना।
• कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI)
• राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) की भूमिका: अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  ○ यह सफल बोलीदाता को राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, 2015 के अनुसार चरण-II को मंजूरी प्राप्त करने में भी सहायता करेगा।</td></tr>
<tr><th colspan="2">पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj)</th></tr>
<tr><td>संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)</td><td>संशोधित RGSA की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने ग्राम पंचायतों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कई पहलें शुरू कीं।
• उद्देश्य: पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की क्षमता को सशक्त बनाना ताकि वे स्थानीय शासन की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बन सकें, प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का स्थानीयकरण कर सकें।
• प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना
• कवरेज: सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें वे ग्राम्य स्थानीय शासन संस्थाएं भी शामिल हैं जो संविधान के अनुच्छेद IX के बाहर आती हैं और जहाँ पंचायतें नहीं हैं।
• कार्यान्वयन अवधि: 2022-23 से 2025-26 तक
संशोधित RGSA की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहलें
मास्टर ट्रेनर, अतिथि शिक्षकों आदि के लिए मानकीकृत मानदेय अपनाना।
पंचायत अधिकारियों के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण
निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए स्माल क्लासरूम प्रशिक्षण
अवसंरचना में निवेश जैसे कि ग्राम पंचायतों के लिए केंद्र और स्वीकृत कंप्यूटरों के साथ ग्राम पंचायत भवन
पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के वाइब्रेंट विलेज में पंचायत अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करना</td></tr>
<tr><th colspan="2">पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways)</th></tr>
<tr><td>क्रूज़ भारत मिशन</td><td>यह मिशन सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया।
• उद्देश्य: 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करके क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना।
• लाभ: 4 लाख रोजगार के अवसर का सृजन और 5,000 किलोमीटर जलमार्गों पर 1.5 मिलियन नदी क्रूज यात्रियों को आकर्षित करना।</td></tr>
</table>

क्रूज़ भारत मिशन

मिशन के चरण

चरण-1 (2024 से 2025)
अध्ययन और मास्टर प्लानिंग
1. अध्ययन और योजना निर्माण
2. क्षेत्रीय गठबंधन
3. टर्मिनल मोडेमाइज़

चरण-2 (2025 से 2027)
अवसंरचना का विकास
1. नए टर्मिनल
2. मरीना डेवलपमेंट
3. क्रूज़ डेस्टिनेशन

चरण-3 (2027 से 2029)
क्षेत्रीय एकीकरण
1. क्रूज़ सर्किट
2. उपमहाद्वीप नेटवर्क
3. पूर्ण एकीकरण

प्रमुख क्रूज सेगमेंट्स

ओशन और हार्बर क्रूज सेगमेंट

डीप-सी व कोस्टल क्रूज; हार्बर क्रूज

नदी और अंतर्देशीय क्रूज सेगमेंट

नहर, बैकवाटर, क्रीक व झीलों पर आधारित क्रूज

आइलैंड क्रूज़ सेगमेंट

अंतर-द्वीपीय क्रूज़, लाइट हाउस टूर, अभियान

ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम

केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये परिव्यय से ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम शुरू किया।

उद्देश्य: भारत के हार्बर टग बेड़े में डीजल की जगह हरित विकल्पों को अपनाना।

ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम

समुद्री अमृत काल विज़न 2047 का भाग
2030 तक बंदरगाह से होने वाले पोत उत्सर्जन में 30% की कटौती का लक्ष्य

'पंच कर्म संकल्प' के तहत एक प्रमुख पहल

टग
विशेष नावें जो बंदरगाहों में प्रवेश करने या छोड़ने में बड़े जहाजों की सहायता करती हैं

कालक्रम: पांच चरण (2024-2040)

नोडल एजेंसी
राष्ट्रीय हरित बंदरगाह एवं शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र (NCoEGPS)

<table>
<tr><td>जलवाहक योजना</td><td>यह योजना हाल ही में शुरू की गई है।
• उद्देश्य: संधारणीय और किफायती परिवहन साधनों को बढ़ावा देना।
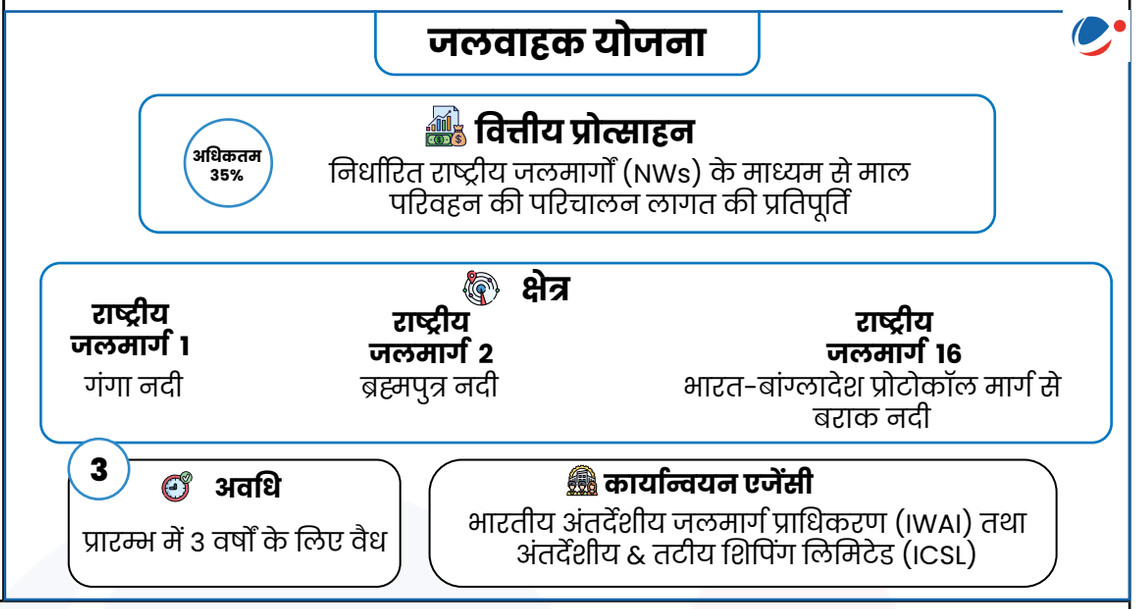
</td></tr>
<tr><td colspan="2">विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)</td></tr>
<tr><td>EV एज़ ए सर्विस कार्यक्रम/ सेवा के रूप में इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्यक्रम</td><td>भारत सरकार ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को अपनाने में तेजी लाने के लिए 'EV एज़ ए सर्विस' कार्यक्रम शुरू किया।
• उद्देश्य: कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और भारत के 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य का समर्थन करने के लिए सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना।
• लक्ष्य: अगले दो वर्षों में सरकारी विभागों में 5,000 ई-कार तैनात करना।
• कार्यान्वयन एजेंसी: कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL)- यह विद्युत मंत्रालय के तहत EESL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)</td></tr>
<tr><td>अमृत भारत स्टेशन योजना</td><td>अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कर्नाटक में 61 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा।
• उद्देश्य: दीर्घकालिक विजन के साथ स्टेशनों का निरंतर विकास करना।
• लक्ष्य:
○ बेहतर सुविधाएं: स्टेशन तक आसान पहुंच, प्रतीक्षालय और यात्री आवागमन क्षेत्र।
○ आधुनिकीकरण: रूफ प्लाजा, सिटी सेंटर और मल्टी मॉडल एकीकरण।
○ सुगम्यता: दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण-अनुकूल सुविधाएं</td></tr>
</table>

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)	

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 'कैशलेस उपचार' योजना	**हाल ही में योजना की शुरुआत**
	• **उद्देश्य:** सड़क दुर्घटना पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
	• **वित्तीय कवरेज:** सरकार **सात दिनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक के उपचार** खर्च को कवर करेगी, बशर्ते पुलिस को 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाए।
	  ○ अस्पतालों द्वारा उपचार प्रदान करने हेतु किए गए दावों की प्रतिपूर्ति **मोटर वाहन दुर्घटना फंड** से किया जाएगा।
	  ○ पीड़ित **आयुष्मान भारत PM-JAY पैकेज** के तहत ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा के उपचार का विकल्प चुन सकते हैं।
	• **पात्रता:** किसी भी प्रकार की सड़क पर मोटर वाहनों से जुड़ी सभी सड़क दुर्घटनाओं के मामले में यह योजना लागू होगी।
	• **कार्यान्वयन: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)** योजना को लागू करने के लिए पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा।
	  ○ **ई-डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (eDAR) एप्लिकेशन** से NHA को योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।
	• **एक्स-ग्रेशिया भुगतान: हिट-एंड-रन मामलों** में मृतक पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
	• **कानूनी मैंडेट:** मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत यह योजना लागू की गई है, जो **मोटर वाहनों से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं** के पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने पर जोर देता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology)	
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (Biotechnology Research Innovation and Entrepreneurship Development: Bio-RIDE)	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड/ Bio-RIDE) योजना को मंजूरी दी। • **उद्देश्य:** इनोवेशन और **जैव-उद्यमिता को बढ़ावा देना** तथा बायो-मैन्युफैक्चरिंग और जैव प्रौद्योगिकी में ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना। **बायो-राइड** **घटक** R&D: जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास I&ED: औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास BM: बायो-मैन्युफैक्चरिंग और बायो-फाउंड्री (मिशन LiFE) **लाभ** ₹: अत्याधुनिक शोध के लिए फंडिंग C: जैव-उद्यमियों के लिए सहायता S: उद्योग और अकादमिक जगत के बीच सहयोग में वृद्धि E: संधारणीय बायो-मैन्युफैक्चरिंग पद्धतियां **लाभार्थी**: जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शोधकर्ता, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग जगत और उद्यमी **अवधि**: 2021-22 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अवधि) **कवरेज और लागू होना**: राष्ट्रव्यापी; स्वास्थ्य देखभाल सेवा, कृषि, जैव ऊर्जा और पर्यावरणीय संधारणीयता जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM)	प्रधान मंत्री ने NSM के तहत स्वदेशी रूप से विकसित **तीन परम रुद्र सुपरकंप्यूटर राष्ट्र** को समर्पित किए। • **पृष्ठभूमि:** यह मिशन 2015 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। • **उद्देश्य:** बढ़ती कम्प्यूटेशनल मांगों को पूरा करने के लिए **देश में सुपरकंप्यूटिंग अवसंरचना** प्रदान करना। • **नेशनल नॉलेज नेटवर्क:** इन सुपरकंप्यूटरों को नेशनल नॉलेज नेटवर्क (NKN) के साथ राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड पर भी नेटवर्क किया जाएगा। ○ NKN **शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को हाई स्पीड नेटवर्क** से जोड़ता है। 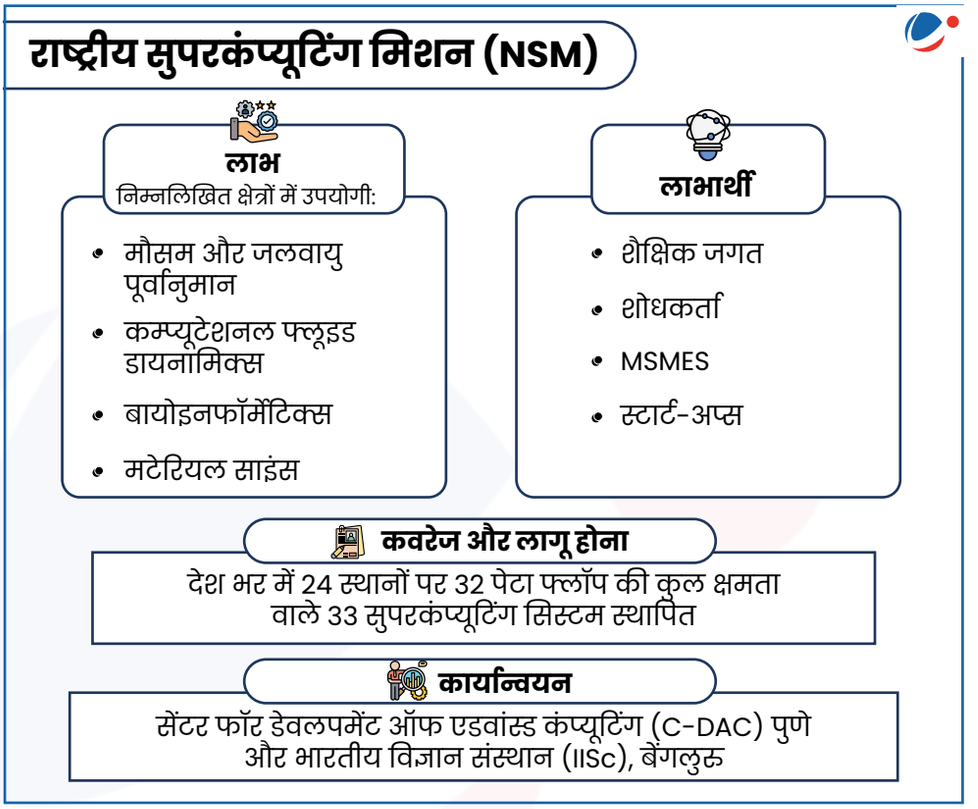
नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हारनेसिंग इनोवेशंस (निधि/ NIDHI)	निधि योजना के तहत 1,200 से अधिक उत्पादों और प्रोटोटाइप का विकास किया गया है तथा 233 पेटेंट प्राप्त किए गए हैं। • **उद्देश्य:** नए विचारों और इनोवेशंस को सफल स्टार्टअप में बदलने के लिए एक समग्र कार्यक्रम। • **लाभार्थी:** विद्यार्थी/ टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर/ शोधकर्ता/ इनोवेटर्स/ संस्थान/ उद्यमी/ स्टार्टअप्स • **वित्त पोषण एजेंसी:** राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (NSTEDB) • **कार्यान्वयन एजेंसी:** टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स (TBIs)

निधि (NIDHI) के प्रमुख घटक

NIDHI PRAYAS	**निधि प्रयास:** युवा तकनीकी उद्यमियों को आईडिया के चरण से लेकर प्रोटोटाइप विकास चरण तक का समर्थन
Entrepreneur-in-Residence	**निधि – EIR (एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस):** उद्यमियों के जोखिम को कम करना
NIDHI TBI	**निधि – TBI: इनोवेशन को स्टार्टअप्स** में बदलना
DST NIDHI	**निधि – iTBI:** टियर-2 और टियर-3 शहरों में इनोवेशन और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना
NIDHI ACCELERATOR	**निधि – एक्सेलेरेटर (स्टार्टअप एक्सीलेरेशन प्रोग्राम):** केंद्रित उपायों के माध्यम से किसी स्टार्ट-अप को तेजी से आगे बढ़ाना
NIDHI SSS (SEED SUPPORT SYSTEM)	**निधि – SSS** (सीड सपोर्ट सिस्टम): प्रारंभिक चरण के लिए निवेश प्रदान करना
NIDHI CENTER OF EXCELLENCE @ Venture Center	**निधि – COE (उत्कृष्टता केंद्र):** स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना।

त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी (Partnerships for Accelerated Innovation and Research: PAIR) कार्यक्रम

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) ने नवंबर 2024 में 'PAIR' पहल शुरू की है।

- **उद्देश्य:** हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से केंद्रीय और राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों को शीर्ष संस्थानों के साथ जोड़कर अनुसंधान को बढ़ावा देना।

PAIR कार्यक्रम

नीति

इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप बनाया गया है।

हब (Hubs)

पहले चरण में, हब में उच्च NIRF रैंकिंग वाले संस्थान शामिल होंगे जो अनुसंधान गतिविधियों में उभरते संस्थानों (स्पोक्स) का मार्गदर्शन करेंगे, तथा अपने संसाधनों और विशेषज्ञता का उपयोग करने देंगे।

स्पोक (Spoke)

केंद्रीय और राज्य सरकारी विश्वविद्यालय तथा चयनित NITs और IIITs (बाद में विस्तार किय जाएगा)।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) {Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE)}

मॉडल कौशल ऋण योजना

मॉडल कौशल ऋण योजना को अत्याधुनिक स्तर के कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने और अधिक ऋणदाताओं से उच्च ऋण राशि प्रदान करने के लिए **संशोधित** किया गया है।

- **पृष्ठभूमि:** कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (CCFSSD), मॉडल कौशल ऋण योजना 2015 में शुरू की गई थी।
- **उद्देश्य: युवाओं को फ्यूचर-रेडी वर्कफोर्स** हेतु उच्च-स्तरीय पाठ्यक्रमों सहित कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करना।
- **विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता:** एडवांस्ड लेवल के **कौशल विकास पाठ्यक्रमों** के लिए 7.5 लाख रुपये तक जमानत रहित यानी कोलेटरल फ्री ऋण प्रदान किया जाता है।
- **विद्यार्थी पात्रता:** ITI, पॉलिटेक्निक, मान्यता प्राप्त स्कूल, संबद्ध कॉलेज, NSDC के विद्यार्थी, तथा राज्य कौशल मिशन ट्रेनिंग पार्टनर्स।
- **कोर्स की अवधि:** कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

आदर्श कौशल ऋण योजना

वित्तपोषण की अधिकतम सीमा

5,000 रुपये से लेकर 7.5 लाख रुपये तक (पहले अधिकतम 1.5 लाख रुपये थी)

पात्र पाठ्यक्रम (कोर्सेज)

- कोर्सेस जो राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों (National Occupational Standards - NOS) और योग्यता पैक (Qualification Packs - QPs) तथा राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप हैं।
- स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले NSQF-भिन्न कोर्सेस।

ऋणदाता

अब इसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC)/ NBFC-MFIs (माइक्रोफाइनेंस संस्थान) और स्मॉल फाइनेंस बैंक सदस्य ऋणदाता संस्थाओं के रूप में शामिल हैं।

(पहले केवल 'इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन' के सभी सदस्य बैंकों को ही ऋण देने की अनुमति थी)

ब्याज दर

बेस रेट (MCLR) + अधिकतम 1.5% अतिरिक्त।

डाउन पेमेंट

कुल कोर्स फीस का अधिकतम 10%

ऋण पुनर्भुगतान की अवधि

- 50,000 रुपये तक - 3 वर्ष
- 50,000-1 लाख रुपये तक- 5 वर्ष
- 1 लाख रुपये से अधिक - 7 वर्ष

क्रेडिट गारंटी: डिफॉल्ट की स्थिति में ऋण राशि का 70% से 75% (ऋण राशि पर निर्भर)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice & Empowerment)

प्रधान-मंत्री-वाइब्रेंट इंडिया के लिए यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप पुरस्कार योजना (PM-YASASVI)

मंत्रालय: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

उद्देश्य: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC), और विमुक्त जनजातियों (DNT) के विद्यार्थियों का उत्थान करना।

पीएम-यशस्वी एक व्यापक अम्ब्रेला योजना

घटक

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
2.5 लाख रुपये से कम आय वाले कक्षा IX और X के विद्यार्थियों को 4,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
5,000-20,000 रुपये की छात्रवृत्ति, माध्यमिक शिक्षा के बाद कोर्स की श्रेणी के आधार पर

टॉप क्लास की शिक्षा सहायता
कक्षा 9-12 के लिए 1.25 लाख रुपये तक, प्रमुख संस्थानों में कॉलेज के टॉप विद्यार्थियों के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना।

छात्रावास निर्माण
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए आवास सुविधा

चयन (Selection)
NTA द्वारा YASASVI प्रवेश परीक्षा (YET) पर आधारित

पात्रता (Eligibility)
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC), और विमुक्त जनजाति (DNT) के विद्यार्थी। अधिकतम वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

अवधि
2021-22 से 2025-26

सुगम्य भारत अभियान (AIC)

हाल ही में सुगम्य भारत अभियान के 9 वर्ष पूरे हुए हैं।

- **उद्देश्य:** दिव्यांगजन (PWDs) के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करना।
- **सुगम्य भारत अभियान के घटक**
  - सार्वजनिक स्थानों को आवागमन के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए **अनुकूल अवसंरचना निर्माण।**
  - **सुगम्य परिवहन साधन**
  - **सूचना और संचार प्राप्ति को सुगम बनाना**

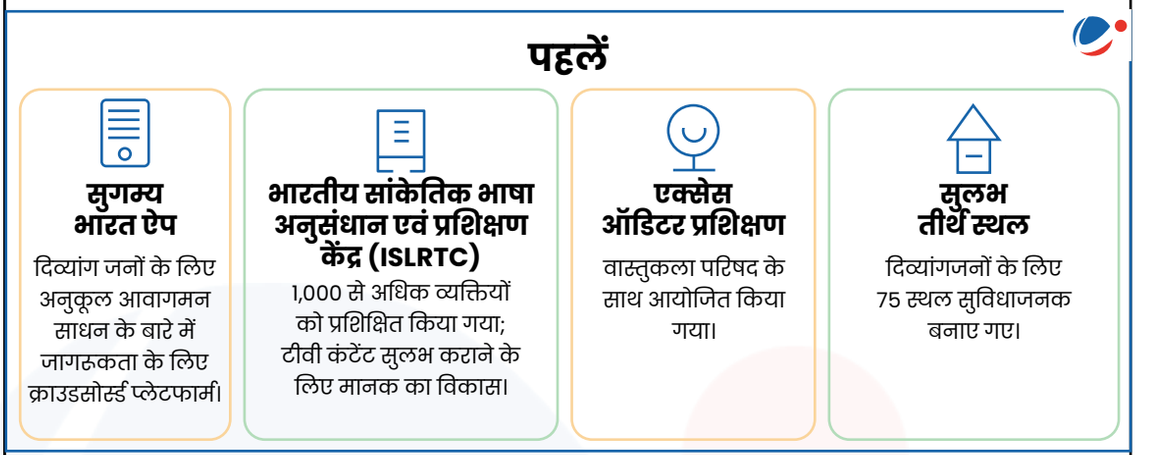

पारंपरिक कारीगरों का उत्थान आजीविका कार्यक्रम (Traditional Artisans' Upliftment Livelihood Programme: TULIP)

केंद्रीय मंत्री ने शिल्प और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'ट्यूलिप' ब्रांड का उद्घाटन किया।

- **उद्देश्य: ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से कारीगरों को आर्थिक आत्मनिर्भरता** और विश्व में पहुंच के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करना।

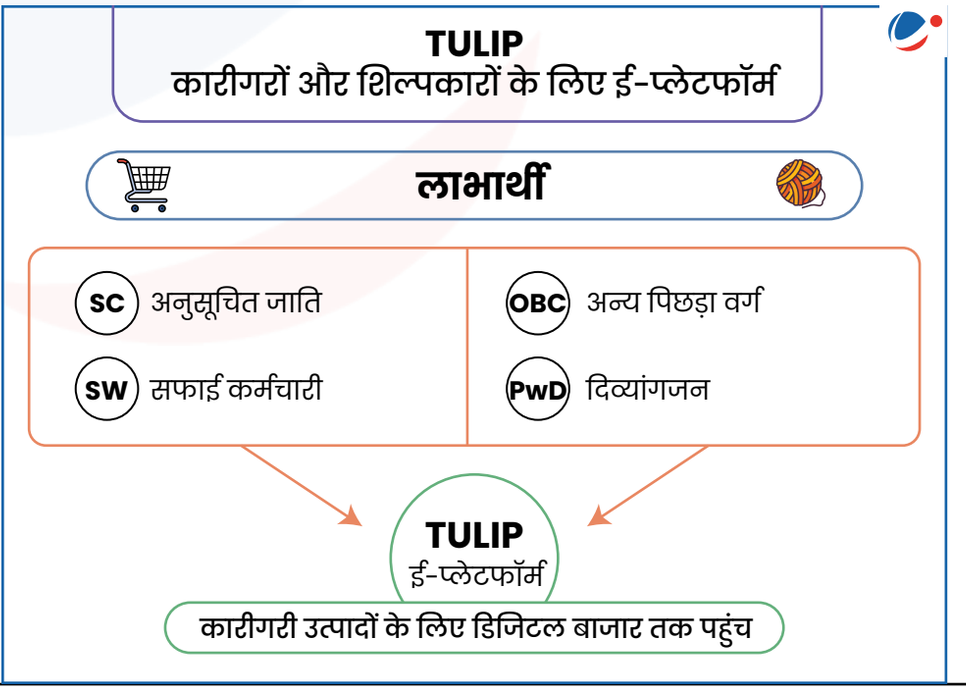

वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles)	

GREAT ("तकनीकी वस्त्रों में महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता हेतु अनुदान/ Grant for Research & Entrepreneurship across Aspiring Innovators in Technical Textiles: GREAT) योजना	**ग्रेट** योजना के तहत 4 स्टार्ट-अप्स को 50-50 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई।
	• **प्रमुख विशेषताएं:**
	  ○ **पृष्ठभूमि:** यह योजना **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) के अनुसंधान, विकास और नवाचार** घटक का हिस्सा है।
	  ○ **लक्ष्य:** इसका लक्ष्य भारत में **तकनीकी वस्त्रों में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम** को विकसित करना है।
	  ○ **उद्देश्य:**
	  » इनोवेटर्स को अपने **प्रोटोटाइप को उत्पादों** में बदलने में मदद करना।
	  » **टेक इनोवेशंस के वाणिज्यीकरण** को बढ़ावा देना।
	  » सहयोग के माध्यम से **तेजी से आइडिया को उत्पाद में बदलने के लिए** प्रोत्साहित करना।
	• **वित्तीय सहायता:**
	  ○ **स्टार्ट-अप/ व्यक्ति:** अधिकतम **50 लाख रुपये** तक का अनुदान।
	  ○ **एसोसिएटेड इनक्यूबेटर:** स्टार्ट-अप के अनुदान का 10% प्राप्त करेंगे। (उदाहरण के लिए, यदि स्टार्ट-अप को 50 लाख रुपये मिलते हैं, तो इनक्यूबेटर को 5 लाख रुपये मिलेंगे, इस प्रकार NTTM के तहत कुल अनुदान 55 लाख होगा।)

समर्थ/SAMARTH (स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर) योजना	"समर्थ" योजना की अवधि को **मार्च 2026** तक बढ़ा दिया गया है। **प्रमुख विशेषताएं:** • **शुरुआत:** समर्थ योजना **वस्त्र क्षेत्रक में क्षमता निर्माण हेतु योजना (SCBTS)** की अगली कड़ी के रूप में शुरू की गई थी। इसकी अवधि **2017-18 से 2019-20** तक के लिए थी। • **लक्ष्य: मांग-आधारित और प्लेसमेंट-उन्मुख कौशल कार्यक्रम** प्रदान करना।

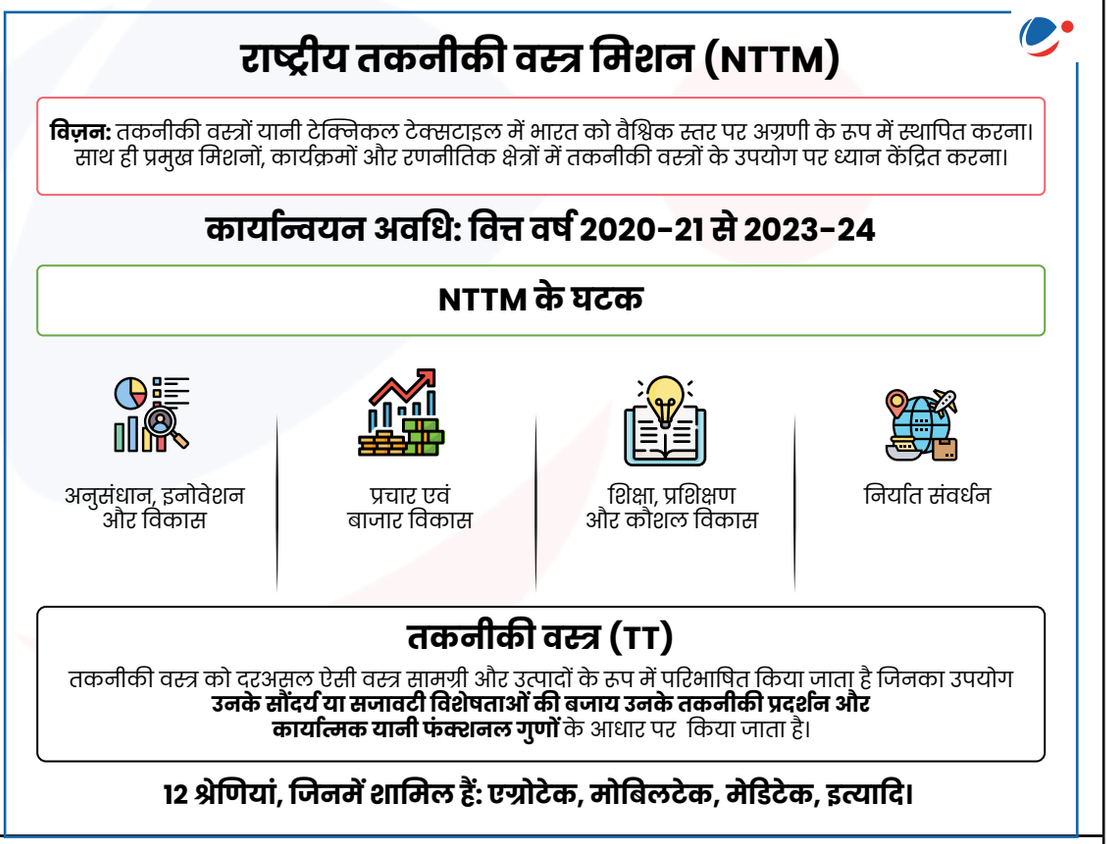

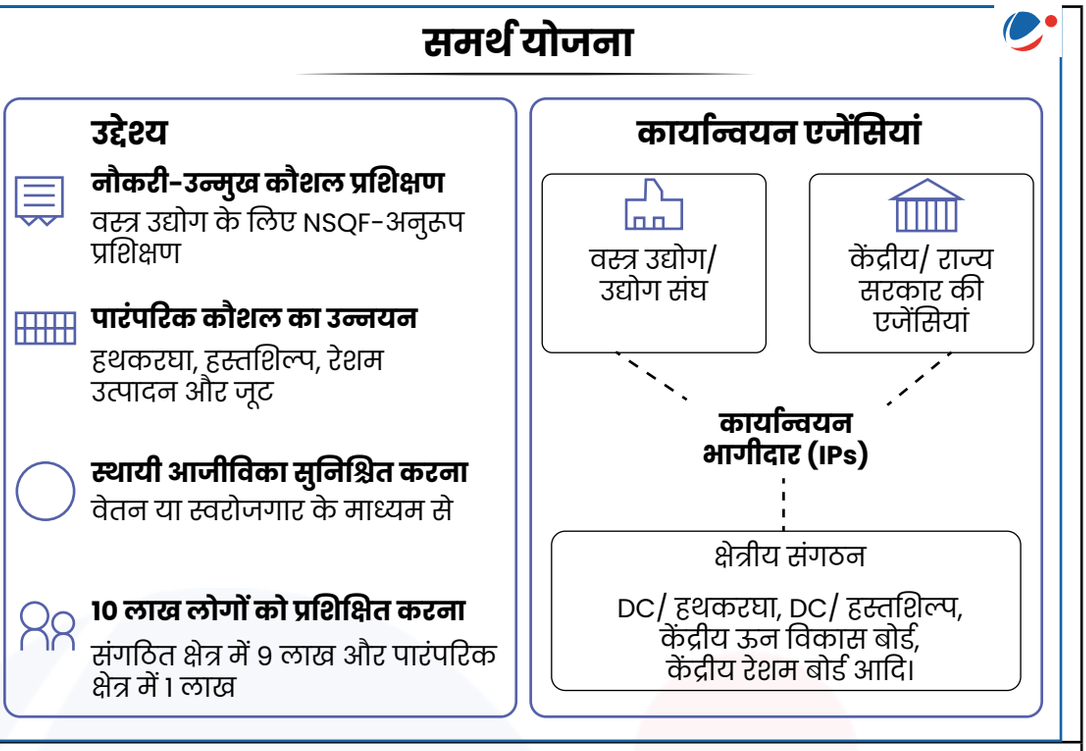

पर्यटन मंत्रालय

पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल

हाल ही में **पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी** नामक एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल शुरू की गई।

- **उद्देश्य: सामाजिक समावेश और आर्थिक संवृद्धि के लिए** पर्यटन को बढ़ावा देना तथा **'पर्यटक-अनुकूल' स्थानीय लोगों को दूत एवं कहानीकार के रूप में प्रशिक्षित** करना।
- **विज़न: 'अतुल्य भारतीयों के माध्यम से अतुल्य भारत'** संबंधी पर्यटक अनुभव को सुनिश्चित करना।
- **प्रायोगिक चरण के तहत शामिल क्षेत्र:** 6 पर्यटन स्थल **ओरछा** (मध्य प्रदेश), **गंडिकोटा** (आंध्र प्रदेश), **बोधगया** (बिहार), **आइजोल** (मिजोरम), **जोधपुर** (राजस्थान) तथा **श्री विजयपुरम** (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

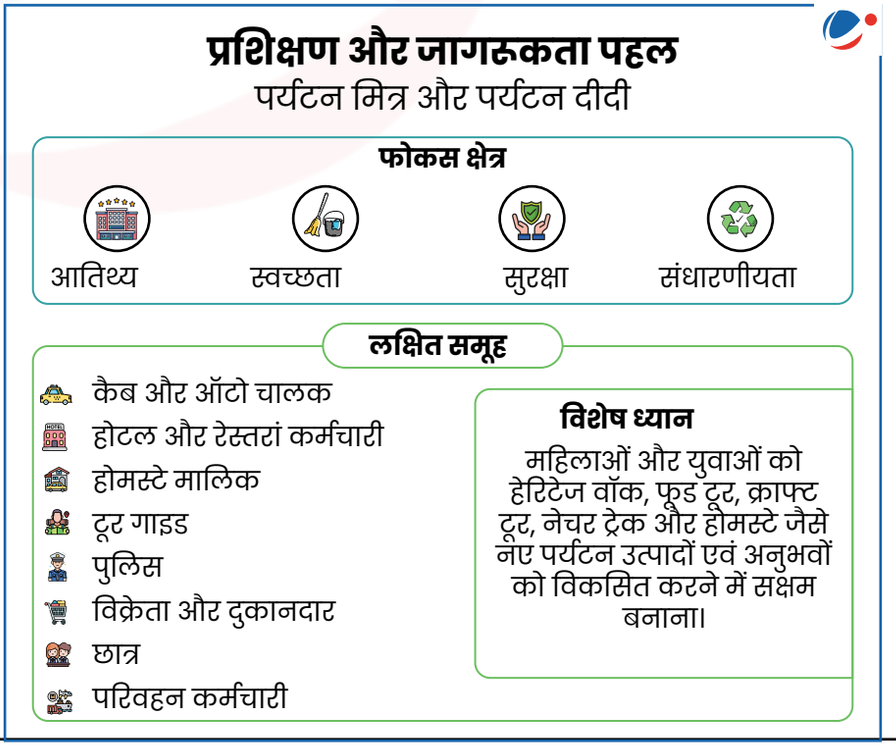

सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI)- वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास योजना

सरकार ने **वित्त वर्ष 2024-25** में 23 राज्यों में 3000 करोड़ रुपये से अधिक की **40 परियोजनाओं** (कम ज्ञात पर्यटन स्थल) को मंजूरी दी है।

- **लक्ष्य: अधिक आगमन वाले पर्यटन स्थलों पर दबाव कम** करना और **देश भर में पर्यटकों के अधिक संतुलित वितरण** को बढ़ावा देना।
- **पृष्ठभूमि:** वित्त मंत्रालय की SASCI योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय द्वारा **प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के वैश्विक स्तर पर विकास** के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
- **उद्देश्य:** प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों को व्यापक रूप से विकसित करने, ब्रांडिंग करने और वैश्विक स्तर पर उनकी मार्केटिंग करने के लिए **राज्यों को 50 वर्षों की अवधि हेतु दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण** देना।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तीकरण प्रशिक्षण (RESET/ रीसेट) कार्यक्रम

नई शुरू की गई योजना

- **उद्देश्य:** सेवानिवृत्त एथलीटों को नए करियर में प्रवेश करने में सहायता करना तथा खेल क्षेत्रक में कौशल अंतराल को भरना।
- **पात्रता:** सेवानिवृत्त एथलीट (20-50 वर्ष की आयु) जिन्होंने राष्ट्रीय खेल महासंघों/ भारतीय ओलंपिक संघ/ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की या भाग लिया।
- शुरुआत में, ये कार्यक्रम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर **दो स्तरों के होंगे यानी कक्षा 12वीं एवं उससे ऊपर तथा कक्षा 11वीं एवं उससे नीचे।**

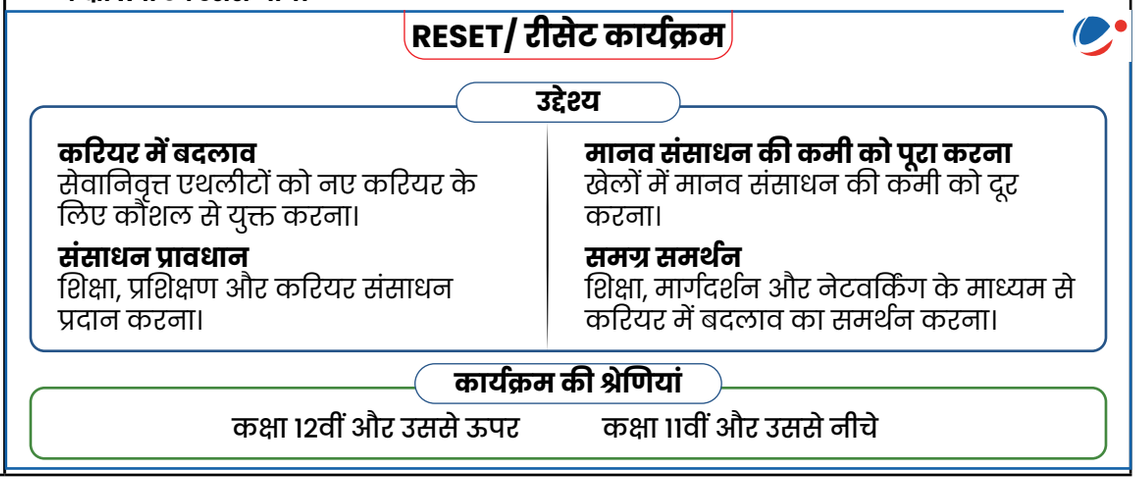

खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन (कीर्ति/ KIRTI) कार्यक्रम

कीर्ति कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख विशेषताएं

- **लक्ष्य:** आधुनिक सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरणों और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के आधार पर एक **एकीकृत प्रतिभा पहचान संरचना** विकसित करना।

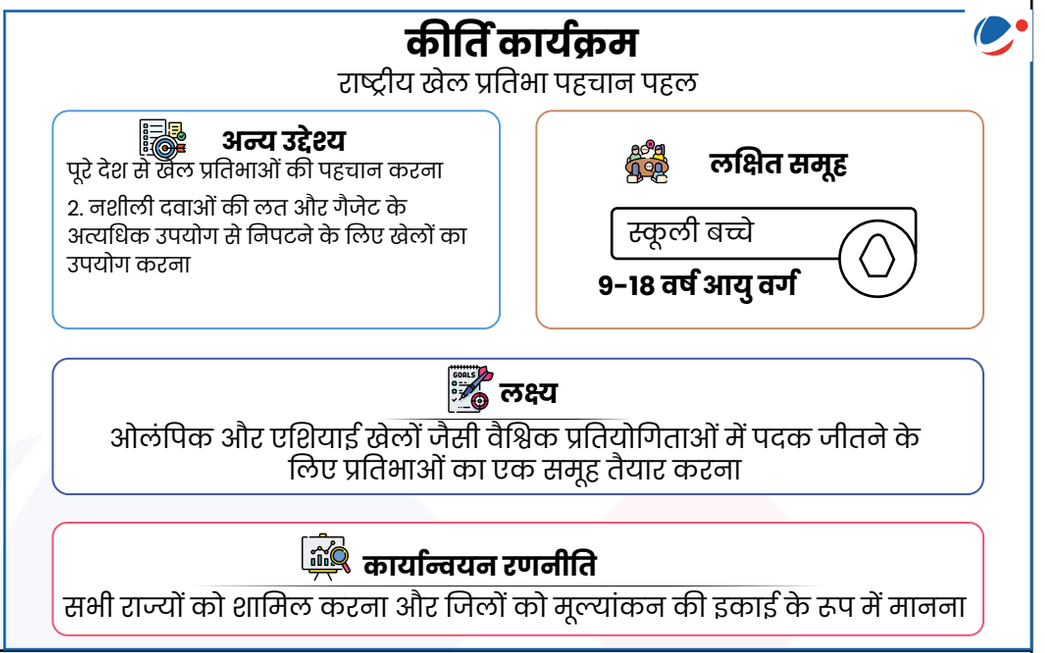

नीति आयोग

SEHER कार्यक्रम (समग्र शिक्षा और संसाधनों के साथ उद्यमियों का समर्थन)

नई शुरू की गई योजना

- **उद्देश्य:** भारत में महिला उद्यमियों को **वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल** से युक्त करना।

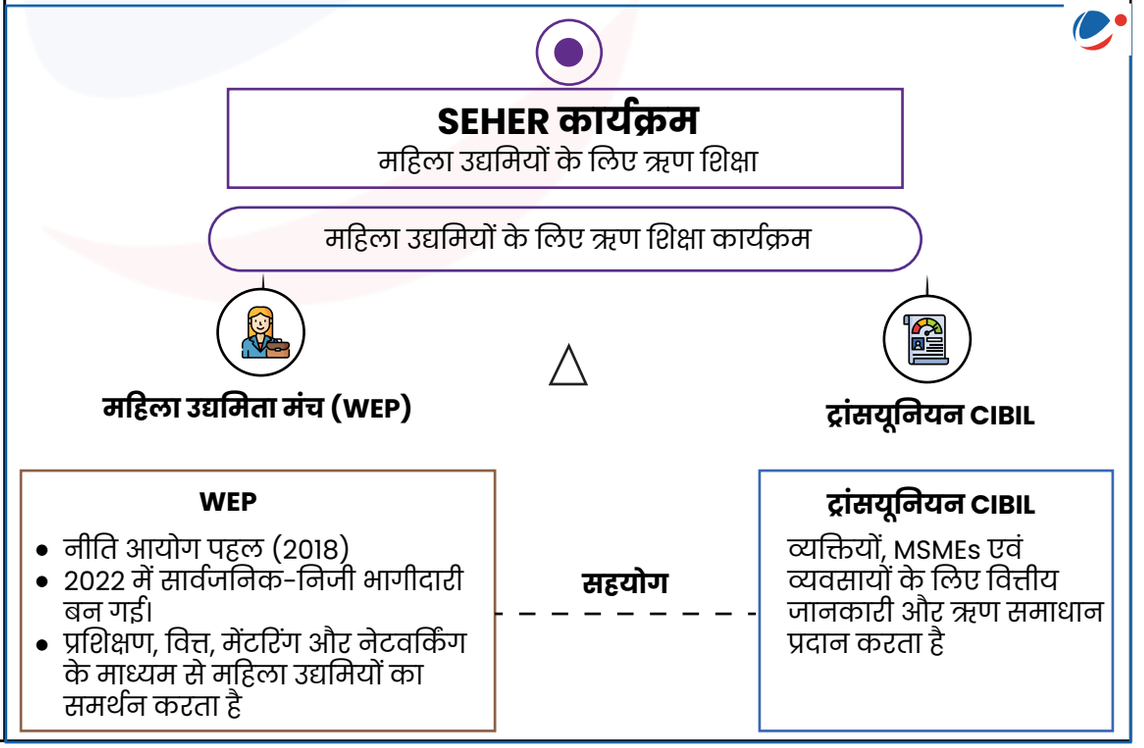

<table>
<tr><th colspan="2">बजट 2025-26 में घोषित योजनाएं</th></tr>
<tr><td>प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना - कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम</td><td>

प्रेरणा: आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता।
कवरेज: मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा।
लक्ष्य: 1.7 करोड़ किसान।

प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना के उद्देश्य
कृषि उत्पादकता में वृद्धि
फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना
पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण की सुविधा बढ़ाना
सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना
दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना
</td></tr>
<tr><td>बहु-क्षेत्रकीय 'ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन' कार्यक्रम</td><td>

इसे राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा।
उद्देश्य: कौशल विकास, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके कृषि में कम रोजगार की समस्या को दूर करना।
लक्ष्य: ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना, ताकि प्रवास एक विकल्प हो, अनिवार्यता नहीं।
कवरेज: चरण-1 में 100 विकासशील कृषि-जिलों को कवर किया जाएगा।
फोकस: ग्रामीण महिलाएं, युवा किसान, ग्रामीण युवा, सीमांत और लघु किसान तथा भूमिहीन परिवार।

</td></tr>
<tr><td>दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन</td><td>

अवधि: 6 वर्ष।
फोकस: तुअर, उड़द और मसूर दालों पर।
उद्देश्य: केंद्रीय एजेंसियों (NAFED व NCCF) में पंजीकरण कराने वाले और समझौते करने वाले किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान इन एजेंसियों द्वारा उपर्युक्त 3 दालों की असीमित खरीद करवाना।

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य
जलवायु अनुकूल बीजों का विकास और व्यावसायिक उपलब्धता
प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना
उत्पादकता बढ़ाना
कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार करना, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना
</td></tr>
<tr><td>कपास उत्पादकता के लिए मिशन</td><td>

कार्यकाल: 5 वर्ष।
उद्देश्य: कपास की खेती की उत्पादकता और संधारणीयता में सुधार लाना तथा अतिरिक्त लंबे स्टेपल वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देना।
वस्त्र क्षेत्रक के लिए एकीकृत 5F विज़न के साथ संरेखित: '5F' फॉर्मूला में खेत से फाइबर; फाइबर से फैक्ट्री; फैक्ट्री से फैशन; फैशन से विदेश शामिल हैं।

इससे भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्रक को पुनर्जीवित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

</td></tr>
</table>

उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन	**इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:** • **अनुसंधान इकोसिस्टम** को मजबूत करना; • उच्च उपज, कीट प्रतिरोध और जलवायु लचीलापन वाले बीजों का **लक्षित विकास एवं प्रसार** करना; तथा • जुलाई 2024 से जारी 100 से अधिक बीज किस्मों की **व्यावसायिक उपलब्धता** सुनिश्चित करना।
पहली बार उद्यम करने वालों के लिए योजना	• महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित **5 लाख पहली बार के उद्यमियों** के लिए शुरू की जाएगी। • इसके तहत अगले **5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण** प्रदान किए जाएंगे।
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन - "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाना	• व्यवसाय करने में सुगमता और लागत पर ध्यान केंद्रित करना; मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य हेतु तैयार कार्यबल तैयार करना; जीवंत और गतिशील MSME क्षेत्रक का विकास करना; जलवायु अनुकूल विकास के लिए स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को प्रोत्साहित करना आदि। ○ इसमें नीतिगत समर्थन, निष्पादन रोडमैप, गवर्नेंस फ्रेमवर्क आदि प्रदान करके **लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों** को कवर किया जाएगा। • यह मिशन सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में स्वच्छ तकनीक आधारित विनिर्माण का समर्थन करेगा। • **उद्देश्य:** घरेलू मूल्य संवर्धन में सुधार करना तथा सौर PV सेल, EV बैटरी, मोटर व नियंत्रक, इलेक्ट्रोलाइजर, पवन टरबाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरी के लिए इकोसिस्टम का निर्माण करना।
भारतीय भाषा पुस्तक योजना	• इसका उद्देश्य स्कूली और उच्चतर शिक्षा के स्तर पर **भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध** कराना। इससे विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन	• आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करके तथा **पीएम गति शक्ति** का उपयोग करते हुए, यह मिशन भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन और अवसंरचना परियोजनाओं के डिजाइन की सुविधा प्रदान करेगा।
ज्ञान भारतम मिशन	• शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों आदि में मौजूद एक करोड़ से अधिक पांडुलिपि विरासत का **"सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण"** करना। ○ ज्ञान साझा करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपराओं का एक **राष्ट्रीय डिजिटल भंडार** भी स्थापित किया जाएगा।
निर्यात संवर्धन मिशन	○ **वाणिज्य मंत्रालय; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय** द्वारा संयुक्त रूप से संचालित। ○ **क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों** के साथ निर्यात ऋण तक आसान पहुंच, सीमा-पार फैक्टरिंग सहायता और **विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ उपायों से निपटने के लिए MSME को सहायता** प्रदान करना आदि।

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली

10 अप्रैल, 8 AM | 22 अप्रैल, 11 AM

अवधि – 12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

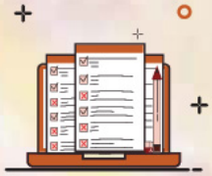

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

मोहन लाल

TOPPERS' TALK

UPSC CSE 2026 सामान्य अध्ययन

UPSC Prelims 2025 10 years PYQ

Master Classes Series करेंट अफेयर्स

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची